राजभाषा विशेषांक

वाणी

वर्ष : 35 अंक : 130 सितंबर 2021

वर्ष 2020-21 हेतु माननीय गृह राज्य मंत्री, भारत सरकार,
श्री निशिथ प्रामाणिक से राजभाषा कीर्ति पुरस्कार प्राप्त करते हुए
हमारे प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी श्री पार्थ प्रतिम सेनगुप्ता ।

इण्डियन ओवरसीज़ बैंक
तिमाही गृह पत्रिका

गतिविधियाँ

स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में केन्द्रीय कार्यालय के प्रांगण में ध्वाजारोहण किया गया । इस अवसर पर ध्वजारोहण के पश्चात तिरंगे को सम्मान देते हुए प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी श्री पार्थ प्रतिम सेनगुप्ता । उनके साथ हैं हमारे कार्यपालक निदेशक श्री अजय कुमार श्रीवास्तव, कार्यपालक निदेशक सुश्री एस श्रीमती, मुख्य सुरक्षा अधिकारी कैप्टन देवेन्द्र कुमार ।

स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर ध्वजारोहण के पश्चात राष्ट्रीय एकता का संकल्प लेते हुए कार्यपालक गण

इस अंक में

वाणी

वर्ष : 35 अंक 130 सितम्बर 2021

इण्डियन ओवरसीज़ बैंक की तिमाही गृह पत्रिका

संदेश

माननीय गृह मंत्री जी का संदेश 3
माननीय वित्त राज्य मंत्री जी का संदेश 5
प्रबन्ध निदेशक महोदय का संदेश 6
कार्यपालक निदेशक महोदय का संदेश 7
कार्यपालक निदेशक महोदया का संदेश 8
महा प्रबन्धक महोदय का संदेश 9

संपादकीय

उस-उस राही को शुक्रिया 10

विशेष आलेख

राष्ट्रीय शिक्षा नीति और हिंदी 15
राजभाषा हिंदी के कामकाज में सूचना प्रौद्योगिकी का योगदान 40
वैश्वीकरण और हिन्दी 46
राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों की राजभाषा 50
उत्तराखंड-एक परिचय 56

बैंकिंग व अन्य लेख

केन्द्रीय सतर्कता आयोग : एक परिचय 11
निजता की सुरक्षा : बैंक में निजी डाटा प्राइवेसी एंड प्रोटेक्शन का महत्व 44

कविता

मेरा बेटा आएगा 45
पहचान 49

साहित्य का सफ़रनामा

लियो टॉल्स्टॉय सिपाही, लेखक और साधू की आत्मा एक ही शरीर में 32

प्रदक्षिणा

चर्च ऑफ़ द होली सेपुल्कर : चर्च जहाँ ईसा मसीह दफ़न हैं 35

फ़ोटो फ़ीचर

केन्द्रीय कार्यालय में हिन्दी दिवस आयोजन की झलकियाँ 28
क्षेत्रीय कार्यालयों में हिन्दी दिवस आयोजन की झलकियाँ 30

कृति दर्पण

इतिहास को भ्रष्ट करने वाले दौर में एक बौद्धिक सत्याग्रह 53

नज़र कानूनी

चालू खाते के लिए अनुशासन ज़रूरी 19

ख़तों के रास्ते इतिहास

हम बनाम वो 21

विविधा

ज्ञान के मोती 34
शब्द – शब्दांतर 27
हँसी की फुलझड़ियाँ 39
हिन्दी ज्ञान प्रश्नोत्तरी 59
प्रतिस्पंदन 60

इण्डियन ओवरसीज़ बैंक
की तिमाही गृह पत्रिका

वाणी

वर्ष : 35 अंक 130 सितम्बर 2021

मुख्य संरक्षक
पार्थ प्रतिम सेनगुप्ता
प्रबंध निदेशक एवं
मुख्य कार्यपालक अधिकारी

संरक्षक
अजय कुमार श्रीवास्तव
कार्यपालक निदेशक

संरक्षक
एस श्रीमती
कार्यपालक निदेशक

परामर्शदाता
भुवन चन्द्र शर्मा
महा प्रबंधक

संपादक
सुरेश कुलकर्णी
उप महा प्रबंधक

तुम वहन कर सको जन–मन में मेरे विचार !
वाणी मेरी चाहिए तुम्हें क्या अलंकार ?

संपादन सहयोग
नगेंद्र कुमार सिंह
प्रबंधक
केंद्रीय कार्यालय

संपादन सहयोग
नेहा रंजन
सहायक प्रबंधक
केंद्रीय कार्यालय

संपादन सहयोग
शुभम दीक्षित
सहायक प्रबंधक
केंद्रीय कार्यालय

मुद्रक
कृष्णराज प्रिंटर्स
36 देवराजन स्ट्रीट, रॉयपेट्टा
चेन्नै 600 014, तमिलनाडु
दूरभाष : 044-28481125

वाणी में प्रकाशित रचनाओं में व्यक्त विचार लेखकों के अपने निजी हैं । बैंक का इससे सहमत होना ज़रूरी नहीं है ।

पत्र व्यवहार का पता
इण्डियन ओवरसीज़ बैंक
राजभाषा विभाग, केंद्रीय कार्यालय,
763 अण्णा सालै, चेन्नै 600 002
दूरभाष : 044-28519572
फैक्स : 044-28551618
ई-मेल : official@iobnet.co.in

केवल आंतरिक परिचालन हेतु

अमित शाह
गृह और सहकारिता मंत्री
भारत सरकार
AMIT SHAH
HOME AND COOPERATION MINISTER
GOVERNMENT OF INDIA

प्यारे देशवासियो !

हिंदी दिवस के शुभ अवसर पर आप सभी को मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं ।

भाषा मनोभाव व्यक्त करने का सबसे सशक्त माध्यम है । किसी भी देश का समग्र विकास तभी संभव है जब उसके निवासी अपनी मातृभाषा में चिंतन एवं लेखन करें । मातृभाषा ही ज्ञान और अभिव्यक्ति का सबसे अच्छा माध्यम है । भारत जैसे सांस्कृतिक रूप से समृद्ध देश के प्राचीन ज्ञान में ही आज के युग के अनेक जटिल प्रश्नों के उत्तर छुपे हैं और 21वीं सदी के भारत के विकास में इस ज्ञान का एक महत्वपूर्ण स्थान है । इस ज्ञान का उचित दोहन मातृभाषा के विकास के बिना संभव नहीं है । मातृभाषा में वह क्षमता है जो ज्ञान , गौरव और स्वाभिमान भी प्रदान करती है ।

आधुनिक हिंदी साहित्य के पितामह कहे जाने वाले भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने कहा है :

"मातृभाषा की उन्नति के बिना किसी भी समाज की तरक्की संभव नहीं है तथा अपनी भाषा के ज्ञान के बिना मन की पीड़ा को दूर करना असंभव है ।"

हिंदी का उद्भव एवं विकास भारत की क्षेत्रीय भाषाओं के साथ हुआ है । मूलतः इन सभी भाषाओं में भारतीय संस्कृति की मिट्टी की खुशबू आती है । यह आवश्यक है कि क्षेत्रीय भाषाओं का संरक्षण , संवर्धन और विकास किया जाए तथा अनुवाद के माध्यम से इनके बीच एक सेतु बनाया जाए ताकि भारतीय साहित्य समृद्ध हो सके। इससे भारतीय भाषाओं में आपसी सामंजस्य , सहिष्णुता , सम्मान और सौहार्द भी बढ़ेगा तथा हमें एक - दूसरे का साहित्य पढ़ने का अवसर भी मिलेगा एवं देश की भाषाई एवं राष्ट्रीय एकता और मजबूत होगी । देश की सभी भाषाओं की आपसी सहभागिता , उनका स्वतंत्र विकास और संपर्क भाषा के रूप में हिंदी का प्रयोग देश में शांति , परस्पर सद्भावना एवं प्रगति का मुख्य आधार बन सकता है। तिरुवल्लूवर और सुब्रमण्यम भारती जैसे तमिल के महान कवियों की साहित्यिक रचनाएँ कालजयी हैं , जिन पर सभी देशवासियों को गौरव है ।

इसी प्रकार बांग्ला के रवींद्रनाथ टैगोर हों , शरतचंद्र हों या महाश्वेता देवी अथवा पंजाब की अमृता प्रीतम , हम इनका साहित्य भी उसी प्रकार हिंदी में पढ़ते हैं , जिस प्रकार हम हिंदी के प्रेमचंद का साहित्य पढ़ते हैं । वास्तव में , हिंदी सहित सभी भारतीय भाषाएं हमें विरासत में मिली हैं तथा इस धरोहर की रक्षा एवं संवर्धन करना हमारा महत्वपूर्ण दायित्व भी है और वर्तमान सरकार इसी दिशा में प्रतिबद्ध है। दशकों के बाद देश के माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एक 'नई शिक्षा नीति' हमें मिली है, जिसका उद्देश्य मातृभाषा में शिक्षा उपलब्ध कराना तथा सभी भारतीय भाषाओं को पल्लवित और पुष्पित करना है ।

विभिन्न भाषाएं और संस्कृतियां भारत की पहचान हैं, सभी भाषाओं का समृद्ध इतिहास है , समृद्ध साहित्य है और बड़ी संख्या में बोलने वाले भी मौजूद हैं किंतु पूरे राष्ट्र को एक सूत्र में पिरोने का काम हिंदी ने बखूबी किया है । देश की आजादी की लड़ाई में पूरब से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण तक स्वतंत्रता सेनानियों को एक करने का काम उस जमाने में हिंदी भाषा ने किया था । इस कार्य में राष्ट्रपिता महात्मा गाँधी की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण थी , उन्होंने कहा था,

"जो भाषा भारत के दिलों पर राज करती है, वह भाषा हिंदी है ।"

भाइयों, बहनों ! वैज्ञानिकों ने माना है कि हिंदी एक वैज्ञानिक भाषा है , हिंदी में उच्चरित होने वाली ध्वनियों को व्यक्त करना अत्यंत सरल है । हिंदी में जैसा बोला जाता है , वैसे ही लिखा जाता है और हिंदी की इन्हीं विशेषताओं और लोकप्रियता को ध्यान में रखते हुए भारतीय संविधान सभा ने गंभीर विचार - विमर्श के बाद आपसी सहमति से हिंदी को भारत संघ की राजभाषा का दर्जा दिया तथा हिंदी संबंधित संवैधानिक प्रावधानों को आज के ही दिन यानि 14 सितंबर 1949 को अंगीकार किया । इसी उपलक्ष में हम प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं ।

प्यारे देशवासियो ! जैसा कि आप जानते हैं कोरोना के कारण भारत ही नहीं अपितु पूरी दुनिया में गंभीर संकट आ गया और सभी देशों ने इस समस्या से निदान पाने के लिए हर संभव प्रयास किए । माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत में कोरोना की लड़ाई अत्यंत सफलतापूर्वक लड़ी गई । इस लड़ाई में सभी राज्य सरकारों और भारत की 130 करोड़ की जनता ने भी बढ़ - चढ़कर हिस्सा लिया ।

श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इस लड़ाई से लड़ने में हमें अनेक विकसित देशों से बेहतर सफलता मिली और यदि जनसंख्या के अनुपात से देखें तो हम पूरी दुनिया में सबसे कम मृत्यु दर के साथ महामारी से हुई हानि को कम रखने में सफल हुए हैं । इस लड़ाई में माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश की जनता के हौसले को बढ़ाने के लिए समय- समय पर जनता की भाषा में ही राष्ट्र को संबोधित किया ताकि देश के अधिक से अधिक लोगों तक प्रभावी ढंग से बात पहुंच सके ।

कोरोना काल की विषम परिस्थितियों में राजभाषा संबंधी संवैधानिक दायित्वों के निर्वहन में राजभाषा विभाग ने केंद्र सरकार के कार्यालयों में हिंदी का

प्रयोग सुनिश्चित किया । माननीय प्रधानमंत्री जी के आत्मनिर्भर भारत और स्वदेशी के आह्वान से प्रेरित होकर राजभाषा विभाग , गृह मंत्रालय ने स्मृति आधारित कंप्यूटर सॉफ्टवेयर स्वदेशी टूल 'कंठस्थ' को अधिक लोकप्रिय बनाया । विभिन्न सरकारी संगठनों के हिंदी अधिकारियों को ई- प्रशिक्षण देकर प्रोत्साहित भी किया है । इसी प्रकार स्वयं हिंदी भाषा सीखने के लिए बनाए गए 'लीला हिंदी ऐप - **लर्निंग इंडियन लैंग्वेजेज थ्रू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस'** का भी प्रचार किया जा रहा है । इस ऐप के माध्यम से अंग्रेज़ी के अलावा 14 अन्य भारतीय भाषाओं , तमिल , तेलुगू, कन्नड़ , मलयालम, बांग्ला , असमिया , मणिपुरी , मराठी , उड़िया , पंजाबी, नेपाली , कश्मीरी , गुजराती एवं बोडो से स्वयं हिंदी सीखी जा सकती है ।

कोरोना महामारी में भी राजभाषा संबंधी कर्तव्यों को ध्यान में रखते हुए राजभाषा विभाग ने केंद्र सरकार के विभिन्न कार्यालयों / विभागों / उपक्रमों आदि के द्वारा प्रकाशित की जाने वाली गृह पत्रिकाओं के लिए ई- पत्रिका पुस्तकालय प्लेटफार्म उपलब्ध कराया, जिसके माध्यम से देश- विदेश में कहीं भी बैठकर केंद्र सरकार के संस्थानों की गृह- पत्रिकाओं को पढ़कर उसका लाभ उठाया जा सकता है । वर्तमान में राजभाषा विभाग ने इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से बैठकें एवं निरीक्षण कर राजभाषा संवर्धन में एक नई पहल की है । ई- महा शब्दकोश मोबाइल एप तथा ई- सरल हिंदी वाक्यकोश मोबाइल ऐप भी उपलब्ध कराए हैं , इनके प्रयोग से अधिकारियों को हिंदी में टिप्पणी लिखने में बहुत सुविधा हो रही है ।

राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय की सुविचारित नीति है कि केंद्र सरकार के कार्यालयों में हिंदी का प्रयोग प्रेरणा , प्रोत्साहन व सद्भावना से बढ़ाया जाए। माननीय प्रधानमंत्री जी के स्मृति विज्ञान संबंधी प्रेम और प्रयोग से प्रभावित होकर राजभाषा विभाग ने हिंदी के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए बारह 'प्र' की रूपरेखा और रणनीति पर काम करना शुरु किया है , जिसमें महत्वपूर्ण स्तंभ हैं : प्रेरणा , प्रोत्साहन , प्रेम , पुरस्कार , प्रशिक्षण , प्रयोग , प्रचार , प्रसार , प्रबंधन , प्रोन्नति , प्रतिबद्धता और प्रयास । राजभाषा विभाग द्वारा विभिन्न बैठकों में संबंधित कार्यालय के शीर्ष नेतृत्व को इन्हीं बारह 'प्र' की रणनीति के अनुसार कार्यालय के अधिक से अधिक कार्य को मूल रूप से सरल एवं सहज हिंदी में करने के लिए प्रेरित किया जाता है ।

हम सभी जानते हैं कि भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी स्वयं हिंदी और भारतीय भाषाओं के प्रति अनुराग रखते हैं । माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में दिए गए ओजस्वी संबोधन तथा देश- विदेश में आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों में प्रधानमंत्री जी द्वारा हिंदी में किए गए संबोधन से सिर्फ देश ही नहीं बल्कि विदेश में रहने वाले भारतीयों को भी बहुत गर्व होता है । प्रधानमंत्री जी द्वारा भारत की विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं में स्थानीय लोगों को संबोधित करने का प्रयास भी क्षेत्रीय भाषाओं के प्रति सम्मान व्यक्त करने का एक सराहनीय और अनुकरणीय कदम है ।

मुझे लगता है कि , जब हम आजादी के 75वें वर्ष में , अमृत पर्व में , प्रवेश कर रहे हैं , तो हमें इस वर्ष राष्ट्रकार्यों को हाथ में लेना चाहिए । महात्मा गाँधीजी ने राजभाषा को राष्ट्रीयता के साथ जोड़ा था । हमारे आजादी के आंदोलन के तीन स्तंभ थे , स्वभाषा , स्वदेशी और स्वराज । स्वराज की कल्पना , स्वदेशी के संस्कार से उत्पन्न हुई स्वभाषा । आजादी के आंदोलन की यदि कोई सशक्त नींव थी, तो वह स्वभाषा ही थी। इस स्वभाषा से स्वदेशी के संस्कार ने जन्म लिया , स्वराज की कल्पना मिली, जिसने 15 अगस्त 1947 को आजादी दिलाई । इस आजादी के आंदोलन में हमारी स्वभाषाओं में राजभाषा और स्थानीय भाषाओं की भूमिका पर जो अलग- अलग साहित्य की रचनाएँ हुई हैं , इसका एक संग्रह कर देश के सामने रखना चाहिए ताकि नई पीढ़ी को स्वभाषा का महत्व पता चल सके ।

दूसरा विषय जो मेरे मन में है , क्षेत्रीय इतिहास को राजभाषा में ढंग से अनुवादित करना चाहिए । विभिन्न क्षेत्रों की गौरवशाली संस्कृति और उन क्षेत्रों के महानायकों के इतिहास का राजभाषा में सही भाव के साथ अनुवाद होना चाहिए और यह अनुवादित ग्रंथ देश के विभिन्न ग्रंथालयों में भी उपलब्ध होने चाहिए । मैं मानता हूँ कि आजादी के 75 वें साल में मनाए जा रहे अमृत महोत्सव पर राष्ट्र की एकता और अखंडता के लिए हमारा बहुत बड़ा काम होगा ।

संविधान द्वारा दिए गए राजभाषा संबंधी दायित्वों के निर्वहन की दिशा में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सरकारी काम - काज मूल रूप से हिंदी में किया जा रहा है। गृह मंत्रालय में सभी फाइलें हिंदी में प्रस्तुत की जाती हैं , क्योंकि मेरा मानना है कि हिन्दी में कार्य कर हम अपने संवैधानिक दायित्व का निर्वहन तो कर ही रहे हैं , आम - जन तक सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों की जानकारी आम जनता की भाषा में देने का महत्वपूर्ण काम भी इसके साथ ही होता है ।

आइए ! हिंदी दिवस के इस पावन पर्व पर हम प्रतिज्ञा लें कि हम अपने राष्ट्रीय कर्तव्यों का पूर्ण रूप से पालन करेंगे और अधिक से अधिक मूल कार्य हिंदी में कर संवैधानिक दायित्वों का निर्वहन करेंगे ।

हिंदी दिवस के अवसर पर सभी देशवासियो को पुनः हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ , वंदे मातरम !

नई दिल्ली
14 सितंबर, 2021

(अमित शाह)

पंकज चौधरी
PANKAJ CHAUDHARY

वित्त राज्य मंत्री
भारत सरकार
MINISTER OF STATE FOR FINANCE
GOVERNMENT OF INDIA

संदेश

हिंदी दिवस के अवसर पर मेरी शुभकामनाएं।

'निज भाषा उन्नति अहे, सब उन्नति को मूल,
बिनु निज भाषा-ज्ञान के, मिटे न हिय को शूल।

हिन्दी के प्रखर कवि भारतेन्दु हरिशचन्द्र की उक्त पंक्तियां इस आशय को स्पष्ट करती हैं कि अपनी भाषा के ज्ञान के बिना कुछ भी संभव नहीं है। हिन्दी जन-जन की भाषा है जो देश के बहुसंख्य लोगों द्वारा बोली-समझी जाती है और इस भाषा में ही देश को एकसूत्र में पिरोने वाले सभी तत्व मौजूद हैं। हमारे बहुभाषी देश में सामाजिक, सांस्कृतिक और प्रशासनिक एकता कायम करने की भूमिका का निर्वहन करने की सामर्थ्य, यदि किसी भाषा में हो सकती है तो वह हिन्दी और एकमात्र हिन्दी में ही हो सकती है। इसीलिए, संविधान निर्माताओं ने 14 सितंबर, 1949 को हिंदी को संघ की राजभाषा का दर्जा दिया। संविधान तथा राजभाषा अधिनियम के प्रावधानों का उद्देश्य है, कि राजभाषा हिंदी का अधिक से अधिक प्रयोग संघ के कार्यकलापों में हो।

हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में अनेक कार्यक्रम/समारोह आयोजित किए जाने की परंपरा है। नि:संदेह, इन कार्यक्रमों से हिंदी में कार्य करने का माहौल निर्मित होता है और हमें हिंदी में कार्य करने की प्रेरणा भी मिलती है। हिन्दी में वह सभी गुण विद्यमान है जो देश के सभी लोगों को आपस में जोड़ सकें, एक सूत्र में बांध सकें और जन सामान्य के साथ पारस्परिकता तथा मित्रता और सौहार्द का वातारण बना सके। सहजता और सरलता हिन्दी का प्रमुख लक्षण है जो उसे जनसामान्य के लिए सहज बनाता है। अत: सरकारी कामकाज में आप सहज, सरल और जनसामान्य की समझ में आने वाली हिंदी का प्रयोग करें। निश्चय ही, हिंदी हमारे स्वाभिमान और गौरव का प्रतीक है इसे पूरे उत्साह, सम्मान और गर्व से अपनाएं।

आइए, हिंदी दिवस के इस शुभ अवसर पर हम सभी अपना अधिक से अधिक कार्य हिंदी में करके अपने संवैधानिक, नैतिक और सामाजिक दायित्व के निर्वहन का संकल्प लें।

(पंकज चौधरी)

नई दिल्ली
14 सितम्बर, 2021

कार्यालय : कमरा नं 138, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली–110001 दूरभाष : 23092377, 23094108, फैक्स : 23092680, ई–मेल : mosfinance@nic.in
निवास : 20, पं. रवि शंकर शुक्ल लेन, कस्तूरबा गांधी मार्ग, नई दिल्ली–110001 दूरभाष : 011-23782857 ई–मेल : chaudharypankajloksabha@gmail.com

प्रबंध निदेशक व मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय का संदेश

प्यारे साथियो,

एक बार फिर अपने बैंक की पत्रिका वाणी के माध्यम से आप सभी के समक्ष उपस्थित हूँ । जैसा कि आपको पता ही है कि पिछले माह हमने हिन्दी दिवस मनाया, ये हिन्दी दिवस अपने आप में विशेष था । इस हिन्दी दिवस के विशेष होने का कारण था भारत सरकार, गृह मंत्रालय से राजभाषा कीर्ति पुरस्कार की प्राप्ति, जिसे केन्द्रीय कार्यालय को 800 से कम स्टाफ सदस्यों के वर्ग में हिन्दी कार्यान्वयन के लिए प्रदान किया गया था, जिसके लिए आप सभी साधुवाद के पात्र हैं ।

जैसा कि सर्वविदित ही है कि हम आजादी के 75वें वर्ष में हैं और सारा देश आज़ादी के अमृत महोत्सव के उल्लास में उल्लासित है, ऐसे में हमें अपनी जड़ों की ओर लौटने की आवश्यकता है, आज़ादी के मूलभूत सिद्धांतों को टटोलने की आवश्यकता है । ये 75वां वर्ष आत्मावलोकन के लिए एक सुअवसर की भांति हम सभी के सम्मुख आ पहुंचा है, जहाँ से हमें आज़ादी की बीजक अवधारणा के साथ आज की स्थितियों का आकलन करते हुए आगे की रणनीति तैयार करनी होगी । लेकिन जब आज हम पलट कर देखते हैं तो महात्मा गांधी जी के द्वारा दिए गए स्वतंत्रता आंदोलन के मूलमंत्रों, स्वभाषा, स्वदेशी, स्वराज्य में स्वभाषा तथा स्वदेशी से गंभीर भटकाव देखने को मिलता है । आज जहाँ सम्प्रेषण के लिए हम एक विदेशी भाषा तो वहीं दूसरी ओर अपनी रोज़मर्रा की ज़रूरत की तमाम छोटी से बड़ी चीजों के लिए विदेशी ब्राण्डों का मोहसंवरण नहीं कर पा रहे हैं । संभवत: नीति निर्धारकों के मन में आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना के पीछे यही अवधारणा रही होगी । आत्मनिर्भर भारत समय की मांग ही नहीं बल्कि विकास के उस द्वार की भांति है, जिससे होकर ही समेकित रूप से पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति का उत्थान संभव है । एक बैंकर होने के नाते यह हम सभी का दायित्व बनता है कि ज़रूरतमंदों तथा पात्र आवेदकों की मदद कर इस विकास की बयार के साथी बनें ।

जिस तरह अगस्त माह स्वतंत्रता का उद्घोषक है, सितंबर माह राजभाषा से अपनी जड़ों से जुड़ाव का अवसर प्रदान करवाता है ठीक उसी तरह अक्तूबर माह बैंकिंग और वित्तीय संस्थानों से जुड़े सभी कर्मचारियों के लिए एक विशेष महत्व रखता है । जैसा कि जगजाहिर है कि बैंक की कार्यपद्धति इस प्रकार की है कि हमारा जुड़ाव वित्तीय लेनदेनों से रहता ही है जिसके चलते सतर्कता के प्रति हमारा दायित्व और अधिक बढ़ जाता है । इसी क्रम में हर वर्ष सतर्कता आयोग द्वारा सतर्कता जागरूकता सप्ताह का आयोजन, आयोग की दूरदर्शिता का परिचायक है जिसका उद्देश्य भ्रष्टाचार की रोकथाम और उसके खिलाफ संघर्ष में सामूहिक रूप से जनता की भागीदारी को बढ़ावा देने के साथ ही इसके महत्व, कारण और इससे होने वाले खतरों के प्रति लोगों के बीच जागरूकता फैलाना है । मैं सतर्कता आयोग के ध्येय वाक्य "सत्यनिष्ठा से आत्मनिर्भर" के साथ आपनी बात को समाप्त करूंगा । सतर्क रहें, जागरूक रहें...

शुभकामनाओं सहित...

पार्थप्रतिम सेनगुप्ता

पार्थ प्रतिम सेनगुप्ता

प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी

संदेश

कार्यपालक निदेशक महोदय का संदेश

प्यारे आइओबियन्स,

सितंबर माह हिन्दी दिवस का महीना होता है और यह दिवस किसी भी सरकारी संस्थान के लिए किसी उत्सव से कम नहीं होता । इस समय सारे कार्यालयों का परिवेश हिंदीमय हो जाता है परंतु यह एक विडम्बना ही है कि हिन्द प्रदेश, हिंदुस्तान में हिन्दी दिवस मनाया जाता है, जहाँ की यह भाषा है । असल मायनों में होना तो यह चाहिए था कि विदेशों में हिन्दी दिवस मनाया जाता ताकि भारतीय भाषा व संस्कृति की ध्वनि वहाँ के वातावरण में गूँज सके । आज भी हम देखते हैं कि कई क्षेत्रों में हिन्दी का काम तो होता है, पर हिन्दी में काम नहीं होता । बैंकों में भी हम पाते हैं कि हिन्दी ने विशाल स्तर पर अपनी पैठ बना ली है और डिजिटल बैंकिंग, मार्केटिंग एवं ग्राहक सेवा जैसे क्षेत्रों में हिन्दी की पहुँच पहले की अपेक्षा काफी संतोषजनक बन गई है । कार्यालयी कामकाज से लेकर विभिन्न डिजिटल मंचों पर विषयवस्तु का द्विभाषी/ बहुभाषीकरण किया जा रहा है । यह हमारे स्टाफ़ सदस्यों द्वारा किए गए अथक प्रयासों का ही परिणाम था कि बैंक गृह मंत्रालय, भारत सरकार से पुरस्कार प्राप्त करने में सफल रहा जिसके लिए आप सभी बधाई तथा प्रशंसा के पात्र हैं ।

विगत कुछ एक वर्षों में हमने शाखा प्रबन्धकों के बीच नए ऋणों के आबंटन को लेकर एक किस्म की झिझक देखी है, जोकि बैंक के विकास पथ की बाधक साबित हो रही है । जो बात यहाँ पर समझने वाली है वह महज़ इतनी कि अगर हमारे बैंक की 3200+ शाखाओं में यदि प्रत्येक शाखा प्रतिवर्ष औसतन रुपए 5 करोड़ का भी ऋण आबंटित करती है तो हमारा अग्रिम पोर्टफोलियो 16000 करोड़ प्रति वर्ष की रफ़्तार से बढ़त दर्ज़ कर सकता है । इन लक्ष्यों को साधने का सबसे आसान तथा सुरक्षित तरीका है आवास ऋणों को विस्तारित करने की ओर ध्यान केन्द्रित करना । जैसा कि सर्वविदित है कि जमाओं को स्वीकार करना तथा ऋणों को प्रदान करना बैंकिंग की मूल परिभाषा का ही भाग है तथा इन दोनों का संतुलित अनुपात ही विकास का पथ प्रशस्त करता है । यहाँ जिस बात पर ध्यान दिया जाना चाहिए वह यह कि अपने अग्रिम पोर्टफोलियो को विस्तारित किए बिना अन्य बैंकों के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं की जा सकती है । जहाँ तक ब्याज की बात है तो हमारे बैंक की ब्याज दरें कई सार्वजनिक बैंकों की तुलना में काफी कम है जोकि नए ग्राहकों को जोड़ने का मुख्य आकर्षण हो सकती हैं । कई बार देखा गया है कि ऋणों का सही वर्गीकरण नहीं किए जाने, उनके अनर्जक आस्तियों में परिवर्तित होने पर कंपनी को निर्धारित समय सीमा के भीतर रिपोर्ट नहीं करने आदि के चलते बैंक को प्राप्त हो सकने वाली प्रतिपूर्ति प्राप्त नहीं होती है तथा अंततः यह बैंक को हानि के रूप में फलित होती है । चाहें सही ब्याज दरों को सिस्टम में दर्ज़ किया जाना हो अथवा सभी प्रभारों का संग्रहण हो, हमें आपनी आय के रिसाव को रोकने के लिए सभी अवश्यक कदम उठाने होंगे । आप सभी को याद रखना चाहिए कि बूंद-बूंद से ही सागर बनता है तथा इस प्रकार उठाए गए छोटे-छोटे कदम ही अंत में एक बड़े लाभर्जन के रूप में परिणामित होते हैं । मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि अगर हम इसी प्रकार विकास पथ पर अपनी रफ्तार खोए बिना आगे बढ़ते रहे तो हमें शीर्ष के बैंकों में जगह बनाने से कोई नहीं रोक सकता ।

शुभकामनाओं सहित...

अजय कुमार श्रीवास्तव

कार्यपालक निदेशक

कार्यपालक निदेशक महोदया का संदेश

प्रिय सहकर्मियो,

वाणी का नूतन अंक, राजभाषा विशेषांक, आपके हाथों में सौंपते हुए मुझे असीम गौरवानुभूति हो रही है । सफलता की सबसे पहली कसौटी होती है पुरस्कार । इसी क्रम में राजभाषा कार्यान्वयन में हमारे बैंक को गृह मंत्रालय, भारत सरकार से पुरस्कार प्राप्त हुआ, जोकि साबित करता है कि हम अपनी सफलता की कसौटी पर काफ़ी हद तक खरे उतरे हैं । इसके लिए हमारी राजभाषा टीम तथा केन्द्रीय कार्यालय के सभी स्टाफ़ सदस्य बधाई तथा सराहना के पात्र हैं । किन्तु बेहतरी की गुंजाइश हमेशा बनी रहती है और हमें अभी से बैंक में जहाँ-जहाँ भी, जिस-जिस कार्य में भी हिन्दी का प्रयोग किया जा सकता है, वहाँ उसका भरसक प्रयोग करना होगा ताकि वित्तवर्ष 2021-22 के पुरस्कारों की घोषणा में हम शीर्ष पर अपना स्थान सुरक्षित कर सकें । हमें ध्यान रखना होगा कि कहीं भी कोई शिथिलता या कमी उत्पन्न न हो । यदि हम सब अपना-अपना योगदान सही ढंग से देंगे, अपनी भूमिका का निर्वहन समुचित रूप से करेंगे तो कोई कारण नहीं कि हम शीर्ष तक पहुँचने से वंचित रहें । आइए आज हम सब मिल कर प्रण लें कि हम अपने बैंक में राजभाषा हिन्दी को शिखर पर पहुंचाएंगे और सर्वोच्च स्थान सुरक्षित कर बैंक में हिन्दी की गरिमा को और भी बढ़ाएँगे ।

हमारे बैंक ने विषमतम परिस्थितियों में असंभव को संभव कर दिखाया है, यह हमारे ग्राहकों का बैंक पर विश्वास ही था जिसने हमारे कासा के लक्ष्यों को साधने में हमारी मदद की और हम एक लाख करोड़ के जादुई आंकड़े को छू कर एक नया कीर्तिमान स्थापित कर सके हैं । लेकिन ये सारे वित्तीय विवरण एक पक्षीय से जान पड़ते हैं जब ज्ञात है कि कुछ चुनिन्दा शाखाएँ, विभाग, क्षेत्र तथा स्टाफ ही हैं जो सभी कर्मचारियों के औसत से कहीं बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं । चहुंमुखी विकास आज के समय की मांग है तथा हमें उस से कम पर समझौता नहीं करना है । हम अपने लक्ष्यों को साधने के लिए केवल कुछ एक खातों, पोर्टफोलियो पर निर्भर नहीं रह सकते । हमें समग्र रूप से सभी क्षेत्रों से अपनी ब्याज जनित आय को बढ़ाना होगा, फिर चाहें वे सूझबूझ के साथ दिए गए लघु ऋणों से आए, खुदरा ऋणों से आए, योजनाबद्ध ऋणों से आए, एमएसएमई से आए अथवा मध्यम उद्योगों से । हमें विवेक से काम लेना होगा ताकि बैंक की इस विकास गाथा में कीर्ति के कुछ नए सोपान जोड़े जा सकें । इसके लिए हमें दिए गए ऋणों पर पैनी नज़र रखनी होगी । इच्छित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए बैंक के प्रत्येक स्टाफ तथा प्रत्येक शाखा को अपना श्रेष्ठतम देने का प्रयास करना होगा । चाहें लघु ऋण ही सही किंतु सभी शाखाओं को अपने स्तर पर प्रयास करना होगा तथा नए ग्राहकों को जोड़ते हुए नए ऋण स्वीकृत करने होंगे । हमें स्वीकृत ऋणों को एनपीए में फिसलने से रोकना होगा । भले ही यह एक सामान्य सी प्रक्रिया जान पड़ती हो मगर ग्राहक को समय पर दिए अतिदेय संबंधी चेतावनी पत्र का भी अपना एक अलग ही प्रभाव होता है । अभी तक हमने जिन ग्राहकों को बेहतर सेवाएँ प्रदान करते हुए बेहतर बैंकिंग संबंध स्थापित किए हैं, बैंक हित में उन सम्बन्धों से तृतीय पक्षीय उत्पादों तथा पैरा बैंकिंग उत्पादों की बिक्री के माध्यम से भी आय सृजित करनी होगी ताकि बैंक के लाभार्जन को बढ़ाया जा सके । याद रखिए बैंकिंग में सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता तथा हम सभी को कंधे से कंधा मिला कर काम करना होगा ताकि बैंक को नई ऊंचाइयों तक ले जाया जा सके ।

शुभकामनाओं सहित,

एस श्रीमती

कार्यपालक निदेशक

संदेश

महा प्रबंधक महोदय का संदेश

प्रिय साथियो,

वाणी के माध्यम से आप सभी के समक्ष उपस्थित हूँ । मैंने सदैव ही यह पाया है कि वाणी हमारे मध्य विचाराभिव्यक्ति हेतु एक सेतु के दायित्व का निर्वहन करती आई है । आज के इस संदेश को लिखते हुए मुझे असीम हर्ष हो रहा है कि बैंक विगत माह में अपने चिरलक्ष्यित लक्ष्य पीसीए से बाहर आने के सफल रहा है। मैं इस मंच के माध्यम से मैं उन सभी के प्रति आभार तथा अपनी सरहना प्रकट करता हूँ जो प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से बैंक की इस विजय यात्रा के सहभागी रहे । जिनके अथक प्रयासों के चलते ही बैंक अपनी कीर्ति को पुनः प्राप्त कर सका है । अब यह समय नए कीर्तमानों के सृजन का समय है । जहाँ शब्दों का तारतम्य भावनाओं से टूटने लगे वहाँ किसी बड़े लेखक के शब्दों का सहारा लेना समीचीन होता है । ऐसे में आपको दुष्यंत कुमार की कविता की पंक्तियों के साथ अपनी वाणी को स्वर देना चाहूँगा ।

आज ये दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी ।

शर्त लेकिन थी कि ये बुनियाद हिलनी चाहिए ॥

राजभाषा विभाग का प्रभारी होने के नाते मैं हिन्दी कार्यान्वयन के संबंध में कुछ अनुभव आपके साथ साझा करना चाहूँगा । हिन्दी पखवाड़े के दौरान न सिर्फ केंद्रीय कार्यालय में बल्कि क्षेत्रीय कार्यालयों एवं अनेक शाखाओं में विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन हर साल किया जाता है, जिसमें सभी सदस्य गण बढ़चढ़ कर भाग लेते हैं । लेकिन सिर्फ सितंबर माह भर में ही किए गए प्रयास काफी नहीं होते । हिन्दी को उत्तरोत्तर गति से बढ़ावा देने के लिए और अधिक प्रयासों तथा दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ने की आवश्यकता होती है । राजभाषा का कार्य किसी एक दिन या किसी एक माह का कार्य नहीं हैं, यह निर्बाध रूप से चलने वाली प्रक्रिया है । यह किसी एक व्यक्ति या विभाग का भी काम नहीं है, अपितु एक टीम वर्क है । हमें हिन्दी को केवल वार्षिक लक्ष्यों तक सीमित न रख कर इसे संपर्क भाषा, सूत्र भाषा, प्रचार-प्रसार की भाषा व संचार की भाषा बनाना होगा । डिजिटल युग में डिजिटल हिन्दी ही काम आएगी अतः समय के साथ कदम से कदम मिला कर चलते हुए हमें हिन्दी को एकदम आधुनिकतम एवं नवीनतम साँचे में ढालना होगा । यद्यपि, परंपरागत हिन्दी अपनी जगह है किन्तु मुझे विश्वास है कि आने वाले वर्षों में डिजिटल हिन्दी भी अपनी जगह बना ही लेगी ।

हमारा बैंक वित्त वर्ष 2014-15 से लगातार हानि दर्ज कर रहा था । एनपीए हमारे द्वारा अर्जित लाभ को निगल रहा था । एक खुशनुमा उजाले की दस्तक के साथ हमने मार्च तिमाही 2020 में शुद्ध लाभ अर्जित किया । फिर वित्त वर्ष 2020-21 के लिए 831 करोड़ रुपए का शुद्ध लाभ अर्जित कर, न ही सिर्फ अपने स्टाफ सदस्यों का मनोबल बढ़ाया बल्कि अपने प्रमुख शेयरधारकों/ हितधारकों को भी यह विश्वास दिलाया कि आपने सही जगह पर अपना भरोसा दिखाया है । इस क्रम को जारी रखते हुए हमारे बैंक ने जून 2021 तिमाही के लिए भी 327 करोड़ रुपए का शुद्ध लाभ दर्ज़ किया । बैंकिंग उद्योग जगत के लिए पिछला दशक काफी चुनौतीपूर्ण रहा । उस दौरान 11 बैंकों को पीसीए में रखा गया, जिसमें से एक आइओबी भी था । हम अगस्त 2015 से पीएसए के अधीन थे, इस दौरान हमने कई विषम परिस्थितियों का सामना किया और डटे रहें ।

29 सितंबर 2021 का वह ऐतिहासिक क्षण बेहद हर्ष भरा था जब आरबीआइ ने हमें पीसीए से मुक्त किया । यह सभी आइओबियन्स के निरंतर और अथक प्रयासों का ही सुखद परिणाम है । हम सब ने एक जुट हो कर यह सिद्ध कर दिया है कि यदि लगन तथा प्रयास पूर्ण समर्पण से किया जाए तो सफलता निश्चित है । मुझे प्रसन्नता है कि हम लोग सही दिशा में अग्रसर हैं । आइओबियन्स की जो सही क्षमता है, उसको आपने उजागर किया है । मेरा अनुरोध है कि भविष्य में भी आपलोग सत्यनिष्ठा के साथ अपने कर्तव्य का निर्वहन करेंगे और साथ ही बैंक की गरिमा को बनाए रखेंगे ।

दीपोत्सव की अग्रिम शुभकामनाओं सहित ।

भुवन चन्द्र शर्मा

महा प्रबन्धक

उस-उस राही को शुक्रिया

कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेशु कदाचन ।
मा कर्मफलहेतुर्भूर्मा ते सङ्गोडस्त्वकर्मणि ॥

अर्थात तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में ही है, उसके फल की प्राप्ति में कभी नहीं । इसलिए तुम फल प्राप्ति की दृष्टि से कर्म मत करो और न ही ऐसा सोचो कि फल की आशा से कर्म क्यों न करूँ । गीता की इन दो पंक्तियों में मानो समस्त प्राणी जगत का सार समाया सा लगता है । किन्तु जब हम प्रयास करते हैं और उन प्रयासों की परिणीति सराहना के रूप में होती है तो इस निमित प्राप्त पुरस्कार हमारा मनोबल ऊंचा करते हैं, साथ ही श्रेष्ठतम देने के लिए आवश्यक ईंधन का भी कार्य करते हैं । आइओबी की विकास यात्रा में हाल ही में राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार की ओर से राजभाषा कीर्ति के रूप में प्राप्त पुरस्कार तापक एक मील का पत्थर और जुड़ा गया, जिसे बैंक के केन्द्रीय कार्यालय को वर्ष 2020-21 ले लिए 800 से कम कार्मिकों वाले कार्यालयों की श्रेणी में राजभाषा कार्यान्वयन के लिए प्रदान किया गया था । असल मायनों में राजभाषा के क्षेत्र में प्राप्त कोई भी पुरस्कार महज़ राजभाषा विभाग के नहीं बल्कि कार्यालय के सभी स्टाफ़ सदस्यों के सामूहिक प्रयासों का प्राप्य होता है जिसके लिए मैं सभी स्टाफ़ सदस्यों को तह-ए-दिल से बधाई तथा धन्यवाद देता हूँ ।

साथियो, हर बार की तरह एक और तिमाही गुज़र गई मगर जब बात सितम्बर तिमाही की होती है तो ये अपने आप में कुछ अलग तथा कुछ खास होती है । हिन्दी दिवस के चलते मानो सम्पूर्ण कार्यालय ही हिन्दीमय हो जाता है, अगस्त और सितंबर माह सदैव ही हमारे लिए महत्वपूर्ण तथा उद्देश्य मूलक होता हैं । एक ओर जहाँ अगस्त आज़ादी के संघर्ष की गाथा का उद्घोषक है, तो वहीं दूसरी ओर सितंबर हमारी राजभाषा के सतत विकास को सुनिश्चित करते हुए उसे उसके उचित सामाजिक स्थान दिलाने के संकल्प को याद करने और उसके संवैधानिक स्थान प्राप्ति की वर्षगांठ है । जिस तरह स्वराज तत्समयिक की मांग थी, उसी तरह हमारी राजभाषा को उसका न्यायोचित स्थान दिलाना आज की मांग है । ऐसी स्थिति में जब देश आज़ादी के अमृत महोत्सव के जश्न में डूबा हुआ है, ये हम सभी का दायित्व बनता है कि हम भी विदेशी भाषा के ऊपर अपनी निर्भरता को कम करते हुए हिंदी तथा स्थानीय भाषा को अपनी दैनंदिन की कार्यपद्धति का हिस्सा बनाएँ ।

जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि वाणी का सितंबर तिमाही अंक राजभाषा विशेषांक के रूप में प्रकाशित किया जाता है, इस अंक में हमने प्रयास किया है कि कुछ ऐसे लेख अपने पाठकों के सम्मुख परोसे जाएँ जो आपको बैंकिंग तथा भाषा से जुड़े विविध आयामों में राजभाषाई दृष्टिकोण से मंथन हेतु कुछ नए मत प्रदान कर सकें । पत्रिका के अंक में हम प्रदक्षिणा स्तम्भ के माध्यम से आपको होली चर्च ऑफ सेपुल्कर की यात्रा पर ले चलेंगे, जिसका अपना वृहत्त इतिहास है । इसी के साथ आपको इस अंक में महात्मा गांधी से जुड़े दो लेख पढ़ने को मिलेंगे जो आपको गांधी जी से जुड़े कुछ कहे-अनकहे रोचक किस्सों से अवगत करवाएँगे । यहाँ यह जोड़ना समीचीन लग रहा है कि मैं अक्तूबर माह में अपने कार्यालयी दायित्वों से निवृत हो रहा हूँ और वाणी के माध्यम से ये मेरा आप सभी से अंतिम संवाद है अतः उन सभी वरिष्ठ तथा साथियों को इस मंच के माध्यम से धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा, जिन्होंने प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से मुझे प्रभावित किया तथा मेरे इस कार्यालयी जीवन में बेहतर करने की प्रेरणा दी । मुझे आशा है कि 'वाणी' को हमेशा की ही तरह आप सभी का स्नेह तथा सराहना प्राप्त होती रहेगी । आपकी प्रतिक्रियाओं की प्रतीक्षाओं में, शुभकामनाओं सहित...

सुरेश कुलकर्णी
उप महा प्रबन्धक एवं संपादक

केन्द्रीय सतर्कता आयोग : एक परिचय

मलय कुमार
मुख्य प्रबंधक, सतर्कता विभाग
केन्द्रीय कार्यालय

केन्द्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना :-

सतर्कता के क्षेत्र में केन्द्रीय सरकारी एजेंसियों को सलाह तथा मार्गदर्शन देने हेतु, श्री के.संथानम की अध्यक्षता वाली भ्रष्टाचार निवारण समिति की सिफारिशों पर सरकार ने फरवरी,1964 में केन्द्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना की ।

केन्द्रीय सतर्कता आयोग की पृष्ठभूमि :

केन्द्रीय सतर्कता आयोग की अवधारणा एक शीर्षस्थ सतर्कता संस्थान के रूप में की गई है जो किसी भी कार्यकारी प्राधिकारी के नियंत्रण से मुक्त है तथा केन्द्र सरकार के अन्तर्गत आने वाले सभी सतर्कता गतिविधियों की निगरानी करता है एवं केन्द्र सरकार के संगठनों में विभिन्न प्राधिकारियों को उनके सतर्कता कार्यों की योजना बनाने, निष्पादन करने,समीक्षा करने तथा सुधार करने में सलाह देता है ।

राष्ट्रपति द्वारा एक अध्यादेश जारी किए जाने के फलस्वरूप केन्द्रीय सतर्कता आयोग को 25 अगस्त, 1988 को "सांविधिक दर्जा" देकर एक बहुसदस्यीय आयोग बनाया गया है।

केन्द्रीय सतर्कता आयोग को संवैधानिक दर्जा :

वर्ष 2003 में, संसद के दोनों सदनों द्वारा केन्द्रीय सतर्कता आयोग विधेयक पारित किया गया तथा राष्ट्रपति ने 11 सितम्बर,2003 को इस विधेयक को स्वीकृति प्रदान की । इसप्रकार,केन्द्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम, 2003 (2003 की संख्या 45), दिनांक 11 सितंबर, 2003 से प्रभावी हुआ ।

आयोग की संरचना निम्नानुसार है :

- केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त (एक) - अध्यक्ष
- सतर्कता आयुक्त (दो से अधिक नहीं) - सदस्य

अप्रैल, 2004 के 'लोकहित प्रकटीकरण एवं मुखबिर संरक्षण' पर भारत सरकार के संकल्प द्वारा भ्रष्टाचार के किसी भी आरोप को प्रकट करने अथवा कार्यालय का दुरूपयोग करने सम्बन्धित लिखित शिकायतें प्राप्त करने तथा उचित कार्रवाई की सिफारिश करने वाली एक 'नामित एजेंसी' के रूप में केन्द्रीय सतर्कता आयोग को प्राधिकृत किया है।

भूमिका और कार्य

- दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना (केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो) के कार्यकरण का अधीक्षण करना जहां तक वह भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के धारा 8 (1) (क) अधीन अपराधों अथवा लोक सेवकों की कतिपय श्रेणियों के लिए दंड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत किसी अपराध के अन्वेषण से संबंधित है ।
- दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना (केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो) को अधीक्षण के लिए निर्देश देना जहां तक इनका संबंध भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के अन्तर्गत धारा 8 (1) (ख) अपराधों के अन्वेषण से है ।
- धारा 8 (1) (ग) के तहत केन्द्रीय सरकार द्वारा भेजे गए किसी संदर्भ पर जांच करना अथवा जांच या अन्वेषण किया जाना है ।
- केन्द्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम, 2003 की धारा 8 (1) (घ)की उपधारा 2 में विनिर्दिष्ट पदाधिकारियों के ऐसे प्रवर्ग से संबंधित किसी पदधारी के विरूद्ध प्राप्त किसी शिकायत में जांच करना या जांच अथवा अन्वेषण कराना ।
- भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के धारा 8 (1) (ड) के अधीन अभिकथित रूप से किए गए अपराधों में अथवा दण्ड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत किसी अपराध में दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन द्वारा किए गए अन्वेषणों की प्रगति का पुनर्विलोकन करना ।
- भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के धारा 8 (1) (च) के अधीन अभियोजन की मंजूरी के लिए सक्षम प्राधिकारियों के पास लंबित आवेदनों की प्रगति का पुनर्विलोकन करना ।
- केन्द्रीय सरकार तथा इसके संगठनों को ऐसे मामलों पर सलाह देना जो इनके द्वारा आयोग को भेजे जाएंगे ।
- विभिन्न केन्द्रीय सरकारी मंत्रालयों, विभागों तथा केन्द्रीय सरकार के संगठनों के सतर्कता प्रशासन पर अधीक्षण रखना ।
- किसी भी जांच का संचालन करते समय आयोग को सिविल न्यायालय के सभी अधिकार प्राप्त होंगे ।
- संघ के कार्यों से संबंधित लोक सेवाओं तथा पदों पर नियुक्त व्यक्तियों से संबंधित अथवा अखिल भारतीय सेवाओं के सदस्यों से संबंधित सतर्कता अथवा अनुशासनिक मामलों का नियंत्रण करने वाले कोई भी नियम अथवा विनियम बनाने से पहले आयोग से किए जाने अनिवार्य परामर्श पर केन्द्र सरकार को उत्तर देना ।
- केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त उस समिति के अध्यक्ष हैं तथा दोनों सतर्कता आयुक्त सदस्य हैं जिसकी सिफारिशों पर केन्द्रीय सरकार, प्रवर्तन निदेशक की नियुक्ति करती है ।
- प्रवर्तन निदेशक की नियुक्ति से संबंधित समिति को यह अधिकार भी है कि वह प्रवर्तन निदेशालय में उप निदेशक तथा इससे ऊपर के स्तर के पदों पर अधिकारियों की नियुक्ति के लिए, प्रवर्तन निदेशक से परामर्श करने के पश्चात अपनी सिफारिशें दें ।
- केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त उस समिति के अध्यक्ष हैं तथा दोनों सतर्कता आयुक्त सदस्य हैं जिसे दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन (केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो) में पुलिस अधीक्षक तथा इससे ऊपर के स्तर के पदों, निदेशक को छोड़कर, अधिकारियों की नियुक्ति तथा इन अधिकारियों के कार्यकाल का विस्तारण अथवा लघुकरण करने के लिए, निदेशक (केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो) से परामर्श करने के पश्चात् अपनी सिफारिशें देने का अधिकार प्राप्त है ।

संगठन की संरचना :

केन्द्रीय सतर्कता आयोग का अपना स्वयं का सचिवालय, मुख्य तकनीकी परीक्षक खंड तथा एक विभागीय जांच आयुक्त खंड है।

सचिवालय :

सचिवालय में भारत सरकार के अपर सचिव के स्तर के एक सचिव, भारत सरकार के संयुक्त सचिव के स्तर के चार अधिकारी, निदेशक/उप-सचिव के स्तर के तीस अधिकारी (दो विशेष कार्य अधिकारियों सहित), चार अवर सचिव तथा कार्यालय स्टाफ हैं ।

मुख्य तकनीकी परीक्षक खंड :

मुख्य तकनीकी परीक्षक संगठन, केन्द्रीय सतर्कता आयोग (भारत) का तकनीकी खंड है तथा इसमें मुख्य इंजीनियर के स्तर के दो इंजीनियर (मुख्य तकनीकी परीक्षक के रूप में पदनामित) तथा सहायक इंजीनियरिंग स्टाफ है। इस संगठन को सौंपे गए मुख्य कार्य निम्न हैं:

- सरकारी संगठनों के निर्माण कार्यों का सतर्कता के पहलू से तकनीकी अंकेक्षण करना
- निर्माण कार्यों से संबंधित शिकायतों के विशिष्ट मामलों का अन्वेषण करना
- तकनीकी मामलों वाले अन्वेषणों तथा दिल्ली में संपत्तियों का मूल्यांकन करने में केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो की सहायता करना, तथा तकनीकी मामलों वाले सतर्कता मामलों में आयोग तथा मुख्य सतर्कता अधिकारियों को सलाह/सहायता देना।

विभागीय जांच आयुक्त :

आयोग में विभागीय जांच आयुक्तों के 14 पद हैं, जिनमें से 11 पद निदेशक स्तर के तथा 03 पद उप सचिव स्तर के हैं । विभागीय जांच आयुक्त, लोक सेवकों के विरूद्ध प्रारंभ की गई विभागीय कार्यवाहियों में मौखिक जांच करने के लिए जांच अधिकारी के रूप में कार्य करते हैं।

केन्द्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम के अन्तर्गत आयोग का अधिकार क्षेत्र:

- अखिल भारतीय सेवाओं के सदस्य जो संघ के कार्यों के संबंध में सेवा कर रहे हैं तथा केन्द्रीय सरकार के समूह 'क' अधिकारी ।
- सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में श्रेणी-V के स्तर के तथा उससे ऊपर के स्तर के अधिकारी ।
- भारतीय रिजर्व बैंक नाबार्ड तथा सिडबी में श्रेणी 'घ' तथा इससे ऊपर के स्तर के अधिकारी ।
- अनुसूची 'क' तथा 'ख' सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में मुख्य कार्यपालक तथा कार्यपालक मण्डल एवं ई-8 तथा इससे ऊपर के अन्य अधिकारी ।
- अनुसूची 'ग' तथा 'घ' सार्वजनिक उपक्रमों में मुख्य कार्यपालक तथा कार्यपालक मण्डल एवं ई-7 तथा इससे ऊपर के अन्य अधिकारी।
- सामान्य बीमा कंपनियों में प्रबंधक एवं इससे ऊपर के अधिकारी ।
- जीवन बीमा निगमों में वरिष्ठ मण्डलीय प्रबंधक एवं इससे ऊपर के अधिकारी।
- समितियों तथा अन्य स्थानीय प्राधिकरणों में अधिसूचना की तिथि को तथा समय-समय पर यथासंशोधित अनुसार केन्द्र सरकार डी.ए. के प्रतिमान पर 8700/- रू० प्रतिमाह तथा इससे ऊपर वेतन पाने वाले अधिकारी।

मुख्य सतर्कता अधिकारी - भूमिकाएं और कार्य :

मुख्य सतर्कता अधिकारी सीवीसी का ही वृहत्त रूप माना जाता है। मुख्य सतर्कता अधिकारी काफी उच्च स्तर के अधिकारी होते हैं, जिन्हें प्रत्येक विभाग/संगठन में सभी सतर्कता मामलों में विभाग/संगठन के प्रमुख की सहायता के लिए नियुक्त किया जाता है ।

मुख्य सतर्कता अधिकारियों के लिए चयन और नियुक्ति प्रक्रिया:

मुख्य सतर्कता अधिकारी संबंधित संगठनों और केंद्रीय सतर्कता आयोग (साथ ही सीबीआई) के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी का गठन करते हैं । सीवीओ की नियुक्ति के मामले में निम्नलिखित प्रक्रियाएं निर्धारित/विकसित की गई हैं:

- सीवीओ के रूप में एक अधिकारी की नियुक्ति के लिए आयोग का पूर्वानुमोदन;
- जहां तक संभव हो, मुख्य सतर्कता अधिकारी उस संगठन के बाहर से होने चाहिए जिसमें उसकी नियुक्ति की जानी है। पीएसयू में पूर्णकालिक सीवीओ का प्रारंभिक कार्यकाल तीन वर्षों के लिए है जिसे आयोग के अनुमोदन से एक ही संगठन में दो साल तक बढ़ाया जा सकता है या तीन साल के प्रारंभिक कार्यकाल पिछले पीएसयू के पूरा होने पर किसी अन्य पीएसयू में स्थानांतरण पर तीन साल की और अवधि तक बढ़ाया जा सकता है।
- ऐसे मामलों में जहां किसी विशेष संगठन के संचालन का पैमाना पूर्णकालिक पद के निर्माण को उचित नहीं ठहराता है, संगठन के भीतर एक अधिकारी जो मुख्य कार्यकारी या सतर्कता मामलों को सीधे रिपोर्ट करने में सक्षम होने के लिए पर्याप्त रूप से वरिष्ठ रैंक परअधिकारी के लिए नियुक्तियों पर विचार किया जा सकता है।
- सीवीओ के पद का अतिरिक्त प्रभार दिए जाने वाले अधिकारी ऐसा नहीं होना चाहिए जिसके सामान्य कर्तव्यों में सतर्कता के दृष्टिकोण से संवेदनशील मामलों (जैसे भर्ती, खरीद, आदि) से निपटना शामिल हो;
- एक बार जब कोई अधिकारी किसी संगठन में सीवीओ के रूप में काम कर लेता है, तो उसे फिर से उसी संगठन में सीवीओ के रूप में वापस नहीं जाना चाहिए;
- एक अधिकारी जिसे केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रम में सीवीओ के रूप में बाहर से नियुक्त किया जाता है, उस संगठन में सीवीओ के रूप में अपने कार्यकाल की समाप्ति पर या उसके कार्यकाल की समाप्ति पर स्थायी रूप से उसी संगठन में शामिल नहीं किया जाएगा; तथा
- एक संगठन में "सतर्कता" और "सुरक्षा" कार्यों को अलग-अलग किया जाना चाहिए क्योंकि दोनों गतिविधियां समान रूप से मांग कर रही हैं और मुख्य सतर्कता अधिकारी द्वारा "सुरक्षा" कार्यों का निर्वहन केवल सतर्कता मामलों पर पर्यवेक्षण को कमजोर करता है । हालांकि, होटल उद्योग के संबंध में एक अपवाद बनाया गया है ।

मुख्य सतर्कता अधिकारियों की भूमिका और कार्य :

भले ही भ्रष्टाचार और अन्य कदाचारों का पता लगाना और सजा देना निश्चित रूप से महत्वपूर्ण है, लेकिन जो अधिक महत्वपूर्ण है, वह भ्रष्टाचार के बाद के चरण में दोषियों की तलाश करने के बजाय निवारक उपाय करना है । इसलिए, सीवीओ की भूमिका और कार्यों को मोटे तौर पर दो भागों में विभाजित किया गया है, जो हैं।

(I) निवारक और (II) दंडात्मक

निवारक पक्ष पर सीवीओ विभिन्न उपाय करते हैं, जिनमें शामिल हैं:

भ्रष्टाचार या कदाचार के दायरे को खत्म करने या कम करने की दृष्टि से संगठन के मौजूदा नियमों और प्रक्रियाओं की विस्तार से जांच करना;

संगठन में संवेदनशील/भ्रष्टाचार संभावित स्थानों की पहचान करना और ऐसे क्षेत्रों में तैनात कर्मियों पर नजर रखना;

प्रणाली की विफलताओं और भ्रष्टाचार या कदाचार के अस्तित्व का पता लगाने के लिए औचक निरीक्षण और नियमित निरीक्षण की योजना बनाना और लागू करना;

संदिग्ध सत्यनिष्ठा वाले अधिकारियों पर उचित निगरानी रखना; तथा अधिकारियों की सत्यनिष्ठा से संबंधित आचरण नियमों का त्वरित पालन सुनिश्चित करना, जैसे

- अधिकारियों द्वारा स्वीकार किए गए उपहार
- वार्षिक संपत्ति रिटर्न

- बेनामी लेनदेन
- निजी फर्मों में कार्यरत या निजी व्यवसाय आदि करने वाले रिश्तेदारों के संबंध में।

निवारक सतर्कता में संगठन, उसकी नीतियों और उसके लोगों का अध्ययन करना शामिल है; और प्रभावी उपायों को लागू करना ताकि ये भ्रष्टाचार की चपेट में न आएं।

निवारक सतर्कता बैंक के शीर्ष प्रबंधन की ओर से निरंतर निगरानी का प्रतीक है ताकि संगठन और उसके ग्राहकों के लिए प्रतिकूल वित्तीय प्रभाव वाली किसी भी अप्रिय घटना को होने से रोका जा सके ।

अपने कार्यों के लिए जवाबदेह होने के लिए, जनहित में कार्य करना,व्यक्तिगत व्यवहार में ईमानदारी का प्रदर्शन करते हुए उदाहरण पेश करना आदि ।

विजिल ब्लोअर नीति कर्मचारियों को किसी भी प्रकार के अनुचित कार्य या आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में अपनी चिंता व्यक्त करने का अधिकार देती है जिसमें काम पर धोखाधड़ी, घोटाला भ्रष्टाचार आदि की किसी भी घटना की सूचना उपयुक्त एजेंसी को देना शामिल हैं । यह विजिल ब्लोअर नीति या विजिल ब्लोइंग का मुख्य उद्देश्य है ।

दंडात्मक पक्ष पर:

सभी स्तरों पर सतर्कता मामलों की त्वरित कार्यवाही सुनिश्चित करना । केंद्रीय सतर्कता आयोग के साथ परामर्श की आवश्यकता वाले मामलों के संबंध में, यह निर्णय कि क्या मामले में सतर्कता का दृष्टिकोण था, प्रत्येक मामले में सीवीओ द्वारा लिया जाएगा, जो संदेह होने पर मामले को अपने प्रशासनिक प्रमुख अर्थात सचिव को संदर्भित कर सकते हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के संगठनों के मामले में मंत्रालयों/विभागों और मुख्य कार्यकारी के मामले में;

- यह सुनिश्चित करने के लिए कि आरोप-पत्र, आरोप-प्रत्यारोप, गवाहों की सूची और दस्तावेजों आदि को सावधानीपूर्वक तैयार किया गया है और सभी दस्तावेजों की प्रतियां और अनुशासनात्मक प्राधिकारी की ओर से उद्धृत गवाहों के बयान, जहां भी संभव हो, चार्जशीट के साथ आरोपी अधिकारी को आपूर्ति की जाती है।
- यह सुनिश्चित करने के लिए कि जांच अधिकारी को अग्रेषित करने के लिए आवश्यक सभी दस्तावेजों को सावधानीपूर्वक हल किया गया है और तुरंत भेजा गया है;
- यह सुनिश्चित करने के लिए कि जांच अधिकारी की नियुक्ति में कोई देरी नहीं है, और आरोपी अधिकारी या प्रस्तुतकर्ता अधिकारी द्वारा कोई देरी करने की रणनीति नहीं अपनाई जाती है;
- यह सुनिश्चित करने के लिए कि अनुशासनिक प्राधिकारी के अंतिम आदेशों के लिए जांच अधिकारी की रिपोर्ट का प्रसंस्करण ठीक से और शीघ्रता से किया जाता है;
- मंत्रालय/विभाग के अधीनस्थ अनुशासनिक प्राधिकारियों द्वारा पारित अंतिम आदेशों की जांच करना, यह देखने के लिए कि समीक्षा के लिए मामला बनता है या नहीं;
- यह देखने के लिए कि सीबीआई को उचित सहायता दी जाती है। उन्हें सौंपे गए या उनके द्वारा सूचना के अपने स्रोत पर शुरू किए गए मामलों की जांच में;
- आरोपी अधिकारियों द्वारा दायर रिट याचिकाओं के संबंध में उचित और पर्याप्त कार्रवाई करना;
- यह सुनिश्चित करने के लिए कि केंद्रीय सतर्कता आयोग से उन सभी चरणों में परामर्श किया जाता है जहां परामर्श किया जाना है और जहां तक संभव हो, विभिन्न चरणों के लिए सतर्कता नियमावली में निर्धारित समय सीमा का पालन किया जाता है;
- आयोग को विवरणियां शीघ्र प्रस्तुत करना सुनिश्चित करना;
- सतर्कता कार्य के अधीनस्थ अधिकारियों के लिए मंत्रालय/विभाग में सतर्कता कार्य की मौजूदा व्यवस्थाओं की समय-समय पर समीक्षा करना ताकि यह देखा जा सके कि क्या वे सतर्कता कार्य के त्वरित और प्रभावी निपटान को सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त हैं;
- यह सुनिश्चित करने के लिए कि सक्षम अनुशासनिक प्राधिकारी सतर्कता मामलों को संसाधित करने में विलंबकारी या कानूनी रवैया नहीं अपनाते हैं, इस प्रकार जानबूझकर विशेष रूप से सेवानिवृत्त होने वाले अधिकारियों के मामलों में अन्यथा विषय लोक सेवकों की मदद करते हैं,
- यह सुनिश्चित करने के लिए कि सेवानिवृत्ति के कगार पर लोक सेवकों के खिलाफ मामले फाइलों के गुम होने आदि जैसे कारणों से समय-सीमा के कारण व्यपगत न हों और सेवानिवृत्त अधिकारियों के मामलों में पारित आदेशों को समय पर लागू किया जाए;
- यह सुनिश्चित करने के लिए कि अनुशासनात्मक मामले में आरोप पत्र तामील करने की तारीख से जांच अधिकारी की रिपोर्ट प्रस्तुत करने की अवधि, सामान्यतया, छह महीने से अधिक नहीं होनी चाहिए।

सतर्कता जागरूकता सप्ताह – 2021

1999 से हर साल 31 अक्टूबर से शुरू होने वाले सप्ताह को सतर्कता जागरूकता सप्ताह के रूप में मनाये जाने का निर्णय लिया गया । 31 अक्टूबर का महत्व का इसलिए भी है कि इसीदिन भारत के बिस्मार्क कहे जाने वाले माननीय सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्मदिन भी है ।

केंद्रीय सतर्कता आयोग देश के शीर्ष भ्रष्टाचार विरोधी निकाय के रूप में सार्वजनिक जीवन में अखंडता, पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देने का प्रयास करता है। हर साल सतर्कता जागरूकता सप्ताह का आयोजन आयोग के बहु-आयामी दृष्टिकोण का एक हिस्सा है जिसमें सभी हितधारकों को सामूहिक रूप से निवारक सतर्कता उपायों में भाग लेने और भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने के लिए प्रोत्साहित करना है और भ्रष्टाचार से उत्पन्न खतरा के अस्तित्व और गंभीरता के बारे में जन जागरूकता बढ़ाना है।

आयोग को उम्मीद है कि सभी केंद्र सरकार और उसके संगठन सार्वजनिक जीवन में भ्रष्टाचार को खत्म करने के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए उत्साह और उत्साह के साथ विभिन्न गतिविधियों का संचालन करेंगे। हालांकि गतिविधियों को सतर्कता जागरूकता सप्ताह के दौरान आयोजित करने की आवश्यकता है, तथापि, अत्यावश्यकता/छुट्टियों आदि के मामले में इसे सतर्कता जागरूकता सप्ताह के पहले या बाद में आयोजित किया जा सकता है ।

सतर्कता जागरूकता सप्ताह के दौरान संगठनों के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को वस्तुतः सत्यनिष्ठा शपथ दिलाई जाती है । पखवाड़े के दौरान आयोजित होने वाली निबंध प्रतियोगिता, पोस्टर प्रतियोगिता, स्लोगन लेखन प्रतियोगिता, वेबिनार, प्रश्नोत्तरी, ग्राम सभा आदि जैसी विभिन्न गतिविधियों की योजना न केवल हमारे बैंक के अधिकारियों बल्कि उनके परिवारों और सामान्य नागरिकों द्वारा भागीदारी के लिए बनाई गई है ।

हर साल आयोग इसे मनाने के लिए एक नयी थीम जारी करता है।

केन्द्रीय सतर्कता आयोग ने निर्णय लिया है कि इस वर्ष 26 अक्टूबर से 1 नवंबर, 2021 तक सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया जाएगा, जिसका विषय है -

(स्वतंत्र भारत @75 : सत्यनिष्ठा से आत्मनिर्भरता)

विभिन्न वर्षों के सतर्कता जागरूकता सप्ताह की थीम निम्नानुसार है –

क्रम सं.	वर्ष	अंग्रेजी में सतर्कता जागरूकता सप्ताह की थीम	हिंदी में सतर्कता जागरूकता सप्ताह की थीम
1	2021	Independent India @75 : Self Reliance with Integrity	स्वतंत्र भारत @75 : सत्यनिष्ठा से आत्मनिर्भर
2	2020	Vigilant india , prosperous India	सतर्क भारत, समृद्ध भारत
3	2019	Integrity- A Way of Life	सत्यनिष्ठता - एक जीवन शैली
4	2018	Eradicate Corruption-Build a New India	भ्रष्टाचार हटाएँ - नया भारत बनाएँ
5	2017	My vision- Corruption Free India	मेरा सपना - भ्रष्टाचार मुक्त भारत
6	2016	Public participation in promoting integrity and combating corruption	सत्यनिष्ठता को बढ़ावा देने तथा भ्रष्टाचार से लड़ने में जन सहभागिता
7	2015	Preventive Vigilance as a tool for Good Governance	सुसाशन के लिए एक उपकरण के रूप में निवारक सतर्कता
8	2014	Combating Corruption - Technology as an Enabler	भ्रष्टाचार से मुकाबला - प्रौद्योगिकी एक प्रवर्तक के रूप में
9	2013	Promoting Good Governance-Positive Contribution of Vigilance	सुसाशन को बढ़ावा – सतर्कता हेतु सकारात्मक योगदान
10	2012	Transparency in Public Procurement	सार्वजनिक खरीद में पारदर्शिता
11	2011	Participative Vigilance	सहभागिता सतर्कता
12	2010	Generation of awareness and publicity against Corruption	जागरूकता का सृजन एवं भ्रष्टाचार के विरुद्ध प्रचार
13	2009	Integrity-A way of life	सत्यनिष्ठता – एक जीवन शैली
14	2008	Awareness about PIDPI Complaints	पीआइडीपीआइ शिकायतों के संबंध में जागरूकता
15	2007	Awareness on efficiency and transparency in the organisation's customer-oriented programmes	संस्थानों में ग्राहकोन्मुख कार्यक्रमों के माध्यम से दक्षता एवं पारदर्शिता पर जागरूकता
16	2006	Awareness among the users of the services provided by the departments/ organisations	विभागों / संगठनों द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं के बारे में उपयोगकर्ताओं के बीच जागरूकता
17	2004	Education of customers/clients and the users of the services on Vigilance Awareness Week	सतर्कता जागरूकता सप्ताह पर ग्राहकों / क्लाइंटसों एवं सेवा के उपयोगकर्ताओं को शिक्षित करना
18	2003	preventive vigilance	सतर्कता जागरूकता

निष्कर्ष : संस्थानों के अधिकारियों के लिए समय समय पर सतर्कता विषय पर जागरूकता पैदा करने के लिए प्रशासनिक और निवारक सतर्कता पर प्रशिक्षण सत्र अवश्य आयोजित किए जाने चाहिए । एक जागरूक एवं प्रतिबद्ध कर्मचारी को सतर्कता संबंधी सभी प्रावधानों एवं नीतियों की जानकारी अवश्य रखनी चाहिए । ग्राहक बैठक के दौरान सतर्कता संबंधी प्रावधानों, विजिल ब्लोअर, पीआईडीपीआई विषयक नीतियों पर अवश्य चर्च करें । एक सतर्क एवं समृद्ध भारत बनाने में भारत के हर नागरिक का योगदान अनिवार्य है ।

आइये संकल्प करें कि "हम मिलकर भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे ।"

राष्ट्रीय शिक्षा नीति और हिंदी

नगेन्द्र कुमार सिंह
प्रबन्धक
केन्द्रीय कार्यालय

किसी भी राष्ट्र की सीमा भले ही भौगोलिक दायरों तक सीमित हो सकती है । किंतु उस राष्ट्र में रहने वाले नागरिकों की सोच पूरे विश्वपटल को प्रभावित करती है । भारत 'वसुधैव कुटुम्बकम' पर विश्वास करने वाला एक संस्कृति प्रधान देश है एवं हर भारतीय के लिए सारी दुनिया एक परिवार की भाँति है । किसी भी गरिमामयी संस्कृति प्रधान राष्ट्र का निर्माण सिर्फ मुठ्ठी भर लोगों के योगदान से नहीं हो सकता है, बल्कि राष्ट्र देश के हर नागरिक के सहयोग से समृद्ध होता है । देश के विकास में हर व्यक्ति का योगदान प्राप्त करने के लिए, पहले सभी नागरिकों को शिक्षित करना एक अनिवार्य शर्त है । अखंड भारत को एकता रूपी सूत्र में पिरोकर रखने का कार्य शिक्षा ही कर सकती है । भारत की आजादी के पश्चात तत्कालीन मंत्रीमंडल के समक्ष अपने देश के सभी नागरिकों को शिक्षित करना एक चुनौती बनकर उभरा था । हर तबके के लोगों के लिए शिक्षा प्राप्ति का मार्ग सुगम बनाने के उद्देश्य से भारत में अब तक कुल तीन राष्ट्रीय शिक्षा नीतियाँ तैयार की गई हैं – प्रथम 1968 में भूतपूर्व प्रधान मंत्री श्रीमती इंदिरा गाँधी, द्वितीय 1986 में भूतपूर्व प्रधान मंत्री श्री राजीव गाँधी और तृतीय 2020 में तत्कालीन प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में प्रकाश में आई । इन नीतियों के अमल में आने से शिक्षा जगत में कई आमूल – चूल परिवर्तन हुए हैं और अनेकों परिवर्तनों की संभावनाएँ बनी हुई हैं । जब बात शिक्षा पर होती है, तो शिक्षा देने और प्राप्त करने के माध्यम पर भी विचार-विमर्श करना अनिवार्य हो जाता है । शिक्षा की कल्पना भाषा के बगैर नहीं की जा सकती । हम विस्तार से राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर चर्चा करते हुए उस नीति में उल्लिखित भाषा के संदर्भ में आगे विमर्श करेंगे ।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 → **राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986** → **राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020**

भारतीय संविधान में नागरिकों को छ: मौलिक अधिकार प्रदत्त हैं – समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार तथा संवैधानिक उपचारों का अधिकार । भारतीय संविधान के अनुसार भारत के हर नागरिक, चाहे वह किसी भी समुदाय या जाति या लिंग का हो, उसे शिक्षा प्राप्त करने का हक है । अब, यह जिम्मेदारी सरकार की बनती है कि वह यह सुविधा जन-जन तक कैसे पहुँचाए । हमारा देश शिक्षा के मामले में - ग्रामीण भारत और शहरी भारत के नाम से दो खंडों में बँटा हुआ है । शहरों में जो शिक्षा का स्तर व माध्यम उपलब्ध है, वह हमारे गाँवों को आज भी उपलब्ध नहीं हो पाया है । गाँवों और शहरों के बीच में शिक्षा के स्तर संबंधी बनी खाई को पाटना आज के समय की माँग है । सरकारी और निजी स्कूलों में शिक्षा के स्तरों के बारे में लोगों में कई वैचारिक मतभेद बने हुए है । इस पर गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है ।

भारतीय समाज में शिक्षा को सम्मानीय स्थान प्राचीन काल से ही प्राप्त है । भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में सम्मिलित सभी महान नेताओं ने शिक्षा की मौलिकता पर जोर देते हुए, उसे राष्ट्र के विकास के लिए महत्वपूर्ण माना था । महात्मा गांधी जी ने बुनियादी शिक्षा की योजना तैयार की, जिसमें बौद्धिक और शारीरिक कार्य में सामंजस्य स्थापित करने की मांग की गई थी । शिक्षा को लोगों के जीवन से सीधे तौर पर प्रासंगिक बनाने की दिशा में यह एक बड़ा कदम था । 1947 में भारत आजाद होने के पश्चात, केंद्र सरकार ने गाँवों और शहरों में पनपी निरक्षरता को कम करने के लिए कई कार्यक्रम आयोजित किए । भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री श्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के समक्ष देश की शिक्षा व्यवस्था पर नियंत्रण और उसमें एकरूपता लाना एक गंभीर समस्या बनकर उभरी थी । केंद्र सरकार द्वारा शिक्षा व्यवस्था में एकरूपता लाने और भारतीय शिक्षा व्यवस्था को आधुनिक रूप देने के उद्देश्य से विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग (1948-1949), माध्यमिक शिक्षा आयोग (1952-1953), विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और कोठारी आयोग (1964-1966) का गठन किया गया । शिक्षा आयोग का गठन सरकार ने "शिक्षा का राष्ट्रीय पैटर्न और सभी स्तरों पर एवं सभी पहलूओं में शिक्षा के विकास के लिए सामान्य सिद्धांत और नीति" विषय पर सलाह हेतु किया । साथ ही, विज्ञान पर प्रस्ताव भारत के प्रथम प्रधान मंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की सरकार द्वारा अपनाया गया । यहाँ यह तथ्य विचारणीय है कि नेहरू सरकार ने उच्च गुणवत्ता वाले वैज्ञानिक शिक्षण संस्थानों के विकास को प्रायोजित करने के क्रम में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों (आईआईटी) को स्थापित किया । इन प्रयासों के फलस्वरूप भारत में प्रथम आईआईटी खड़गपुर, पश्चिम बंगाल में सितम्बर 1950 में स्थापित किया गया । 1961 में, केंद्र सरकार ने स्वायत्त संस्थान के रूप में राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी) स्थापित किया, जो शिक्षा नीति के गठन और कार्यान्वयन के संबंध में राज्य और केंद्र सरकार दोनों को सलाह देता है ।

शिक्षा किसी भी देश की आर्थिक व सांस्कृतिक विकास, राष्ट्रीय अखंडता और समाजवादी पैटर्न को समझने के लिए अनिवार्य होती है । शिक्षा के माध्यम से नैतिकता और सामाजिक मूल्यों को स्थापित करने में मदद मिलता है । हमारी शिक्षा पद्धति इस सोच के साथ बनायी गयी है कि हमारे नौजवान बच्चे एवं बच्चियाँ अच्छे आचरण को अपनाएंगे और राष्ट्रीय सेवाओं में आकर देश के विकास में अपना अहम योगदान देंगे । शिक्षा का उद्देश्य तब ही सार्थक होगा जब वह राष्ट्रीय विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान देने में सक्षम बन पाएगी और साथ ही राष्ट्रीय अखंडता को बनाए रख पाएगी । यदि देश को अपनी महान सांस्कृतिक विरासत और अपनी अनूठी क्षमताओं के अनुरूप विश्व में अपना सही स्थान प्राप्त करना है तो अपने देश की शिक्षा पर विशेष ध्यान देना अति आवश्यक है । सर्वविदित है कि देश का भविष्य गढ़ने में शिक्षा का एक अहम एवं अभूतपूर्व योगदान है ।

कोठारी आयोग (1964-66) की रिपोर्ट और अनुशंसा के आधार पर भूतपूर्व प्रधान मंत्री श्रीमती इंदिरा गाँधी देश को प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति

वर्ष 1968 में सौंपती हैं । इस नीति के माध्यम से शिक्षा की ऐसी सख्त नींव रखने का प्रयास किया गया, जो भारत के उज्ज्वल भविष्य को गढ़ने में सार्थक सिद्ध हो । इस नीति में यह उद्धृत है कि 14 वर्ष तक के बच्चों को अनिवार्य एवं मुफ्त शिक्षा प्रदान की जाए । भारतीय संविधान के अनुच्छेद 45 भी बच्चों को अनिवार्य एवं मुफ्त शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार देता है । उक्त नीति के अनुसार स्कूलों में प्रचलित अपव्यय और ठहराव को कम करने के लिए उपयुक्त कार्यक्रम विकसित किए जाने के साथ यह भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि स्कूलों में नामांकित प्रत्येक बच्चा सफलतापूर्वक निर्धारित पाठ्यक्रम पूरा करता है । बहुत से बच्चे स्कूलों तक पहुँच तो जाते हैं पर अनिवार्य शिक्षा प्राप्त किए बिना ही स्कूल छोड़ देते हैं । इसके कई कारण हो सकते हैं - विद्यार्थियों को उचित मार्गदर्शन न मिलना, पारिवार की आर्थिक स्थिति बेहतर न होना, शिक्षा प्राप्त करने के लिए अनुकूल वातावरण न मिलना, गरीबी आदि । उस दौर में गरीबी हमारे देश के लिए एक विकराल समस्या बनकर उभरी थी । उसी के फलस्वरूप हमारे देश के पांचवी पंचवर्षीय योजना में निर्धनता उन्मूलन को योजना के प्रमुख उद्देश्य के रूप में स्वीकार किया गया था । प्राय: उस दौर में शिक्षा पर समाज के उन गिने–चुने परिवारों का ही प्रभुत्व होता था जो आर्थिक रूप से संपन्न थे । पर जब तक शिक्षा सर्वजन तक नहीं पहुँचती, कोई भी देश विकास की सीढ़ी नहीं चढ़ सकता है ।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 कई अन्य मामलों में भी बेहद महत्वपूर्ण है । इस नीति में स्कूलों में शिक्षा प्रदान करने हेतु उपयोग में लायी जाने वाली भाषा पर भी बड़ी गंभीरता से प्रकाश डाला गया है । ज्ञान का भाषा से वैसा ही संबंध है जैसा कि माता का अपनी संतान से, जिस तरह माता अपने संतान को गर्भ में धारण करती है और उसके जन्म के पश्चात उसका लालन-पालन करते हुए उसे शब्द व संस्कार देती है, ठीक उसी तरह भाषा भी ज्ञान को परिमार्जित करती है अर्थात दोनों एक दूसरे के बिना अस्तित्व विहिन है । मनोविज्ञान के अनुसार संतान को शब्द या भाषा प्रथमत: अपनी माता से व अपने परिवार के सदस्यों से गर्भकाल के दौरान ही सीखने को मिलने लगती है । शिक्षा अर्थात ज्ञान, उसे अर्जित करने के लिए भाषा को सीखना एवं जानना अति अनिवार्य होता है । शब्दों को वाक्यों में ढालने के लिए भाषा की बोधगम्यता जरूरी होती है । शिशु को शब्द देकर उनसे वाक्य बनवाना – यह सहज कार्य नहीं है । यह निर्णय अपने आप में चुनौती पूर्ण है कि उन्हें किस भाषा में सहजता से बोलने, लिखने व पढ़ने में दक्ष बनाया जाए । आइये जानते हैं भाषाओं के विकास संबंधी विषय पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 में क्या-क्या उल्लेखित है–

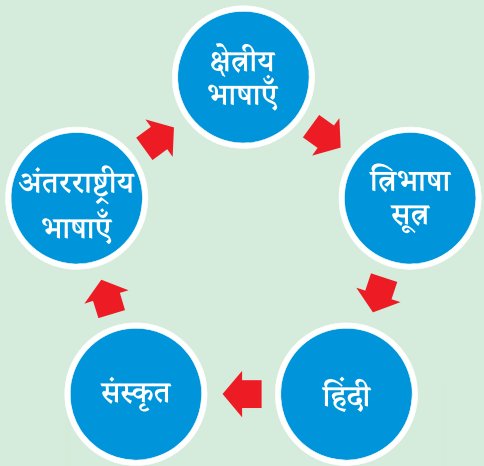

1. क्षेत्रीय भाषाएँ – शैक्षिक और सांस्कृतिक विकास के लिए भारतीय भाषाओं और साहित्य का ऊर्जावान ढंग से विकास होना एक अनिवार्य शर्त है । जब तक यह पूरा नहीं होता, लोगों की रचनात्मक विकास नहीं होगा, शिक्षा के स्तर में सुधार नहीं आएगा, शिक्षा का आदान-प्रदान नहीं हो पाएगा और बौद्धिक व कम बौद्धिक लोगों के बीच की खाई बढ़ती जाएगी । प्राथमिक और माध्यमिक स्तरों पर शिक्षा के माध्यम के रूप में क्षेत्रीय भाषा पहले से ही प्रयोग में लाई जा रही हैं । फिर भी, क्षेत्रीय भाषाओं में शिक्षा का स्तर बढ़ाने की आवश्यकता है ।

2. त्रिभाषा सूत्र – माध्यमिक स्तर पर, राज्य सरकारों द्वारा त्रिभाषा सूत्र को अपना कर उसका अनुपालन सुनिश्चित करवाया जाना है । जिसका अर्थ है - हिंदी बोलने वाले राज्यों में, हिंदी और अंग्रेजी के अतिरिक्त एक आधुनिक भारतीय भाषा, विशेषत: किसी दक्षिण भारतीय भाषा को पाठ्यक्रम में शामिल करना और हिंदीत्तर राज्यों में क्षेत्रीय भाषा एवं अंग्रेजी के साथ अध्ययन में हिन्दी को शामिल करना है । विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में उपयुक्त पाठ्यक्रमों को हिंदी और अंग्रेजी भाषा में उपलब्ध करवाना है जिससे कि इन भाषाओं में छात्रों की प्रवीणता बढ़ें ।

3. हिंदी – हिंदी भाषा के विकास के लिए हर संभव प्रयत्न किया जाना चाहिए । हिंदी को संपर्क भाषा के रूप में विकसित करना है, साथ ही यह सुनिश्चित करना है कि संविधान के अनुच्छेद 351 में उल्लेखित उपबंधों का अनुपालन हो और हिंदी भारत की मिश्रित संस्कृति का माध्यम बने । हिंदीत्तर राज्यों के महाविद्यालयों और अन्य शिक्षण संस्थानों में उच्च शिक्षा के लिए हिंदी का उपयोग किया जाना चाहिए एवं हिंदी माध्यम को बढ़ावा देने की उचित व्यवस्था की जानी चाहिए ।

4. संस्कृत – भारतीय भाषाओं के विकास एवं संवृद्धि में संस्कृत भाषा का विशेष महत्व है और देश के सांस्कृतिक एकता में भी इस भाषा का अद्वितीय योगदान है । स्कूल एवं विश्वविद्यालय स्तर पर इस भाषा में प्रशिक्षण की सुविधा आसानी से उपलब्ध होनी चाहिए । नई शिक्षण पद्धति को विकसित करते समय इस भाषा को प्रोत्साहन प्रदान किया जाना और जहाँ आवश्यक हो संस्कृत भाषा के अध्ययन की संभावना को बढ़ाया जाना चाहिए ।

5. अंतरराष्ट्रीय भाषाएँ - इस नीति में अंग्रेजी और अन्य विदेशी भाषाओं को सीखने पर विशेष जोर दिया गया है । विशेषत: विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में विश्व जबरदस्त गति से आगे बढ़ रहा है । भारत को न केवल विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संबंधी विकास को बनाए रखना चाहिए बल्कि उसे भी इस विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान देना चाहिए । इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए, अंग्रेजी के अध्ययन पर विशेष रूप से जोर दिया गया है ।

मूलत: इस नीति में क्षेत्रीय भाषाओं के सीखने पर बल दिया गया है । माध्यमिक शिक्षा में लागू होने वाले "त्रिभाषा सूत्र" की रूपरेखा तैयार की गयी, यथा अंग्रेजी भाषा, जहाँ स्कूल स्थित हो - उस राज्य की आधिकारिक भाषा, और हिंदी । बुद्धिजीवियों और जनता के बीच की खाई को कम करने के लिए भाषा संबंधी शिक्षा अति आवश्यक है । यद्यपि हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में अपनाने का निर्णय विवादास्पद साबित हुआ था, परंतु इस नीति ने सभी भारतीयों के लिए एक सामान्य भाषा को बढ़ावा देने के लिए तथा हिंदी के उपयोग और सीखने को प्रोत्साहित करने पर जोर दिया है । इस नीति ने प्राचीन संस्कृत भाषा के शिक्षण को भी प्रोत्साहित किया, जिसे भारत की संस्कृति और विरासत का एक अनिवार्य हिस्सा माना जाता है । राष्ट्रीय शिक्षा

नीति – 1968 में शिक्षा पर होने वाले खर्च को राष्ट्रीय आय के छह प्रतिशत तक बढ़ाने पर बल दिया गया था ।

मानव इतिहास की शुरुआत के बाद से ही शिक्षा का क्रमिक विकास जारी है । देश अपनी अर्थव्यवस्था और तकनीकी विकास में एक ऐसे चरण पर पहुंच गया है, जहाँ पहले से बनाई गई संपत्ति से अधिकतम लाभ प्राप्त करने के लिए एक बड़ा प्रयास किया जाना चाहिए और यह सुनिश्चित करना है कि परिवर्तन का लाभ सभी वर्गों तक पहुंचाने की कोशिश की जा रही है । शिक्षा उस लक्ष्य प्राप्ति का एक प्रमुख सुगम मार्ग है । इन लक्ष्यों को आधार बनाकर, 1986 में भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्री राजीव गाँधी के कार्यकाल में संसद द्वारा दूसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति पारित की गई । मई 1990 में आचार्य राममूर्ति की अध्यक्षता में राष्ट्रीय शिक्षा नीति की समीक्षा और उसमें संशोधन करने के लिए संस्तुति करने हेतु एक समिति गठित की गई । समिति ने दिसम्बर 1990 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की । शिक्षा बोर्ड के केंद्रीय सलाहकार (सीएबीई) के निवेदन पर जुलाई 1991 में आंध्र प्रदेश की मुख्यमंत्री श्री एन. जनार्दन रेड्डी, की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई जिसका कार्य आचार्य राममूर्ति की रिपोर्ट पर विचार करते हुए राष्ट्रीय शिक्षा नीति में कुछ संशोधन पर विचार करने की सिफारिश करना था । इस समिति ने अपनी रिपोर्ट जनवरी 1992 में प्रस्तुत की । सीएबीई ने दिनांक 5-6 मई 1992 को आयोजित अपनी बैठक में उक्त समिति की रिपोर्ट पर विचार किया और इस नीति में कुछ संशोधन सुझाए । 'राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 – संशोधित नीति निर्माण' संसद के पटल पर दिनांक 7 मई 1992 को कुछ संशोधन के साथ रखी गयी और भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्री पी.वी नरसिम्हा राव के कार्यकाल में इसे पुन: पारित किया गया ।

यह नई नीति विशेष रूप से भारतीय महिलाओं, अनुसूचित जनजातियों (एसटी) और अनुसूचित जातियों (एससी) समुदायों के लिए "असमानताओं को दूर करने और समान शैक्षिक अवसरों की उपलब्धता पर विशेष जोर देने" का आह्वान करती है । इस नीति में गरीब परिवारों को अपने बच्चों को नियमित रूप से स्कूल भेजने के लिए प्रोत्साहन, नए संस्थानों के विकास करने पर जोर दिया गया । एनपीई ने प्राथमिक शिक्षा में "बाल-केंद्रित दृष्टिकोण" का आह्वान किया, और देश भर में प्राथमिक विद्यालयों में सुधार के लिए "ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड" शुरू किया । इस नीति ने ग्रामीण भारत में जमीनी स्तर पर आर्थिक और सामाजिक विकास को बढ़ावा देने के लिए महात्मा गांधी के दर्शन पर आधारित "ग्रामीण विश्वविद्यालय" मॉडल के निर्माण का भी अनुसरण किया गया है । 1986 की शिक्षा नीति में शिक्षा पर सकल घरेलू उत्पाद का 6% खर्च करने की आवश्यकता बल दिया गया ।

भाषाओं के संबंध में राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 में पूर्ववर्ती राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 में उद्धृत विस्तारित नीति को दोहराया गया है । संक्षेप में, यह नीति विश्वविद्यालय स्तर पर शिक्षा के माध्यम के रूप में क्षेत्रीय भाषाओं को अपनाने पर जोर देती है; त्रिभाषा सूत्र को लागू करने के लिए जोरदार प्रयास का समर्थन करती है; शिक्षा के विभिन्न चरणों में छात्रों की भाषाई दक्षताओं में सुधार; अंग्रेजी और अन्य विदेशी भाषाओं के अध्ययन के लिए सुविधाओं का प्रावधान; संविधान के अनुच्छेद 351 में यथा उपबंधित संपर्क भाषा के रूप में हिन्दी के विकास पर जोर दिया गया है । विश्वविद्यालय स्तर पर संस्कृत के शिक्षण का समर्थन किया गया है । एक भाषा से दूसरी भाषा में पुस्तकों के अनुवाद के गंभीर प्रयास; और द्विभाषी एवं बहुभाषी शब्दकोश तैयार करने पर विशेष बल दिया गया ।

भारत द्वारा 2015 में अपनाए गए सतत विकास एजेंडा 2030 के लक्ष्य 4 (एसडीजी 4) में परिलक्षित वैश्विक शिक्षा विकास एजेंडा के अनुसार विश्व में 2030 तक "सभी के लिए समावेशी और समान गुणवत्तायुक्त शिक्षा सुनिश्चित करने और जीवन-पर्यंत शिक्षा के अवसरों को बढ़ावा दिए जाने" का लक्ष्य रखा गया है । इस तरह के उदात्त लक्ष्य के लिए संपूर्ण शिक्षा प्रणाली को समर्थन और अधिगम को बढ़ावा देने के लिए पुनर्गठित करने की आवश्यकता होगी, ताकि सतत विकास के लिए 2030 एजेंडा के सभी महत्वपूर्ण लक्ष्य (एसडीजी) प्राप्त किए जा सकें ।

मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने 2019 में नई शिक्षा नीति 2019 से संबंधी एक मसौदा जारी किया, जिसके बाद कई सार्वजनिक परामर्श हुए । एनईपी के मसौदे में आवश्यक शिक्षण, आलोचनात्मक सोच और अधिक समग्र अनुभवात्मक, चर्चा-आधारित और विश्लेषण-आधारित शिक्षा को बढ़ाने के लिए पाठ्यक्रम सामग्री को कम करने पर चर्चा की गई है । यह नीति बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को आधार बनाकर वर्तमान की 10+2 वाली स्कूली व्यवस्था के स्थान पर 3 से 18 वर्ष के सभी छात्रों के लिए पाठ्यचर्या और शिक्षण को शास्त्रीय आधार पर 5+3+3+4 की एक नयी व्यवस्था में पुनर्गठित करने की बात करती है । फलस्वरूप, 29 जुलाई 2020 को, कैबिनेट ने मौजूदा भारतीय शिक्षा प्रणाली में कई बदलाव लाने के उद्देश्य से एक नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को मंजूरी दी ।

भारतीय संस्कृति का विकास हजारों वर्षों में हुआ है और उसके संवर्धन की जिम्मेदारी सभी व्यक्तियों के कंधों पर है । बच्चों में अपनी पहचान तथा अन्य संस्कृतियों के प्रति सराहना का भाव पैदा करने के लिए सांस्कृतिक जागरूकता तथा बच्चों में अभिव्यक्ति की क्षमता विकसित करना अनिवार्य है । बच्चों में अपनी संस्कृति, कला, भाषा एवं परंपरा के प्रति लगाव पैदा करना महत्वपूर्ण है । भाषा नि:संदेह कला वं संस्कृति से अटूट रूप से जुड़ी हुई है । विभिन्न भाषाएँ, दुनिया को भिन्न तरीके से देखती हैं इसलिए, मूल रूप से किसी भाषा को बोलने वाला व्यक्ति अपने अनुभवों को कैसे समझता है या उसे किस प्रकार ग्रहण करता है यह उस भाषा की संरचना पर निर्भर करता है । विशेष रूप से किसी संस्कृति के लोगों का दूसरों के साथ बात करना जैसे परिवार के सदस्यों, अपरिचितों आदि का भाषा से प्रभावित होना तथा बातचीत के तौर तरीकों को प्रभावित करना । अत: संस्कृति हमारी भाषाओं में समाहित है । संस्कृति के संरक्षण और संवर्धन के लिए, हमें उस संस्कृति की भाषाओं का संरक्षण और संवर्धन करना होगा ।

भारतीय भाषाओं को लेकर चिंता व्यक्त करते हुए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की मद सं. 22.5 में उद्धृत है कि **"दुर्भाग्य से, भारतीय भाषाओं को समुचित ध्यान और देखभाल नहीं मिल पायी जिसके तहत देश ने विगत 50 वर्षों में ही 220 भाषाओं को खो दिया है । यूनेस्को ने 197 भारतीय भाषाओं को 'लुप्तप्राय' घोषित किया है । विभिन्न भाषाएँ विलुप्त होने के कगार पर हैं विशेषत: वे भाषाएँ जिनकी लिपि नहीं है । जब किसी**

समुदाय या जनजाति के उस भाषा को बोलने वाले वरिष्ठ समुदाय की मृत्यु होती है तो अक्सर वह भाषा भी उनके साथ समाप्त हो जाती है और प्राय: इस समृद्ध भाषाओं / संस्कृति की अभिव्यक्तियों को संरक्षित या उन्हें रिकॉर्ड करने के लिए कोई ठोस कार्रवाई या उपाय नहीं किए जाते हैं ।" भाषाओं का इस तरह से विलुप्त होना, संस्कृति पर आघात होने के बराबर है । पीपुल लैंग्वेज सर्वे ऑफ इंडिया के अनुसार, भारत में पाँच आदिवासी भाषा विलुप्त होने के कगार पर है । भाषाविद विशेषज्ञों का कहना है कि सिक्किम की माझी भाषा पर सबसे अधिक खतरा है । उनके शोध के अनुसार, इस भाषा को बोलने वाले एक ही परिवार के मात्र चार सदस्य जीवित हैं । उसी प्रकार, पूर्वी भारत में महाली भाषा, अरुणांचल प्रदेश में कोरो भाषा, गुजरात में सिदि और असम में दिमासा विलुप्त होने के कगार पर है । हाल ही में, यूनेस्को ने असुर, बिरहोर और कोर्वा भाषा को संकटग्रस्त भाषा की श्रेणी में रखा है । यूनेस्को के अनुसार, जब किसी भी भाषा, जिसके व्यवहार करने वाले लोगों की संख्या 10000 से कम हो जाती है तो, वे उसे संकटग्रस्त भाषा के श्रेणी में रख देते हैं ।

इसके अलावा, वे भारतीय भाषाएँ भी, जो अधिकारिक रूप से लुप्तप्राय की सूची में नहीं हैं – जैसे आठवीं अनुसूची की 22 भाषाएँ भी कई प्रकार की कठिनाइयों का सामना कर रही है । आदिवासी समुदाय की भाषा संथाली और बोडो जो कि आठवीं अनुसूची में शामिल हैं, का व्यवहारिक प्रयोग करने वाले व्यक्तियों की संख्या में लगातार गिरावट दर्ज़ की जा रही है । भाषाएँ प्रासंगिक और जीवंत बनी रहें इसके लिए इन भाषाओं में उच्चतर गुणवत्तापरक अधिगम एवं प्रिंट सामग्री का सतत प्रवाह बना रहना चाहिए – जिसमें पाठ्य पुस्तकें, अभ्यास पुस्तकें, वीडिओ, नाटक, कविताएँ, उपन्यास, पत्रिकाएँ आदि शामिल हैं । भाषाओं के शब्दकोश एवं शब्दभंडार को हमेशा अद्यतित करते रहना चाहिए और उसे बढ़ाने के लिए प्रयासरत रहना चाहिए । दुनिया की सभी समृद्ध भाषाएँ प्रिंट सामग्री बनाती हैं और दुनिया की अन्य भाषाओं की महत्वपूर्ण सामग्री का अनुवाद करती हैं और निरंतर अपने शब्द भंडार को बढ़ाती हैं । परंतु, अपनी भाषाओं को जीवंत और प्रासंगिक बनाए रखने में मदद करने के लिए ऐसी प्रिंट सामग्री और शब्दकोश बनाने के मामले में भारत की गति काफ़ी धीमी रही है ।

इस शिक्षा नीति के अनुसार सभी स्कूली स्तरों पर बहुभाषिकता को प्रोत्साहित करने के लिए त्रिभाषा फार्मूले को जल्दी कार्यान्वित किया जाना चाहिए साथ ही जब संभव हो मातृभाषा / स्थानीय भाषा में शिक्षण तथा अधिक अनुभव – आधारित भाषा शिक्षण दिया जाना चाहिए । अधिक उच्चतर शिक्षण संस्थानों तथा उच्चतर शिक्षा के और अधिक कार्यक्रमों में मातृभाषा / स्थानीय भाषा को शिक्षा के माध्यम के रूप में प्रयोग किया जाएगा या कार्यक्रमों को द्विभाषिक रूप में चलाया जाएगा । इसी के फलस्वरूप आईआईटी कानपुर, देश का पहला ऐसा शिक्षण संस्थान बन गया है, जो अपने यहाँ पढ़ाए जा रहे पाठ्यक्रमों को हिंदी एवं अन्य भारतीय भाषाओं में भी विकसित कर रहा है । फिलहाल हमारे देश में उच्च स्तरीय शिक्षण संस्थानों के पाठ्यक्रम अंग्रेजी में ही उपलब्ध हैं । आईआईटी कानपुर के इस प्रयास से न सिर्फ हिंदी एवं अन्य क्षेत्रीय भाषाओं के छात्रों का भला होगा बल्कि हिंदी एवं अन्य क्षेत्रीय भाषाओं का उत्तरोत्तर विकास भी होगा । जब तक हिंदी एवं अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में उच्च शिक्षा नहीं प्रदान की जाएंगी तब तक इन भाषाओं के फलने-फूलने की संभावनाएँ कम हैं ।

हिंदी या क्षेत्रीय भाषा को बस बोलने या समझने तक सीमित रखने से कोई फायदा नहीं होने वाला है । संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल सभी भाषाओं को रोजगार की भाषा बनाना पड़ेगा । आज भी केंद्रीय सेवा संवर्ग में अंग्रेजी माध्यम से आए छात्रों का वर्चस्व है । अधिकतम छात्र अंग्रेजी माध्यम से परीक्षा देकर ही चयनित हो रहे हैं । अंदाजा लगाया जा सकता है ये छात्र जब किसी संस्थान में बतौर अधिकारी पदस्थ होंगे तो वह कितना हिंदी या क्षेत्रीय भाषा प्रयोग में लाते होंगे । देश की बहुसंख्यक जनता किस भाषा में सहजता महसूस करती है, यहाँ उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है ।

निष्कर्ष: हमने देखा कि भारत की आजादी के पश्चात किस तरह से निरक्षरता को कम करने के लिए तत्कालिन सरकार द्वारा नए संस्थानों, समितियों और आयोगों को गठित कर शिक्षा के स्तर में बदलाव लाने के सफल प्रयास किए गए । हमारे देश के नागरिकों का अब तक कुल तीन राष्ट्रीय शिक्षा नीति से सरोकार हो चुका है । राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968, जिसने देश को त्रिभाषा सूत्र प्रदान किया । यह नीति बड़ी दूरदर्शिता के साथ तैयार की गई थी । यदि इस नीति का भाषा के विकास के संदर्भ में अनुपालन शत प्रतिशत कर दिया गया होता तो आज हिंदी एवं अन्य क्षेत्रीय भाषाओं का और विकसित स्वरूप देखने को मिलता । दूसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 अनेक नवीनताओं के साथ पेश की गई पर भाषा के विकास के मामले में वह कोठारी आयोग द्वारा दिए सुझाव को अमल में लाने का ही निर्देश देती है । तीसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति कई मायनों में महत्वपूर्ण है । सारांशत: इस नीति में हिंदी एवं संविधान के आठवीं अनुसूची में शामिल भाषाओं में अध्ययन की सामग्री की उपलब्धता पर अधिक जोर दिया जाना, काफी सराहनीय है । अपने देश की भाषाओं के विकास के लिए सुनिश्चित करना होगा कि अन्य विदेशी भाषाओं के भी साहित्य और शोधपरक सामग्रियों का हिंदी एवं अन्य भारतीय भाषाओं में गुणवत्तापरक अनुवाद उपलब्ध हो । हिंदी भाषा के माध्यम से शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्रों की पहुँच रोजगार तक करवाना सुनिश्चित करना होगा । अस्तु, हिंदी को रोजगार प्राप्ति की मुख्य भाषा बनाने के साधन तलाशने होंगे । हिंदी भाषा के माध्यम से ज्ञान अर्जित करने वाले अधिक से अधिक विद्यार्थियों को केंद्रीय सेवाओं में लाने की व्यवस्था करनी होगी । विज्ञान एवं सूचना से संबंधित विश्व स्तर पर हो रहे शोध की हिंदी एवं अन्य भारतीय भाषाओं में उपलब्ध करवाने के प्रयास किए जाने चाहिए । इसके साथ ही, आगे जोड़ना चाहूँगा कि भारत सरकार को संयुक्त राष्ट्र परिषद (यूएनओ) की आधिकारिक भाषा के रूप में हिंदी को मान्यता दिलाने के लिए पुरजोर प्रयास करने चाहिए, जिससे कि वैश्विक स्तर पर हिंदी को और अधिक ख्याति मिले । उक्त उपायों के माध्यम से हिंदी को वह स्थान दिलाया जा सकता है, जिसकी संकल्पना हमारे संविधान निर्माताओं ने की थी ।

चालू खाते के लिए अनुशासन ज़रूरी

फणीश मणि त्रिपाठी
प्रबन्धक
क्षेत्रीय कार्यालय रांची

उधारकर्ताओं द्वारा बैंकिंग सिस्टम के गलत इस्तेमाल ने आज बैंकों को उस मुहाने पर ला दिया है जहां उधारकर्ता की एक-एक गतिविधि पर नज़र रखना अनिवार्य हो गया है। आए दिन फंड डायवर्ज़न और बैंक से मिले लोन के पैसे का दुरुपयोग करने के मामले सामने आ रहे हैं जिससे ऋण खराब हो रहे हैं । मान लीजिए कि एक बैंक ने अपने उधारकर्ता को कैश क्रेडिट मंजूर किया ताकि वो अपनी फैक्ट्री के लिए कच्चा माल खरीद सके। लेकिन उधारकर्ता इस फंड को अपने विभिन्न खातों में ट्रांसफर कर देता है और उस पैसे से अपने लिए लग्ज़री कार खरीद लेता है। ऋण तो कारोबार का पहिया चलाने के लिए दिया गया लेकिन जनाब ने कारोबार को ताक पर रखकर कीमती कार पर खर्च कर दिया। साफ है कि कच्चा माल नहीं आएगा तो बिजनेस साइकिल गड़बड़ हो जाएगी। फैक्ट्री नहीं चलेगी और उत्पादन ठप्प हो जाएगा । माल नहीं बनेगा तो बिकेगा क्या। कुछ बिकेगा नहीं तो बैंक का ऋण चुकता करने के लिए पैसे कहाँ से आएंगे। ऐसी स्थितियां बनने पर ऋण बिगड़ जाता है और बैंक का पैसा डूब जाता है। फंड डायवर्ज़न की वजह जो भी हो लेकिन नुकसान आखिरकार बैंक और कारोबार को ही होता है। एक व्यक्ति के लालच की वजह से कारोबार पर निर्भर लोग भी कहीं के नहीं रहते। लंबी अवधि में अर्थव्यस्था को भी नुकसान पहुँचता है क्योंकि एक इकाई का बंद होना बेरोज़गारी बढ़ाने में भी भूमिका निभाता है। इसी फंड डायवर्ज़न को रोकने और ऋण अनुशासन लाने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक ने चालू खातों पर सख्त शर्तें लगा दी हैं। पिछले साल अगस्त में जारी इस पॉलिसी के ज़रिए बैंकों द्वारा चालू खाते खोलने में कुछ अनुशासन बिन्दुओं को अनिवार्य बनाया गया है। भारतीय रिज़र्व बैंक का मानना है कि पूर्व का फ्रेमवर्क और दिशानिर्देश अनुशासन लाने में नाकाफ़ी रहे इसलिए उन्हें नए नियम जारी करने पड़े हैं ताकि उधारकर्ताओं द्वारा एक से अधिक चालू खाते के उपयोग को रोका जा सके।

चालू खातों के सम्बन्ध में आरबीआई के नए दिशानिर्देश

1. जिन ग्राहकों ने किसी भी बैंक में कैश क्रेडिट/ ओवरड्राफ्ट खाते खोल रखे हैं वे अपने चालू खाते उस बैंक के अलावा कहीं और नहीं खोलेंगे। सभी लेन-देन सीसी/ओडी खातों के जरिए ही होंगे।

2. यदि किसी बैंक के पास उधारकर्ता के कुल बैंकिंग ऋण का 10 प्रतिशत से कम हिस्सा है तो वे सीसी/ओडी खाता रख सकते हैं लेकिन इस खाते से फंड ट्रांसफर या पैसों की निकासी सिर्फ और सिर्फ उस सीसी/ओडी बैंक खाते के लिए होगी जहां उसका 10 प्रतिशत या उससे अधिक एक्सपोज़र है। ऐसे बैंक अपने उधारकर्ता को सिर्फ कार्यशील पूंजी के लिए डिमांड लोन या कार्यशील पूंजी के लिए सावधि ऋण सुविधा ही दे सकते हैं।

यदि किसी उधारकर्ता ने सीसी/ओडी के अलावा कोई अन्य क्रेडिट सुविधा ले रखी है तो उन मामलों में :

1. यदि उधारकर्ता का बैंकिंग सिस्टम से कुल ऋण यदि 5 करोड़ से कम है तो कोई भी बैंक ऐसे उधारकर्ताओं का चालू खाता खोल सकता हैं, बशर्ते कि उधारकर्ता को एक अंडरटेकिंग देनी होगी कि उसका सीसी/ओडी खाता किसी और बैंक में नहीं है।

2. यदि पूरे बैंकिंग सिस्टम से लिया गया ऋण रुपए 5 करोड़ या उससे अधिक है परन्तु रुपए 50 करोड़ से कम है तब कोई भी उधारदाता बैंक चालू खाता खोल सकता है। गैर उधारदाता बैंक सिर्फ कलेक्शन अकाउंट खोल सकते हैं।

3. यदि पूरे बैंकिंग सिस्टम से लिया गया ऋण रुपए 50 करोड़ या उससे अधिक है तो एस्क्रो प्रणाली को अनिवार्य रूप से अमल में लाया जाएगा। जिस उधारदाता बैंक के पास एस्क्रो खाता होगा सिर्फ वही बैंक चालू खाता खोल सकता है। अन्य उधारदाता बैंक सिर्फ कलेक्शन अकाउंट खोल सकते हैं। गैर उधारदाता बैंक चालू खाता नहीं खोल सकते हैं।

ऐसी सख्ती की ज़रूरत क्यों पड़ी ?

यह पहला वाकया नहीं है जब भारतीय रिज़र्व बैंक ने बहुसंख्यक परिचालित खातों के गैर वाजिब इस्तेमाल को लेकर अपनी चिंताएं जाहिर की हैं। दो दशक पहले वर्ष 2000 में आरबीआई ने अपने परिपत्र में कहा कि चालू खाता खोलते समय बैंकों को ग्राहक से एक उद्घोषणा लेनी होगी कि उन्होंने किसी भी अन्य बैंक से ऋण सुविधा नहीं ले रखी है। यदि ग्राहक ने ऋण सुविधा ले रखी है तब उन्हें उसकी विस्तृत जानकारी देनी होगी।

वर्ष 2004 में आरबीआई ने महसूस किया कि उसके दिशानिर्देशों और अनुदेशों का कुछ बैंक पालन नहीं कर रहे हैं जिससे उधारकर्ता फंड डायवर्ज़न को अंजाम दे रहे हैं। तब आरबीआई ने बैंकों को निर्देश दिए कि वे किसी भी उधारकर्ता का चालू खाता तभी खोलेंगे जब वो उधार देने वाले बैंक से अनापत्ति प्रमाण पत्र लाकर देंगे। यानि कि ग्राहक ने जिस बैंक से उधार लिया है उसे यह घोषणा करनी होगी कि उस ग्राहक के अन्य बैंक में चालू खाता खोलने पर उन्हें कोई आपत्ति नहीं है।

वर्ष 2015 में भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंक को परामर्श दिया कि वे क्रिलिक (CRILIC) के डेटाबेस का उपयोग करें यह पता लगाने के लिए कि जो

चालू खाता खोलने के लिए फ्लो चार्ट

ग्राहक उनके वहां चालू खाता खोलने के इरादे से आया है उसने उधार सुविधा किस बैंक से ले रखी है ताकि उस बैंक से अनापत्ति प्रमाण पत्र लिया जा सके।

जब इतने सारे एहतियाती कदमों और आरबीआई की हिदायतों के बावजूद चालू खाते खोलने में अनुशासन लाने में सफलता नहीं मिली तब आरबीआई को सख्त कदम उठाने पर मजबूर होना पड़ा है।

चालू खाते में अनुशासन लाने में चुनौतियां

पूर्व में कई बैंक सिर्फ ग्राहकों द्वारा दिए गए इस घोषणापत्र को ही प्रमाण मान लेते थे कि उनका किसी और बैंक में कोई चालू खाता नहीं है। चालू खाता खोलते हुए बैंक ड्यू डिलिजेंस करने में विफल रहते हैं और ग्राहक के बारे में जानकारी इकट्ठा करना के लिए क्रेडिट ब्यूरो में उपलब्ध सूचनाओं का भी उपयोग नहीं करते हैं। बैंकों में कड़ी प्रतिस्पर्धा की वजह से दूसरे बैंक अनापत्ति प्रमाण पत्र भी आसानी से नहीं देते हैं।

बैंकों के अनुसार क्रेडिट सूचना ब्यूरो से इस बात की जांच की जा सकती है कि ग्राहक का किसी और बैंक में लोन है या नहीं लेकिन यह डाटा छोटे खातों और ऋणों के सम्बन्ध में मुश्किल से ही मिल पाता है। आरबीआई ने नए नियम लाकर चालू खाते में अनुशासन के रास्ते में आने वाली सभी रुकावटों को हटा दिया है। आरबीआई की कोशिश है कि एक ग्राहक का बड़ा ऋण जहां है उसका चालू खाता भी वहीं रहे ताकि बैंक लेन-दन पर नज़र रख सकें और फंड का डायवर्ज़न भी रोका जा सके।

बैंकरों का कहना है कि अक्सर उधारकर्ता कंसोर्शियम में उधार देने वाले बैंकों से अलग किसी बैंक में नया चालू खाता खोल लेते हैं, खासतौर से ऐसे मामलों में जब वे तनाव में आते हैं और नकदी प्रवाह को डायवर्ट करना चाहते हैं।

नए नियम से प्रभावित एमएसएमई

चालू खाते पर नए निर्देशों से सबसे ज्यादा मुश्किलें एमएसएमई को पेश आ रही हैं। फेडरेशन ऑफ इंडियन माइक्रो, स्माल एंड मीडियम एंटरप्राइज़ (FISME) का मानना है कि इससे उधारकर्ताओं को वास्तविक दिक्कतें आने वाली हैं। कभी कभार एमएसएमई अपने खाते दो जगह इसलिए रखते हैं ताकि उन्हें एक बैंक पर निर्भर नहीं रहना पड़े। एमएसएमई संगठनों द्वारा ये भी दलील दी जा रही है कि उधारकर्ता एहतियातन अपने चालू खाते दूसरे बैंकों में रखते हैं ताकि वे अपने लिमिट अकाउंट से लेन-देन नहीं करें क्योंकि उसमें बड़ी राशि रहती है और साइबर ठगी होने पर उनका बड़ा नुकसान हो सकता है। एक और तर्क है कि यदि कोई निजी बैंक से बैंकिंग कर रहा है तो कस्टम ड्यूटी इत्यादि जैसे भुगतान वे निजी बैंक से नहीं कर सकते हैं इसलिए उन्हें सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक में अपना खाता रखना पड़ता है।

मामले ने इतना तूल पकड़ा कि कुछ व्यथित पक्ष भारतीय रिज़र्व बैंक के इस नियम के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंच गया। ऐसी ही एक याचिका पर सुनवाई करते हुए केरल हाईकोर्ट ने भारतीय रिज़र्व बैंक को अपनी नीति पर पुनर्विचार करने को कहा। परन्तु आरबीआई ने स्पष्ट कर दिया कि वो इस मामले में कदम पीछे नहीं हटा सकता।

निष्कर्ष

भारतीय रिज़र्व बैंक ने सभी बैंकों से अपने सभी चालू खातों / ओवरड्राफ्ट खातों की नियमित निगरानी, कम से कम तिमाही आधार पर, करने को कहा है विशेष तौर पर उधारकर्ता के बैंकिंग सिस्टम में एक्सपोज़र को लेकर ताकि मौजूदा नियम का अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके।

हालांकि जानकार ये भी कह रहे हैं कि इस नए नियम का मकसद उधारकर्ताओं की उस चालाकी पर रोक लगाना भी है जिसके जरिए वे सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों से ऋण सुविधाएं लेकर निजी बैंकों के अपने खाते में जमा कर देते थे। साथ ही निजी बैंकों के पास तकनीकी रूप से व्यक्तिगत तौर पर तैयार उत्पाद एवं प्रणालियां होती हैं जिसकी बदौलत वे ट्रेड फाइनेंस जैसे क्षेत्रों में अच्छी सेवा दे पाते हैं। लिमिट भले ही सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक से लिया हो पर ग्राहक बेहतर तकनीकी सुविधा की वजह से अपना ट्रेड फाइनेंस कारोबार निजी अथवा विदेशी बैंकों के साथ करते हैं।

हालांकि आरबीआई के इस कदम का लंबी अवधि में क्या प्रभाव होगा इसका निष्कर्ष निकालना अभी बहुत जल्दबाजी होगी लेकिन इतना ज़रूर है कि नए बैंकों के लिए चालू खाते जुटाना चुनौतीपूर्ण होने जा रहा है। नए नियम के बाद छोटे बैंकों को अपने ग्राहकों के साथ लंबी अवधि का रिश्ता कायम करना होगा। उधारकर्ताओं को भी अपने एक से अधिक चालू खाते बंद करने होंगे और इस अनुशासन का हिस्सा बनना होगा। शीर्ष बैंक अपनी समग्र सुविधाओं की बदौलत बाज़ार के बड़े हिस्से पर अपना आधिपत्य जमा लेंगे जबकि छोटे बैंकों के लिए आगे की राह चुनौती भरी होगी।

हम बनाम वो

शुभम दीक्षित
सहायक प्रबन्धक
केन्द्रीय कार्यालय

जैसा कि आप सभी से वादा किया था, मैं एक बार फिर कुछ ख़तों के साथ अपनी पुरानी बात को आगे बढ़ाने के लिए आप सभी के सामने हूँ । अगर आप इस स्तम्भ के नियमित पाठक है तो आप जानते ही होंगे कि हम पिछले कुछ अंकों से द्वितीय विश्वयुद्ध की पृष्ठभूमि की पड़ताल कर रहे हैं, 128वें अंक में हिटलर की विस्तारवादी नीतियों पर चर्चा के बाद आज हमने आपसे हिटलर की दमनकारी नीतियों के बारे में बात करने का फैसला किया है । हम आज के इस स्तम्भ के माध्यम से हिटलर के सत्ता में आने के तत्काल बाद, 1933 से लेकर 1939 तक, केवल यहूदियों का दमन करने के लिए लागू किए गए विभिन्न क़ानूनों की बात करेंगे । अब क्योंकि इन सभी क़ानूनों के अमल में आने से लेकर इनके लागू किए जाने का इतिहास अपने में कई प्रमुख नाम तथा उनके काम समेटे हुए है, तो उनके बारे में हम अगले अंक में विस्तार से चर्चा करेंगे ।

मगर उस सब से पहले बात होगी ख़त की । वैसे तो इन ख़तों की नियति में अपनी मंज़िल तक पहुँचना लिखा ही नहीं था मगर उसके बावजूद भी इसका ऐतिहासिक महत्व ज़रा भी कम नहीं होता क्योंकि इनको लिखने वाला व्यक्ति कोई मामूली इंसान नहीं था । हम बात कर रहे हैं उन ख़तों की जिसे मोहनदास करमचंद गांधी यानि सत्य व अहिंसा के पुजारी महात्मा गांधी ने 23 जुलाई 1939 तथा 24 दिसंबर 1940 को हिटलर के नाम लिखा था । जैसा कि सर्वविदित है कि उस दौर में भारत ब्रिटेन का उपनिवेश हुआ करता था, सो ये ख़त तमाम तरह के ब्रिटिशिया कानूनी दाव-पेंचों में फंस कर रह गया और हिटलर तक इनके पहुँचने की बात क्या ही करें, ये ख़त भारत की सीमा क्षेत्र के बाहर भी न निकल सके । कौन जानता था कि पहले ख़त को लिखे जाने के एक महीने बाद ही जर्मनी पोलैंड पर हमला कर दुनिया को द्वितीय विश्वयुद्ध के दलदल में ढंकेल देने वाला था ।

ख़त 1

******

वर्तमान में वर्धा
सी. पी.
भारत
13.07.1939

प्यारे मित्र,

मेरे मित्र बार-बार ज़िद कर रहे हैं कि मानवता के ख़ातिर मैं आपको कुछ लिखूँ । यद्यपि मैंने उनके अनुरोध को अस्वीकार कर दिया क्योंकि मुझे ये महसूस होता है कि मेरे द्वारा आपको लिखा गया कोई भी ख़त मेरी अशिष्टता होगी । कुछ है जो मुझे बताता है कि मुझे कोई गणना नहीं करनी चाहिए और चाहें इसकी कीमत कुछ भी क्यूँ न हो मुझे अपील करनी चाहिए ।

यह निर्विवादित रूप से सत्य है कि आज दुनिया में आप ही वह एकलौते व्यक्ति हैं जो युद्ध को रोक सकते हैं, युद्ध जो मानवता को महज़ बर्बरता की ओर ही ले जाएगा । क्या आपको किसी वस्तु के लिए उस कीमत का भुगतान करना चाहिए, चाहें वह आपको कितनी भी योग्य क्यूँ न लगे ? क्या आप उस इंसान की अपील को सुनेंगे जिसने किसी भी सफलता का स्वाद चखे बिना ही स्वेच्छा से युद्ध का परित्याग कर दिया है । यदि मैंने आपको लिख कर कोई गलती की है तो उसके लिए मैं क्षमाप्रार्थी हूँ ।

श्रीमान हिटलर
बर्लिन
जर्मनी

सदैव ही
आपका सच्चा मित्र
एम के गांधी (हस्ताक्षर)

******

ख़त 2

वर्तमान में वर्धा
28 दिसंबर 1940

प्यारे मित्र,

तुम्हें मित्र की तरह संबोधित करना कोई औपचारिकता नहीं है । मेरा कोई शत्रु नहीं है । विगत 33 वर्षों से मेरे जीवन का उद्यम इन्सानों के साथ उनकी नस्ल, रंग पंथ को दरकिनार करते हुए सम्पूर्ण मानवता के साथ मित्रवत संबंध कायम करना रहा है ।

मुझे आशा है कि आपके पास यह जानने की इच्छा तथा समय होगा कि किस तरह मानवता का एक बेहतरीन हिस्सा, जोकि जीवन को सार्वभौमिक मित्रता के सिद्धान्त के रूप में देखते हैं । हमें न तो आपकी वीरता तथा आपके पितृदेश के प्रति आपके समर्पण के लिए कोई संशय है और न ही हमें आपके विरोधियों द्वारा प्रचारित आपकी राक्षसी छवि पर विश्वास है । लेकिन आपकी स्वयं की लेखनी तथा आपकी घोषणाओं एवं आपके मित्र व समर्थकों कम से कम मुझ जैसे व्यक्ति, जोकि सार्वभौमिक मित्रता में विश्वास रखता है, के सामने अंदाजन ही संदेह का कोई स्थान नहीं छोड़ा है कि आपकी कई गतिविधियां यथा चेकोस्लोवाकिया का अपमान, पोलैंड के साथ बलात्कृतों सा सलूक तथा डेनमार्क को हड़पना, राक्षसी हैं तथा मानवीयय गरिमा के सर्वथा प्रतिकूल हैं । मुझे ज्ञात है कि जीवन के प्रति आपका दृष्टिकोण उत्पीड़न को एक पुण्य कृत्य के रूप में ही देखने का रहा है अतः मैं आपकी सेनाओं को सफलता की शुभकामनाएँ नहीं दे सकता ।

लेकिन हमारी स्थिति अद्वितीय है हम ब्रिटिश साम्राज्यवाद की निंदा नाजीवाद से कम नहीं करते । अगर इसमें कोई भेद है तो यह इसकी मात्रा में है । आज मानव जाति का 1/5 वां हिस्सा ब्रिटिश तख़्त के अधीन है जिसकी कभी जांच नहीं होगी । इसके प्रति हमारे विरोध का उद्देश्य ब्रिटिश लोगों को क्षति पहुंचाना नहीं है । हम युद्ध भूमि में उन्हें हराने के स्थान पर उनका हृदय परिवर्तन करना चाहते हैं । लेकिन हम ये कर सकेंगे या नहीं ये अलग बात है लेकिन हम अहिंसा तथा असहयोग के माध्यम से उनके शासन को नामुमकिन बना देंगे । यह तरीका अपनी प्रकृति में अजेय है । यह इस ज्ञान पर आधारित है कि कोई भी लुटेरा पीड़ित के इच्छुक या अनिवार्य सहयोग के एक निश्चित अंश के बिना अपने लक्ष्यों की प्राप्ति नहीं कर सकता । हमारे शासक हमारी ज़मीनों हमारे शरीर पर कब्जा कर सकते हैं, मगर हमारी आत्माओं पर नहीं । वे तब ही जीत सकते हैं जब वे हर आदमी, औरत और बच्चे समेत प्रत्येक भारतीय को पूरी तरह नष्ट कर दें, और यह सब मिल कर भी उतना वीरोचित नहीं होगा जितना वीरोचित सभी विद्रोहियों को उनके सभी दावों और वादों को दरकिनार करते हुए उन्हें सहृदयता के साथ माफ कर देना होगा । आपको इसके लिए भारत में बड़ी संख्या में आदमी और औरत मिल जाएंगे जो अपने शोषकों के विरुद्ध बिना किसी द्वेषपूर्ण भावना के अपना सर झुकाने के स्थान पर उसे कटवाना स्वीकार करेंगे । संभवतः इस प्रकार उन्होंने आततायी हिंसा से मुक्ति का मार्ग प्रशस्त कर लिया है । जब मैं कहता हूँ कि भारत में आपको इस तरह के बहुत से लोग मिलेंगे तो मैं चाहता हूँ कि आप मेरी बात पर विश्वास करें । वे विगत 20 सालों से इसका प्रयास कर रहे हैं ।

हम पिछले आधे दशक से ब्रिटिश साम्राज्य को उखाड़ने की कोशिश कर रहे हैं और हमारा स्वाधीनता संग्राम आज के जितना सशक्त कभी नहीं रहा । सबसे अधिक शक्तिशाली राजनैतिक संगठन, मेरा मतलब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से है, अब इसे उखाड़ फेंकने के कगार पर है । हमने अहिंसा के माध्यम से बहुत बड़ी मात्रा में सफलता प्राप्त की है । हमने ब्रिटिश ताकतों की सबसे संगठित हिंसा का मुक़ाबला करने के लिए सही साधनों को छोड़ दिया है । आप इसे चुनौती दे रहे हैं कि जर्मन तथा ब्रिटिश में कौन ज्यादा संगठित है । हम जानते हैं कि हमारे तथा गैर-यूरोपीय नस्लों के लिए ब्रिटिश पराधीनता का अर्थ क्या है । लेकिन हम कभी नहीं चाहेंगे कि भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का खात्मा जर्मनी की मदद से हो । हमें एक अहिंसक बल मिला है, जोकि यदि संगठित हो जाए तो सारी दुनिया के हिंसक बलों के एक साथ मिल जाने पर भी उनका सामना करने में सक्षम है । जैसा कि मैंने बताया, अहिंसक तकनीक में हार के लिए कोई स्थान नहीं है । ये बिना प्राणान्त अथवा चोट पहुंचाए "करो या मरो" की तर्ज पर काम करता है । यह बिना किसी धन-दौलत या निश्चित रूप से विध्वंसकारी विज्ञान की मदद के काम करता है, जिसे आप अब निष्णातता की ओर ले आए हैं । यह देखना मुझे हैरत में डालता है कि आप ये नहीं देख पा रहे कि इस विज्ञान पर किसी का एकाधिकार नहीं है । अगर ब्रिटिश न सही तो कोई और सही, मगर कोई आपकी इस तकनीक को आपसे भी बेहतर स्तर तक ले जाएगा और आपके ही हथियार से आपको हरा देगा । आप अपने लोगों के लिए ऐसी कोई विरासत नहीं छोड़ कर जा रहे हैं जिस पर वे अभिमान कर सकें । भले ही इसे कितनी ही कुशलता से सुनियोजित किया गया हो, मगर वे एक निर्दयी नस्ल के ऊपर कभी अभिमानित नहीं हो सकेंगे । अतः मैं इंसानियत के खातिर आपसे ये युद्ध ख़त्म करने की गुहार लगता हूँ । अपने और ग्रेट ब्रिटेन के बीच के मतभेदों को अपनी इच्छा के आंतरिक न्यायाधिकरण में ले जाने पर आपको कोई नुकसान नहीं होगा । अगर आप युद्ध जीत भी जाते हैं तो इससे यह सिद्ध नहीं होता कि आप सही थे, बल्कि ये साबित करेगा तो सिर्फ ये कि आपकी विध्वंसकारी शक्तियां दूसरों की अपेक्षा अधिक थीं । जबकि एक निष्पक्ष न्यायाधिकरण द्वारा दिए गए निर्णय से ये साबित होगा कि मानवीय रूप से कौन सा पक्ष सही था ।

आपको ज्ञात ही होगा कि कुछ ही समय पूर्व मैंने ब्रिटिश लोगों से मेरे अहिंसक प्रतिरोध को अपनाने की अपील की थी । मैंने ऐसा किया, क्योंकि ब्रिटिश मुझे एक विरोधी किन्तु एक मित्र के रूप में जानते हैं । मैं आपके और आपके लोगों के लिए एक अजनबी हूँ । मेरे पास इतना साहस नहीं है कि जिस तरह से मैंने ब्रिटिश लोगों से अपील की, आपके लोगों से भी कर सकूँ । ऐसा इस लिए नहीं है कि ये आपके ऊपर उसी रूप से लागू नहीं होगा जैसे कि ब्रिटिश लोगों पर लागू होता है, बल्कि मेरा प्रस्ताव बहुत सरल तथा बहुत अधिक प्रायोगिक तथा जाना-पहचाना है । इस समय जब यूरोपीय लोगों के हृदय शांति के लिए इस हद तक चीत्कार कर रहे हैं कि हमें अपना शांति संघर्ष तक रोकना पड़ा, ऐसे में जबकि आपको निजी रूप से शायद ही इसमें दिलचस्पी हो मगर उन करोड़ों यूरोपिय लोगों के ख़ातिर, जिनका शांति के लिए गूंगा रोदन मैं सुन सकता हूँ, क्या आपसे शांति के लिए प्रयास करने की अपील करना बहुत अधिक होगा ? मैंने आप और वरिष्ठ मुसोलिनी, जिनसे गोलमेज़ सम्मेलन में भाग लेने के चलते अपनी इंग्लैंड की यात्रा के दौरान रोम में मुलाक़ात का अवसर प्राप्त हुआ था, से संयुक्त अपील करना चाहता हूँ । मुझे आशा है कि वो आवश्यक संशोधनों के साथ इस पत्र को पढ़ेंगे व इसे अपने लिए लिखा हुआ पाएंगे ।

आपका सच्चा मित्र
एम के गांधी
(हस्ताक्षर)

देशकाल

ये केवल समझ का ही फर्क है मगर मूल में देखा जाए तो फ़ासीवाद और नाज़ीवाद आपस में नाभिनालबद्ध है । यहाँ हमें यह समझना होगा कि अपने आरंभिक दौर में भले ही ये आपको अलग लगें, मगर चाहें एक विकसित फ़ासीवाद हो या नाज़ीवाद, ये किसी व्यक्ति या वर्ग विरोधी नहीं होते । अपने विकास को प्राप्त होते ही ये हर उस शख़्स को मिटा देते हैं जिसके विचार उसके अपने विचारों से ज़रा भी मेल नहीं खाते । अगर सरलतम शब्दों में समझाने की कोशिश करूँ तो फासीवाद और नाज़ीवाद अतिराष्ट्रवाद की भावना का ही पूर्ण विकसित स्वरूप हैं । यहाँ ऐतिहासिक तथ्यों तथा तर्कों के माध्यम से एक सार्थक मत खड़ा करने के पीछे की मंशा महज़ इतनी सी, कि अपने पाठकों के बीच किसी भी तरह के अतिवाद के प्रति एक समझ विकसित की जा सके ताकि अगर आप कहीं भी उसकी परछाई देखें तो उसके प्रति अपना विरोध दर्ज़ कर सकें ।

अपनी आज की बात की शुरुआत ऑस्विज़ यातना शिविर, जिसे अब संग्रहालय में परिवर्तित कर दिया गया है, की दीवार पर लिखी चार पंक्तियों के साथ करना चाहूँगा:

It didn't start with gas chambers. It started with one party controlling the media. One party controlling the message. One party deciding what is truth. One party censoring speech and silencing opposition. One party dividing citizens into "us" and "them" and calling on their supporters to harass "them". It started when good people turned a blind eye and let it happen.

इसकी शुरुआत गैस चैंबर्स से नहीं हुई थी । इसकी शुरुआत एक पार्टी के मीडिया को नियंत्रित करने से हुई थी । एक पार्टी द्वारा संदेश को नियंत्रित किए जाने से हुई थी । एक पार्टी के ये तय करने से हुई थी कि क्या सच है । एक पार्टी के अभिव्यक्ति को रोकने और विरोधियों के दमन से हुई थी । एक पार्टी के द्वारा अपने लोगों को "हम" और "वो" में बांटने और अपने समर्थकों को बुला कर "वो" का खिताब पहने लोगों का उत्पीड़न करने से हुई थीं । इसकी शुरुआत तब हुई थी जब अच्छे लोगों ने अपनी आँखें मूँद लीं थीं और इसे होने दिया था ।

हिटलर की विस्तारवादी नीतियों की चर्चा हम अपने पिछले अंक में कर ही चुके हैं, जोकि आगे चल कर द्वितीय विश्वयुद्ध का कारण बनीं, लेकिन ये केवल विस्तारवादी नीति ही नहीं थी जिसको हिटलर ने अपने एजेंडे में शीर्ष पर वरीयता दी थी । हिटलर जो अपने आपको विशुद्ध आर्यन नस्ल का बेहतरीन नमूना मानता था, की नज़र में आर्यन्स ही सबसे उम्दा नस्ल थी और उसे ही जीवित रहने का अधिकार था तथा उसका विस्तार किए जाने की आवश्यकता थी । यही एक प्रमुख कारण था कि हिटलर की नज़र में जो कोई भी आर्यन नस्ल का हिस्सा नहीं था वो दोयम दर्ज़े का नागरिक था, जिससे उसके जीने के अधिकार सहित सब कुछ छीन लिया जाना चाहिए था । हिटलर की आत्मकथा पढ़ते वक़्त आप पाएंगे कि उसने अधिकतम भाग में यहूदियों के प्रति उसकी मानसिकता की साफ झलक मिलती है । उदाहरण के लिए हिटलर की आत्मकथा के कुछ अंश देखें:

"खून की मिलावट और इसके परिणामस्वरूप नस्लीय स्तर में गिरावट पुरानी संस्कृतियों के ख़त्म होने का एकमात्र कारण है; क्योंकि पुरुष हारे हुए

"केवल जर्मन प्रतिष्ठानों से ही सामान खरीदें"
के बोर्ड के साथ नाज़ी पार्टी के समर्थक

युद्धों के परिणामस्वरूप नष्ट नहीं होते हैं, बल्कि प्रतिरोध की उस शक्ति की क्षति से होते हैं जो केवल शुद्ध रक्त में निहित होती है । वे सभी जो इस संसार में अच्छी जाति के नहीं हैं, यहूदी हैं । और विश्व इतिहास में सभी घटनाएं आत्म-संरक्षण के लिए दौड़ की प्रवृत्ति की अभिव्यक्ति मात्र हैं । हमें अपनी जाति और अपने लोगों के अस्तित्व, अपनी नस्ल के विस्तार, अपने बच्चों के भरण-पोषण और अपने खून की पवित्रता, पितृभूमि की स्वतंत्रता और उसकी स्वतंत्रता की रक्षा के लिए लड़ना चाहिए, ताकि परम शक्ति के द्वारा बनाई गई हमारी अपनी नस्ल के लोग उस असीम की आकांक्षाओं की पूर्ति कर सकें । जो लोग शारीरिक और मानसिक रूप से अस्वस्थ और अयोग्य हैं, उन्हें अपनी तकलीफ़ों को अपने बच्चों के शरीर में नहीं ले जाना चाहिए ।"

संभवतः यही कारण रहा था जिसके चलते अपनी विस्तारवादी नीति की आड़ में हिटलर जर्मनी को विशुद्ध खून की कौम का राष्ट्र बनाने में जुट गया । हिटलर ने अपने जीवन के लक्ष्य में जर्मनी को सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाना निर्धारित कर लिया और इसका एक ही तरीका था, यहूदियों का समूल नाश । इस काम को अंजाम देने के लिए बहुत बड़े स्तर पर अभियान चलाए गए, अखबारों, रेडियो आदि के माध्यम से यहूदियों के खिलाफ़ कई तरह के भड़काऊ बयान जारी किए गए । होते या न होते हुए भी जर्मनी में होने वाली किसी भी गड़बड़ी के तार किसी न किसी यहूदी से जोड़ दिए जाते थे और उसके लिए पूरी कौम को जिम्मेदार ठहराया जाता । यहूदियों के खिलाफ मनगढ़ंत कहानियाँ, किस्सों से जर्मन साहित्य को पाट दिया गया । जर्मनी की जनता के दिमाग में यहूदियों की एक तस्वीर से उकेर दी गई, कि हर वो व्यक्ति जिसने कोई गुनाह किया है यहूदी है, हर वह व्यक्ति दोषी है जो यहूदी है । बात योग्यता अथवा पात्रता की नहीं है पर यदि कोई जर्मन बेरोजगार है तो इसका मतलब सिर्फ इतना है कि उसके हक़ की कमाई कोई यहूदी लूट ले रहा है । उस समय जन-जन के मन में ये विश्वास जगा दिया गया कि यहूदियों की बढ़ती जनसंख्या एक रोज़ पूरी जर्मनी पर कब्जा लेगी, हर यहूदी उनकी आने वाली पीढ़ीयों के लिए एक खतरा हैं । अगर हिटलर की आत्मकथा की बात करें तो उसने अपनी सारी ऊर्जा यहूदियों को दुनिया की सबसे ख़राब कौम साबित करने तथा अपने तर्कों के केंद्र में सुजनन तथा खून की मिलावट को रोकते हुए यहूदियों के सम्पूर्ण नाश पर ही केन्द्रित करने में खर्च की है । उदाहरण के लिए:

"अचानक मेरा सामना बगल बंद वाला चोगा पहने एक भूत से हो गया । मैंने सोचा क्या ये यहूदी है ? मैंने चुपके चुपके उस आदमी को ध्यान से देखा । उसके विदेशी चेहरे, उसके एक-एक नाक-नक्शे को जितना ध्यान से

देखता गया मेरे अंदर पहले सवाल ने नया रूप ले लिया । मैंने किताबों के ज़रिए अपने संदेह को दूर करने का निश्चय किया । मैं जहाँ भी जाता मुझे केवल यहूदी ही दिखाई देते । ...मैंने उन चुनिन्दा लोगों के शरीर पर नैतिक धब्बों को देख लिया । ... मैंने खास तौर पर पाया कि सांस्कृतिक जीवन में ऐसे कोई गंदगी या लंपटगीरी नहीं, जिसके साथ कोई यहूदी जुड़ा न हो । इस मवाद को यदि आप सावधानी से छेड़ें तो रौशनी गिरते ही किसी सड़े हुए अंगे के कीड़ों की तरह ये चौंधिया कर बिलबिलाते दिख जाएंगे । ...ये गंदे और कुटिल लोग मासूम जर्मन लड़कियों को बहला-फुसला कर, उनको अपने प्रेम जाल में फंसा कर उनका खून गंदा किया करते हैं" । (हिटलर की आत्मकथा की पृष्ठ संख्या 56-57,58,63-64 से)

अब तक आप समझ ही गए होंगे कि यहूदियों का विरोध तथा उनका उत्पीड़न नाज़ी विचारधारा का केन्द्रीय सिद्धान्त था । हिटलर ये बात बहुत अच्छी तरह जनता था कि बड़े उद्देश्यों की पूर्ति सिर्फ बयानों के माध्यम से नहीं की जा सकती और इसी क्रम में उसने सन 1925 में प्रकाशित अपनी नाज़ी पार्टी के चुनावी एजेंडे में ही सार्वजनिक रूप से यहूदियों को आर्यन समाज से अलग कर दिया था तथा उनके राजनैतिक, कानूनी तथा नागरिक अधिकारों को समाप्त करने की घोषणा कर दी थी । हिटलर के द्वारा किए गए सारे वादे किसी राजनेता के द्वारा किए गए कोरे वादे नहीं थे, ये एक कट्टर दक्षिणपंथी नेता का प्रण था जिसे उसे हर हाल में पूरा करना था । सत्ता में आने से लेकर दुनिया को द्वितीय विश्वयुद्ध की आग में झोंके जाने से पहले, लगातार 6 सालों तक यहूदियों से संबंधी 400 से अधिक कानून तथा नियम बनाए गए तथा कई फ़रमान जारी किए गए जो सीधे तौर पर यहूदियों से जुड़े लगभग सभी पहलुओं को प्रतिबंधित करते थे । इनमें से लगभग सभी कानून जर्मन सरकार द्वारा जारी किए गए थे । लेकिन राज्य, क्षेत्रीय तथा नगर निगम के अधिकारियों द्वारा भी कई तरह के बहिष्कार संबंधी फ़रमान भी जारी किए गए । और इस प्रकार सरकार के द्वारा पूरे देश में सभी स्तरों पर यहूदियों का उत्पीड़न किया गया । यहाँ नोट करने वाली बात यह है कि चर्चों के माध्यम से भी यहूदियों के बहिष्कार तथा उनके दोयम दर्ज़े के नागरिक होने संबंधी आदेश जारी किए गए ।

ये वो दौर था जब नाज़ी पार्टी ने सत्ता पर काबिज होने के एक महीने बाद ही अपने प्रोपगंडे को चलना शुरु कर दिया । अपने शुरुआती दौर में ही माह-दर-माह एक-एक कर यहूदियों के सारे सांविधिक अधिकारों को निरस्त किया जाता रहा तथा उन्हें दोयम दर्ज़े का नागरिक साबित करने की चौतरफ़ा कोशिशें की जाती रहीं । प्रथम पाँच वर्षों के दौरान देश, राज्य, नगरपालिका, न्याय व्यवस्था आदि एक माध्यम से सैकड़ों दमनकारी क़ानून, आदेश, निर्देश, राजपत्र, विनियमों आदि के माध्यम से एक-एक कर जर्मनी के यहूदी नागरिकों को सारे अधिकारों से वंचित कर दिया व इसी के साथ उनके मानवाधिकारों के हनन की घटनाएँ बढ़ती चलीं गईं । आज के स्तम्भ में हम ऐसे ही कुछ क़ानूनों तथा फ़रमानों के संबंध चर्चा करेंगे ।

यहूदियों को उनके अधिकारों से वंचित करने वाला पहला कानून 7 अप्रैल 1933 को उस वक्त अस्तित्व में आया जब व्यावसायिक सिविल सेवा की बहाली के लिए कानून बनाए जा रहे थे । इस नए कानून के अनुसार यहूदियों को अविश्वासपात्र मानते हुए सिविल सेवाओं से बाहर कर दिया गया । ये आर्यन शुद्धता कानून का पहला सूत्र था जिसने आगे चल कर सन 1935 में न्यूरेम्बर्ग रेस लॉ की नींव रखी । 1933 में आया यह पहला कानून था जिसमें यहूदियों को धार्मिक विश्वास के आधार पर नहीं बल्कि पैतृक वंश के आधार पर परिभाषित किया गया था ।

अप्रैल 1933 के दौरान स्कूल तथा कॉलेजों में यहूदी विद्यार्थियों की संख्या को प्रतिबंधित कर दिया गया और महीने का आखिर आते-आते चिकित्सा के क्षेत्र में तथा कानूनी मामलों में यहूदियों की संख्या को कम करने के लिए विभिन्न वैधानिक प्रतिबंध लाद दिए गए । आने वाले महीनों में हालात और भी खराब हो गए जब यहूदी चिकित्सकों को दी जाने वाली प्रतिपूर्ति पर रोक लगा दी गई । वक्त बीतने के साथ न केवल केन्द्रीय आदेश बल्कि स्थानीय स्तर पर शहर के मेयरों, नियंत्रण निकायों के द्वारा विभिन्न आदेश पारित कर बर्लिन शहर की अदालत में यहूदियों को वकील, नोटरी तथा कानून संबंधी सभी तरह के मामलों से चुन-चुन कर निकाल दिया गया । म्यूनिख के मेयर ने यहूदी डॉक्टरों को गैर यहूदियों का इलाज़ न करने संबंधी बेहद सख्त कानून लागू कर दिए तथा बवेरियन आंतरिक मंत्रालय ने एक आदेश जारी करते हुए यहूदी छात्रों को मेडिकल की पढ़ाई करने से प्रतिबंधित कर दिया ।

जैसे-जैसे साल बीतते गए, वैसे-वैसे ये नियम और अधिक कड़ाई के साथ लागू किए जाने लगे तथा यहूदियों की स्थितियाँ बद से बदतर होती चलीं गईं । सन 1934 के शुरुआती महीनों में राष्ट्रीय स्तर पर यहूदियों के कर सलाहकारों के पदों को समाप्त कर दिया गया । स्कूलों तथा कॉलेजों में गैर-आर्यों के प्रवेश को 1.5% तक प्रतिबंधित कर दिया गया । यहूदी नागरिकों को सेना के सभी पदों से बाहर निकाल दिया गया और मध्य 1934 आते-आते सभी यहूदी कलाकारों को सार्वजनिक मंचों पर अभिनय तथा कला प्रदर्शन से प्रतिबंधित कर दिया गया । इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए सैक्सोनी के स्थानीय मेयर द्वारा आदेश जारी किया गया जिसके तहत यहूदियों द्वारा जानवरों की हत्या को प्रतिबंधित कर दिया गया और इसी के साथ उनके ऊपर यहूदी आहार कानून को पालन करने की बाध्यताएँ लाद दीं गईं ।

सभी सरकारी एजेंसियों का उद्देश्य यहूदियों की जीविकोपार्जन रोक कर उन्हें जर्मनी के आर्थिक क्षेत्र से बाहर करना था । उसी समय में लाए गए एक कानून के माध्यम से सभी यहूदियों को अपनी देश तथा विदेश के भीतर अर्जित सभी सम्पत्तियों को सरकार के साथ पंजीकृत करने के बाध्यकारी आदेश जारी किए गए , जोकि आगे जा कर उनकी भौतिक संपत्तियों को जब्त करने की प्रस्तावना साबित हुई । नाज़ी जर्मनी का नया उद्देश्य यहूदी स्वामित्व वाले सभी व्यवसायों को 'आर्यनाइज़' करना था । इसके लिए यहूदी कार्मिकों तथा प्रबन्धकों की बर्खास्तगी के साथ-साथ गैर-यहूदी जर्मन लोगों की अधिग्रहण कर उन्हें किसी आर्यन नस्ल के व्यक्ति के नाम पर हस्तांतरित करना था । इस सम्पत्तियों को बाजार मूल्य से काफी कम या केवल वायदा कर बिना किसी भुगतान के अधिग्रहीत किया जाता था । इसी प्रकार कानून के चलते नाज़ी जर्मनी तथा उसके विजित देशों में यहूदियों के

न्यूम्बर्ग रेस कानूनों के तहत शुद्ध खून की पहचान के लिए तैयार किया गया चार्ट

न्यूम्बर्ग रेस कानूनों ने आधिकारिक रूप से नाज़ी नस्लीय नीति की आधारशिला रखी । सितंबर सन 1935 में आए इन क़ानूनों ने यहूदी विरोधी कानूनों की एक नई लहर को पैदा किया, जिसने कई तरह के नए कानूनों को बनाए जाने की भूमिका तैयार की जो आने वाले समय की सबसे भयानक सुनियोजित हत्याओं के रूप में परिणामित हुई । इन कानूनों के माध्यम से यहूदियों के जीवन के कई छोटे बड़े पहलुओं को सीधे शासन के नियंत्रण के अधीन ला दिया गया । अगस्त 1938 आते-आते जर्मन अधिकारियों द्वारा एक बार फिर से यहूदियों के विधायी उत्पीड़न की गति को तेज़ कर दिया गया तथा कई नए दमनकारी कानून उनके ऊपर लाद दिए गए जिनमें से एक के तहत यहूदियों को नाज़ी जर्मनी में किसी भी चिकित्सकीय परीक्षा में भाग लेने की अनुमति नहीं थी । 1 अगस्त 1938 को आए फैसले के अनुसार ऐसे सभी यहूदी पुरुष तथा महिलाओं, जिनके नाम गैर-यहूदी नामों से मिलते-जुलते थे, को 1 जनवरी 1939 से क्रमशः अपने नामों के आगे इज़राइल तथा सारा जोड़ने का आदेश जारी किया, ताकि उनके नामों के साथ उनको अलग से पहचाना जा सके । इसी के साथ सभी यहूदियों को एक पहचानपत्र जारी कर दिया गया, जिसे उन्हें हमेशा अपने साथ रखना होता था । इसी साल नवंबर में एक नया नियम लागू किया गया जिसके तहत सभी पासपोर्ट धारक यहूदियों के पासपोर्ट पर 'जे'(ज्यू) अक्षर की मोहर अंकित कर दी गई ताकि उनके

ताकि उनके विदेश यात्रा पर जाने वाले सभी यहूदियों की पहचान में किसी भी तरह की गलतफ़हमी की गुंजाइश न रहे । इसी समय एक और कानून भी लाया गया जिसके तहत देश छोड़ कर जाने वाले यहूदी को अपनी कुल संपत्ति का 90% सरकार के नाम करना होता था ।

९-१० नवंबर को इतिहास में क्रिस्टालनाचट प्रोग्राम (आम तौर पर "द नाइट ऑफ ब्रोकेन ग्लास) के नाम से जाना जाता है । इन तारीखों से यहूदियों को सभी सार्वजनिक प्रतिष्ठानों यथा स्कूलों, पार्कों, सिनेमाघरों, खेलने की सुविधाओं आदि से वंचित कर दिया गया था । शहरों की तमाम दुकाने और प्रतिष्ठान 'यहूदियों का प्रवेश निषेध' जैसे पोस्टरों से पाट दीं गईं । सरकार को यहूदियों को इस तरह से अलग से चिन्हित करने की प्रणाली की आवश्यकता थी कि उन्हें बाकी की जर्मन आबादी के बीच अलग से पहचाना जा सके । इसके लिए एक विशेष तरह का प्रावधान किया गया जिसके तहत सभी यहूदियों को अपने दाहिने हाथ पर अथवा अपने कोट पर सामने की ओर पीले रंग से बने सितारे जिसे "स्टार ऑफ डेविड सिवान" भी कहा जाता है, को पहनने का निर्देश जारी कर दिया गया । ऐसा न करते हुए पकड़े जाने पर प्राणान्तक कष्ट दिए जाने का प्रावधान था और इसे पहनवाने का उद्देश्य महज़ इतना ही था कि यहूदियों को अलग से पहचाना जा सके । यहाँ पर ये बात विचारणीय है कि 1940 का समय आते-आते यहूदियों के लिए सभी प्रमुख सड़कों पर चलना प्रतिबंध था तथा उन्हें आने-जाने के लिए गलियों का इस्तेमाल करना होता था और अगर किसी भी कारण से मुख्य सड़क पर आना भी पड़े तो प्रतिबंधित के चलते उन्हें आने-जाने के लिए सड़क और पगडंडियों के बीच बनी नालियों से चल कर जाना होता था और इस तरह के कानून की अवहेलना करते हुए पाए जाने पर उन्हें गोली मारे जाने तक की संभावना बनी रहती थी ।

यहाँ पर इसी विषय से संबन्धित एक वाकये का ज़िक्र करना समीचीन होगा । एक ओर जहाँ जर्मनी सभी विजित देशों में यहूदियों के समूल नाश के लिए तरह-तरह की योजनाएँ तथा यातना शिविर चला रहा था व अन्य देशों से उनके यहाँ रहने वाले यहूदियों को मारने या अपने देश से निष्कासित करने का अनुरोध कर रहा था, उस दौर में भी कुछ लोग मानवीयता की मिसाल बने खड़े थे और अपनी क्षमता के साथ डट कर इन नाज़ीवादी ताकतों का सामना कर रहे थे । ऐसे में जब डेनमार्क पर जर्मनी का कब्जा हो जाने के पश्चात सभी डेनिश यहूदियों के लिए स्टार ऑफ डेविड सिवान पहनने संबंधी आदेश जारी हुआ तो आदेश जारी होने के अगले ही दिन डेनमार्क का हर नागरिक, चाहें वह यहूदी हो या न हो, लगभग उसी तरह का सितारा पहने हुए अपने घर से बाहर निकला । इस घटना के बाद मजबूरन स्थानीय तंत्र को अपना आदेश वापस लेना पड़ा । आगे चल कर जब डेनमार्क के लोगों को जर्मन तानाशाह के द्वारा यहूदियों की हत्या के संबंध में पता चला तो स्थानीय लोगों ने अपने स्तर पर की जा सकने वाली हर संभव मदद को जुटाकर सारे यहूदियों को समुद्री जहाजों के माध्यम से स्वीडन स्थानांतरित करवा दिया । अगर आप इतिहास उठा कर देखेंगे तो पाएंगे कि डेनमार्क में केवल 120 यहूदियों की मृत्यु हुई जोकि आंकड़ों की दृष्टि से पूरी मध्य एशिया के किसी भी देश में हुई हत्याओं की तुलना में न के बराबर है । ठीक इसी तरह की मदद मोरेक्को के शासक मोहम्मद V के साम्राज्य में भी देखने को मिलती हैं जब उन्होंने सभी धमकियों को ताक पर रखते हुए अपने देश के यहूदियों की रक्षा की । जब फ्रांस के द्वारा मोरेक्को के सभी यहूदियों की सम्पत्तियों को जब्त किए जाने तथा उनको गिरफ्तार करने का आदेश जारी किया गया तो मोहम्मद V ने गोपनीय रूप से अधिक से अधिक संख्या में यहूदियों को अपने महल में बुलाकर शाही बग्गियों के माध्यम से उन्हें सुरक्षित सीमाओं के बाहर भेज दिया ।

जर्मनी द्वारा पारित किए गए नस्लभेदी क़ानूनों में सभी के बारे में विस्तार से चर्चा करना तथा उनके प्रभावों का विश्लेषण करना विषय को आनापेक्षिक विस्तार देने के रूप में परिणामित होगा अतः स्तम्भ के शब्दों की बाध्यता को देखते हुए हम विस्तार में चर्चा किए बिना यहूदियों के ऊपर लादे गए प्रमुख-प्रमुख कानूनों को तिथिवार आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं ।

- 31 मार्च 1933 – बर्लिन शहर के स्वास्थ्य आयुक्त ने आदेश जारी करते हुए यहूदी डॉक्टरों को सामाजिक कल्याण सेवाओं से निष्कासित कर दिया ।
- 7 अप्रैल 1933 – व्यावसायिक सिविल सेवा बहाली के लिए सभी

यहूदियों को सरकारी एवं लाभ के पदों से हटा दिया गया तथा विधिक मामलों (वकालत करने सहित) में यहूदियों के प्रवेश पर रोक लगा दी गई ।

- 25 अप्रैल 1933 – स्कूल कॉलेज में बढ़ती भीड़ को नियंत्रित करने के नाम पर यहूदी छात्रों की संख्या को सीमित कर दिया गया ।
- 14 जुलाई 1933 – अप्राकृतिकरण कानून के माध्यम से यहूदियों की नागरिकता समाप्त कर दी गई तथा उन्हें "अवांक्षित" के रूप में चिन्हित किया गया ।
- 4 अक्तूबर 1993- सभी तरह के संपादकीय पदों से यहूदियों को हटाने के लिए कानून लागू किया गया ।
- 21मई 1934 यहूदियों को सेना की सेवाओं से बाहर निकाल दिया गया ।
- 14 सितंबर 1935 – न्यूरेम्बर्ग रेस कानून के माध्यम से जर्मन यहूदियों को जर्मन नागरिकता से बाहर कर दिया गया तथा उन्हें मूल जर्मनी तथा जर्मनी से संबन्धित रक्त वाले किसी भी व्यक्ति से विवाह करने या किसी भी तरह के शारीरिक संबंध रखने को प्रतिबंधित कर दिया गया ।
- 11 जनवरी 1936 – रीच कर कानून (मूल रूप से ये कई बेतुकी शर्तों से बने कानून थे जिनको यहूदियों की संपत्ति हड़पने के लिए बनाया गया था) के माध्यम से यहूदियों को कर सलाहकार के रूप में काम करने से रोका गया ।
- 30 अप्रैल 1936 – रीच पशु चिकित्सा कानून के द्वारा यहूदियों द्वारा पशुपालन तथा उनके आहार को प्रतिबंधित किया गया ।
- 15 अक्तूबर 1936 – सभी यहूदियों को प्रशिक्षण संबंधी व्यवसाय से प्रतिबंधित कर दिया गया ।
- 9 अप्रैल 1937 – सभी यहूदी बच्चों को आगामी नोटिस दिए जाने तक स्कूलों से बाहर निकाल दिया गया ।
- 5 जनवरी 1938 – यहूदियों को अपना नाम तथा परिवार बदलने को प्रतिबंधित कर दिया गया ।
- 5 फरवरी 1938 – यहूदियों को नीलामी संबंधी सभी पेशों से प्रतिबंधित कर दिया गया ।
- 18 मार्च 1938 – बंदूक कानून के माध्यम से यहूदियों को बंदूकों से जुड़े किसी भी पेशे तथा किसी भी तरह की बंदूक रखने को प्रतिबंधित कर दिया गया ।
- 22 अप्रैल 1938 – यहूदियों को अपने प्रतिष्ठान या व्यवसाय का नाम जर्मन नामों पर रखने से रोक लगा दी गई ।
- 26 अप्रैल 1938 –यहूदी संपत्ति प्रकटीकरण कानून के माध्यम से यहूदियों को 5000 रिचमार्क्स से अधिक की प्रत्येक संपत्ति को सरकारी कार्यालय में पंजीकृत करने के लिए बाध्य किया गया ।
- 11 जुलाई 1938- आंतरिक मामलों के रीच मंत्रालय ने यहूदियों को स्वास्थ्य सेवाओं से प्रतिबंधित किया ।
- 1 अगस्त 1938 - सभी यहूदी जिनके नाम गैर-यहूदी नामों से मिलते जुलते हैं, को पुरुष तथा महिलाओं को क्रमशः अपने नामों के आगे इज़राइल तथा सारा जोड़ने संबंधी आदेश जारी किया गया ।
- 3 अक्तूबर 1938 – यहूदियों की संपत्ति को गैर-यहूदी जर्मनों को हस्तांतरित करने संबंधी कानून बनाए गए।
- 5 अक्तूबर 1938 – सभी जर्मन यहूदियों के पासपोर्टों को निरस्त कर दिया गया तथा उनकी बहाली के लिए उन्हें कार्यालय में जा कर उन पर 'जे' अक्षर की मोहर लगवाने का निर्देश जारी किया गया ।
- 12 नवंबर 1938 – एक आदेश जारी करते हुए यहूदी स्वामित्व वाले सभी प्रतिष्ठानों को बंद कर दिया गया ।
- 28 नवंबर 1938 – आंतरिक रीच मंत्रालय द्वारा यहूदियों की आवाजाही की आज़ादी को समाप्त कर दिया गया ।
- 29 नवंबर 1938 – आंतरिक रीच मंत्रालय के द्वारा यहूदियों के संदेशवाहक कबूतर रखने को प्रतिबंधित किया गया ।
- 14 दिसंबर 1938 – विशेष कानून के माध्यम से यहूदी साझेदारी वाली सभी फार्मों से राज्य के अनुबंधों को समाप्त कर दिया गया ।
- 21 दिसंबर 1938 – प्रसूति संबंधी सभी नर्सों को उनके कार्य से प्रतिबंधित कर दिया गया ।
- 21 फरवरी 1938 – यहूदियों को सभी बहुमूल्य रत्नों, सोना, चाँदी, हीरा तथा अन्य कीमती सामानों को बिना किसी प्रतिपूर्ति के सरकारी विभागों में जमा करने संबंधी आदेश जारी किया गया ।
- 1 अगस्त १९३९- जर्मन लॉटरी के अध्यक्ष ने यहूदियों द्वारा लॉटरी टिकट की खरीद प्रतिबंधित की गई ।

** फरवरी 1939 के आने के साथ ही नाजी जर्मनी की करतूतें जगजाहिर हो चुकी थीं तो अलग से आदेश जारी करने की आवश्यकता नहीं हुई तथा यहूदियों को यातना शिविरों में विस्थापित कर सुनियोजित रूप से उनकी सामूहिक हत्या की जाने लगी ।

इस सब पर सवाल ये उठता है कि स्थानीय लोग इसे किस दृष्टि से देखते थे, उनकी नज़र में यहूदियों की क्या स्थिति थी ? का सीधा जवाब है कि अविरत रूप से हिटलर की नस्लीय भेदभाव पूर्ण नीति के तहत चलाए गए बृहत्तर कार्यक्रम के माध्यम से अखबारों, रेडियो आदि के द्वारा यहूदियों के खिलाफ़ जो भड़काऊ और झूठे बयान जारी किए गए, कहानियाँ गढ़ी गईं उनका असर आम जनमानस पर हावी होता चला गया और धीरे-धीरे जनमानस की चेतना शून्य होती चली गई । उस दौर में स्थानीय लोगों के लिए सिर्फ वही सच था जो समाचारों, पोस्टरों, फिल्मों, रेडियो आदि के माध्यम से स्थानीय लोगों को दिखाया जा रहा था । मुझे हमेशा ही यही लगता है कि इतिहास को पढ़ने और समझने के अर्थ यह नहीं है कि सभी को यह तथ्य पढ़ा और रटा दिया जाए कि किस तरह एक तानाशाह ने 6 मिलियन से ज्यादा यहूदियों का नरसंहार कर दिया बल्कि इतिहास को समझने का प्राप्य यह होना चाहिए कि पाठक को समझ में आए कि किस तरह हिटलर ने करोड़ों जर्मन लोगों को इस बात के लिए राज़ी कर लिया कि जर्मनी के विकास के लिए ये किया जाना आवश्यक था । इतिहास का पाठ इस तरह होना चाहिए कि अगर पाठक किसी भी रूप में फासीवाद को पैर पसारते देखे तो उसे पहचान सके, उसका विरोध कर सके । हालांकि ये एक शोध का विषय है कि किस तरह से महज कुछ एक वर्षों में बृहत्त स्तर पर किए गए झूठे प्रचार तथा फैलाए गए प्रोपगंडे के माध्यम से दशकों से साथ रह रहे पड़ोसियों तथा मित्रों के मध्य इतनी बड़ी खाई खोदी जा सकती है कि वे दूसरे का क्षत-विक्षत शरीर देखकर भी विचलित नहीं होते, मगर इस विषय पर लंबी चर्चा हम इसी स्तम्भ के माध्यम से अपने अगले अंक में करेंगे ।

शब्द शब्दांतर

शब्द	उच्चारण	उद्भव	अर्थ
Ubiquitous	Yoo-bi-kvuh-tuhs	लैटिन	सर्वव्यापक
Perforce	Puh-faws	एंग्लो- फ्रेंच	मजबूरन
Quagmire	Kvag-mai-uh	मध्यकालीन अंग्रेज़ी	तंग हालत
Transcendental	Tran-suhnd-ent-uhl	मध्यकालीन लैटिन	अधिक प्रवीण
Prognosis	Prawg-noh-suhs	ग्रीक	पूर्वानुमान
Sacrilege	Sa-kruh-luhj	लैटिन	अपवित्रीकरण
Earmark	Eeuh-maak	मध्यकालीन अंग्रेज़ी	चिह्नित करना
Pacifism	Pa-suh-fi-zm	लैटिन	शांतिवाद
Furore	Fyoo-raw-ree	लैटिन	हंगामा/ उत्तेजना
Vacuity	va-kyoo-uh-tee	लैटिन	निस्सारता/ भावशून्यता
Tacit	Ta-suht	लैटिन	मौन / उपलक्षित
Macabre	Muh-kaa-bruh	प्राचीन फ्रेंच	भयावह / भीषण
Pinnacle	Pi-nuh-kl	लैटिन	शिखर
Ruminate	Roo-muh-nayt	लैटिन	चिंतन करना
Truce	troos	मध्यकालीन अंग्रेज़ी	युद्धविराम
Implicit	Uhm-pli-suht	लैटिन	अंतर्निहित
Timorous	Ti-muh-ruhs	प्राचीन फ्रेंच	डरपोक
Repercussions	Ree-puh-kuh-shnz	लैटिन	प्रभाव
Slew	sloo	मध्यकालीन अंग्रेज़ी	अनेकता
Topple	Taw-pl	मध्यकालीन अंग्रेज़ी	गिर पड़ना
Equanimity	Eh-kvuh-ni-muh-tee	लैटिन	समवृत्ति
Fetish	Feh-tuhsh	फ्रेंच	अंधश्रद्धा
Litigant	li-tuh-gnt	लैटिन	विवादी / मुक़दमेबाज़
Fallible	Fa-luh-bl	लैटिन	चूकने वाला या भूल करने वाला
Unveils	Uhn-vaylz	लैटिन	खुलासा
Dalliance	Da-lee-uhns	मध्यकालीन अंग्रेज़ी	विहार
Preposterous	Pruh-paw-stuh-ruhs	लैटिन	निरर्थक / असंगत
Amuck	Uh-muhk	मध्यकालीन अंग्रेज़ी	उन्मत्तावस्था / आपे से बाहर
Retrench	Ruh-trench	फ्रेंच	कम करना / छांटना
Profuse	Pruh-fyoos	लैटिन	अत्यधिक / प्रचुर

संकलनकर्ता
नेहा रंजन
सहायक प्रबंधक
केंद्रीय कार्यालय

केन्द्रीय कार्यालय में हिन्दी दिवस आयोजन की झलकियाँ

केन्द्रीय कार्यालय में हिन्दी दिवस आयोजन की झलकियाँ

क्षेत्रीय कार्यालयों में हिन्दी दिवस कार्यक्रम की झलकियाँ

अहमदाबाद

बड़ौदा

भोपाल

देहरादून

दिल्ली

एरणाकुलम

गोवा

गुवाहाटी

जयपुर

लुधियाना

मदुरै

मेरठ

क्षेत्रीय कार्यालयों में हिन्दी दिवस कार्यक्रम की झलकियाँ

नागरकोविल

नागपुर

एनसीआर

पटना

पुदुचेरी

पुणे

रायपुर

रांची

सिलीगुड़ी

तिरुवनन्तपुरम

वाराणसी

लियो टॉल्स्टॉय सिपाही, लेखक और साधू की आत्मा एक ही शरीर में

आदर्श गुप्ता
प्रबंधक
क्षेत्रीय कार्यालय – लखनऊ

लियो टालस्टॉय उन लेखकों में से है जिसने जिंदगी के हर पहलू को देखा जिया और शब्दों में उसे उकेरा। वे शब्दों के चित्रकार थे। कई मामलों में संत भी कहें तो अतिशयोक्ति न होगी। आप श्रम, शक्ति और प्रेम के लेखक थे। उन्होंने कहा भी था कि "अगर कोई व्यक्ति कोई काम करना और प्रेम करना जानता है तो वह दुनिया में शानदार तरीके से जी सकता है"।

आपका जन्म रूस के मास्को से लगभग 100 मील दक्षिण में स्थित रियासत "यास्नाया पोल्याना" के एक संपन्न परिवार में हुआ था, बचपन में ही आपके मां – बाप गुज़र गए और आपका लालन-पालन आपकी चाची कात्याना द्वारा किया गया। बचपन से ही आपको बेहतर शिक्षा – दीक्षा प्राप्त हुई। सन 1844 में आपने कजान विश्वविद्यालय में दाखिला लिया और सन 1847 तक उन्होंने पूर्वी भाषाओं और विधि संहिताओं का अध्ययन किया। आपके परिवार में सैन्य सेवा की सुदीर्घ परंपरा रही थी। आपके पिता ने भी 1812 ईसवी में नेपोलियन के विरूद्ध युद्ध किया था। सन 1851 में आप लगभग 22 वर्ष की उम्र में कुछ समय के लिये सेना में भी प्रविष्ट हुए थे और लगभग 5 वर्षों तक अपनी सेवाएं प्रदान की। आपकी नियुक्ति कोकेशस में पर्वतीय कबीलों से होने वाली दीर्घकालीन लड़ाई में हुई जहाँ अवकाश का समय आप अध्ययन में व्यतीत करते और यहीं पर आपने अपनी प्रथम रचना **चाइल्डहुड** लिखी जो एल0 टी0 के नाम से "टि कंटेंपोरेरी" नामक पत्र में प्रकाशित हुई। सन 1854 में आपको डैन्यूब के मोर्चे पर भेजा गया और यहीं से आपने अपनी बदली सेबास्तोपोल में करा ली । आपको युद्ध और युद्ध के संचालकों को निकट से देखने परखने का पर्याप्त अवसर मिला आप इस मोर्चे पर अंत तक रहे और अनेक करारी मुठभेड़ों में संघर्षरत रहे, युद्ध की उपयोगिता और जीवन पर उसके प्रभावों को निकट से देखने समझने के यथेष्ट अवसर आपको मिला और इन उपलब्धियों का यथोचित उपयोग आपने अपनी अनेक परवर्ती रचनाओं में किया जिसके परिणामस्वरूप आपने 1855-56 में "सेबास्टोपोल स्केचेज" (1855-56) कालयजी रचना लिखी ।

लियो टालस्टॉय को ग्रामीण जगत का लेखक कहा जाता है। आप रूस के मुंशी प्रेमचंद थे। रूसी साहित्य में टॉलस्टाय का वही स्थान है जो हिंदी साहित्य में मुंशी प्रेमचंद का। आपकी कहानी दो गज जमीन हर व्यक्ति के सम्पूर्ण जीवन की कहानी है, जीवन से मृत्यु की कहानी। यह एक कहानी पूरा का पूरा जीवन व्यक्त कर देती है। व्यक्ति की महत्वाकांक्षा, उसका जीवन, धन की लालसा, उसके प्रयास, लालच का पूरा न होना और अंत में मृत्यु हो जाना। निश्चित रूप से अगर मैं अपने अनुभव से कहूँ तो 4 से 5 पेज की यह कहानी अपने आप में एक पूरा जीवन है और यह भी कि वैश्विक साहित्य के इतिहास में इससे बेहतर कहानी कहीं नही मिलती।

लियो टालस्टॉय के हृदय में एक लेखक के अतिरिक्त एक करूणामयी संत का हृदय भी था। दीन – दुखियों का दु:ख देखकर उनका हृदय करूणा से भर जाता था। 28 जून 1881 को टालस्टाय ने अपनी डायरी में लिखा "**मैं एक गरीब आत्मा को देखने गया था। वह एक सप्ताह से बीमार है। उसे दर्द और कफ है। पीलिया बढ़ रहा है। कुर्नोसेन्कोव को पीलिया था। कोन्द्राती उसी से मरा था। गरीब लोग पलिया से मर रहे हैं, वे फलाला से मर रहे हैं। उसकी पत्नी की गोद में एक बच्चा है, तीन लड़कियां हैं और भोजन नहीं है, चार बजे तक उन्हें भोजन नहीं मिला था, लडकियां सरसफल तोड़ने गयी थीं और वही उनका भोजन था। उस घर में स्टोव इसलिए जलाया गया कि बच्चे को लगे कि कुछ पकाया जा रहा था और वह चीखे नहीं।** गरीबी का यह भयावह दृश्य तत्कालीन रूस की स्थिति का वास्तविक बयान है।

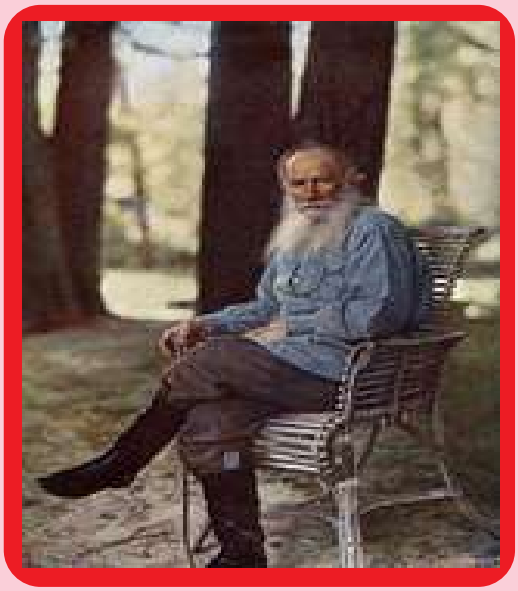

1862 में आपने सोफिया बेर्हस नामक उच्चवर्गीय संभ्रांत महिला से विवाह किया, उनके वैवाहिक जीवन का पूर्वांश तो बड़ा सुखद रहा पर उत्तरांश कटुतापूर्ण बीता। 1863 से 1869 के बीच आपने "वार एंड पीस" एवं सन 1873 से 76 के मध्य "अन्ना कैरेनिना" की रचना की, निश्चित रूप से इन्हीं दोनों रचनाओं ने आपको टॉलस्टॉय बनाया और साहित्य में आपका कद ऊँचा उठाया। सन 1875 से 1879 तक का समय आपके लिए काफी कष्टप्रद रहा, यहां तक कि ईश्वर पर से भी आपकी आस्था उठ गई और एक समय तो आप आत्महत्या तक करने के लिए उतारू हो गए थे पर अंत में उन्होंने इसपर विजय पाई और सन 1878-79 में आपने "कनफेशन" (मेरी मुक्ति की कहानी) नामक कृति

की रचना की जिसमें ऐसे क्रांतिकारी विचार व्यक्त किए गए जिसके कारण रूस में इसके प्रकाशन की अनुमति नहीं मिली और पुस्तक स्विटजरलैंड में प्रकाशित हुई फलत: इस पर काफी विवाद भी हुआ और इस समय आपकी कई रचनाएँ जो इसी प्रकार की थीं वे सब स्विटजरलैंड में छपी।1878 से लेकर 1885 तक की अवधि में आप साहित्य सृजन से दूर रहे अब आपका जीवन आध्यात्मिकता की ओर अग्रसर हो रहा था फलत: अब तक की समस्त रचनाएँ आपको अर्थहीन लगने लगीं और सन 1886 में आप पुन: साहित्य की ओर अग्रसर हुए और "इवान इल्यीच की मृत्यु" नामक कालजयी कृति का प्रकाशन किया।

अब तक पूरा विश्व आपको जान चुका था और आपका गांव यास्नाया पोल्याना आपकी वजह से पूरे विश्व में प्रसिद्ध हो चुका था । 19 वीं शताब्दी के अंत तक आप का हृदय एक पूरी तरह से संत हृदय हो चुका था और दरिद्रों और असहायों के प्रति आपके हृदय में इतनी करूणा भर गई कि आपने अपनी रचनाओं से रूस देश में होनेवाली अपनी समस्त आय दान कर दी और अपनी पत्नी को मात्र उतना अंश लेने की अनुमति दी जितना परिवार के भर पोषण के लिये अनिवार्य था। सन 1899 में आपने 'पुनरुत्थान' (रिसरेक्शन) नामक उपन्यास की रचना की और इससे होने वाली पूरी आमदनी को रूस की शांतिवादी जाति दुखेबोर लोगों को रूस छोड़कर कर कनाडा में बसने के लिये दे दी। आपका जो भी साहित्य था, वह इन धार्मिक प्रश्नों के आगे दब कर रह गया था अंततः 1910 में उन्होंने अपने पैतृक गांव को त्याग दिया और 1910 को अपनी पुत्री ऐलेक्लेंड्रा के साथ गांव छोड़ दिया किंतु खराब स्वास्थ्य के कारण नवबंर 1910 को मार्ग के एक छोटे से रेलवे स्टेशन पर आपने मृत्यु को अंगीकार कर लिया।

मनोवैज्ञानिक रचनाओं में दोस्तोव्स्की ही आपके समकक्ष ठहरते हैं। गाल्स्वर्दी, टामस मान, जूल्स रोम्याँ जैसे साहित्यकारों पर आपका उल्लेखनीय प्रभाव पड़ा है। आपके परवर्ती रूसी लेखकों को भी आपने यथेष्ट प्रभावित किया है, निश्चित रूप से आपका रूसी साहित्यकारों में सर्वश्रेष्ठ स्थान इसलिए है; क्योंकि आपने अपनी लेखनी के माध्यम से तत्कालीन रूढ़िग्रस्त रूसी समाज में न केवल सत्य और ज्ञान की ज्योति फैलायी, वरन जागृति भी पैदा की ।

लियो टॉलस्टॉय वैश्विक कथा सम्राट हैं। आपने रूसी भाषा में अनेक कहानियां लिखी थीं, जिससे आपको काफी यश, प्रसिद्धि एवं समृद्धि मिली। आपके द्वारा लिखी गयी कहानियों का कई भाषाओं में अनुवाद हुआ और ये कहानियां अत्यंत लोकप्रिय भी हुईं। लेनिन सहित विश्व के अनेकानेक विद्वानों ने टॉलस्टॉय के साहित्य, विशेषतः 'युद्ध और शान्ति' की सर्वश्रेष्ठता मुक्तकंठ से स्वीकार की है; परंतु कथाकार और उपन्यासकार से इतर आप एक विचारक भी थे और साहित्यिक रचनाओं के साथ-साथ निबंधों तथा अन्य विधाओं में भी उन्होंने अपने विचारों की अभिव्यक्ति की है। सन 1861 से 1904 तक साहित्य का युग आपका युग था।

आप मानव जीवन के सच्चे कथाकार थे। तीन प्रश्नों के उत्तर, दो गज जमीन, क्षमादान, एक चिंगारी जो घर को जला देती है, दो वृद्ध पुरूष, ध्रुवनिवासी रीछ का शिकार, प्रेम में परमेश्वर, मनुष्य का जीवन आधार क्या है, मूर्ख सुमन्त, राजपूत कैदी इत्यादि अनेक ऐसी शानदार कहानियां है जिनका पूरे विश्व के इतिहास में कोई शानी नहीं है। लियो टॉलस्टॉय की कहानियां हमें बताती हैं कि भारत से लेकर रूस तक मनुष्यों का स्वभाव एक है, उनकी प्रवृत्ति एक है और आत्मा और सार्वभौमिक गुण एक समान हैं। लियो टालस्टाय एक प्रसिद्ध उपन्यासकार भी थे। कज़्ज़ाक, युद्ध और शांति, आन्ना कारेनिना, पुनरूत्थान इत्यादि उनके द्वारा रचित प्रसिद्ध उपन्यास हैं। आप एक विचार और दर्शन एवं श्रेष्ठ निबंधकार थे।

13 मई 1908 से 15 जून 1908 तक उन्होंने एक आलेख पर कार्य किया था जिसका शीर्षक था " मैं चुप नहीं रह सकता" इस आलेख ने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया था। सेंसर किए जाने के भय से टालस्टॉय ने इसे लेटिश (Lettish)में प्रकाशित करवाया था। दुनिया के लगभग सभी देशों में इसे प्रकाशित किया गया था और जर्मनी में तो लगभग दो सौ अखबरों में प्रकाशित हुआ था। इस लेख का आरंभ इस प्रकार होता **है " सात मौत की सजाएं, दो सेण्ट पीटसबर्ग में, एक मास्को में, दो पेन्ज़ा में, दो रिगा में। चार फांसियां – दो खर्सन में, एक विल्नो में और एक आडेसा में।"** इस लेख में लिखा गया कि 1880के दशक में देश में एक जल्लाद था, लेकिन 1908 में अनेकों दिवालिया दुकानदार जल्लादी के काम के लिए अपनी सेवाएं दे रहे हैं और बदले में सैकड़ों रूबल पाकर अपने व्यवसाय को पुन: स्थापित कर रहे हैं। इन जल्लादों में होड़ मची हुई है, परिणामस्वरूप वे कुछ कम पैसों में ही हत्या के लिए तैयार हैं । उनके इस आलेख से सरकारें हिल उठीं थीं, लेकिन वे उस महान लेखक के विरूद्ध कुछ कर नहीं सकती थी, जिसे जनता का अपार स्नेह प्राप्त था। इस आलेख को पढ़कर अमेरिका में रह रहे भारतीय क्रांतिकारी तारकनाथ दास ने टालस्टॉय को 24 मई 1908 को भारत की स्थिति के विषय में एक पत्र लिखा था। टालस्टॉय ने उन्हें उत्तर दिया था और इसके बाद महात्मा गांधी ने भी उन्हें पत्र लिखे जिनके उत्तर 'एक भारतीय के नाम पत्र' के रूप में यास्नाया पोल्याना के पुस्तकालय में सुरक्षित रखे हैं।

लियो टॉलस्टॉय की लोकप्रियता का अंदाज इसी से लगाया जा सकता है कि उनकी मृत्यु के बाद रूसी सरकार ने अपने इस लेखक के दर्शनार्थ जाने वालों के लिए विशेष ट्रेनें चलाई थीं और जितना प्यार और दुलार रूस की जनता ने इस लेखक को दिया उसका दूसरा व अनूठा उदहारण विश्व में कहीं और नहीं मिलता। वे विश्व के शायद एक मात्र ऐसे लेखक थे जिनकी एक झलक पाने के लिए स्टेशनों पर हजारों की भीड़, एक बार में लगभग पच्चीस हज़ार की भीड़ एकत्र होती थी। लियो टालस्टॉय पर इतनी सामग्री उपलब्ध है, उनकी डायरी में इतनी घटानाएं दर्ज़ हैं कि उस पर कई पुस्तकें लिखी जा सकती हैं, वे अपने आप में एक पूरा युग हैं, पूरा साहित्य हैं। टालस्टाय को मात्र दो या तीन पेजों के आलेख या जीवनी से नहीं जाना जा सकता है। उनको समझने के लिए आपको उनकी कहानियां, उनके उपन्यास, डायरी में दर्ज़ उनके पत्रों को पढ़ना पड़ेगा, उनके विचारों को जानना पड़ेगा, उन घटनाओं को जानना पड़ेगा, उनका जीवन समझना पड़ेगा।

ज्ञान के मोती

- उस इंसान को हराना सबसे ज्यादा कठिन होता है जो कभी भी उम्मीद नहीं छोड़ता ।
- हर कठिनाई से ही अवसर उत्पन्न होता है ।
- आप महान कार्य नहीं कर सकते तो आप साधारण कार्य को भी महान तरीके से करे ।
- व्यक्ति जिसे स्वयं पर विश्वास होता है उसी पर लोग भी विश्वास करते हैं ।
- हो सकता है कि हर दिन अच्छा न हो लेकिन हर दिन कुछ ना कुछ अच्छा जरूर होता है ।
- आज का आपका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन ही कल की सबसे अच्छी तैयारी है ।
- जिसने कभी गलती नहीं की है, उसने कभी भी कुछ नया प्रयास नहीं किया हैं ।
- आपका मन आपका सबसे अच्छा दोस्त होने के साथ-साथ आपका सबसे बड़ा दुश्मन भी है ।
- गलतियां हमेशा क्षमा की जा सकती हैं, यदि आपके पास उन्हें स्वीकारने का साहस हो ।
- हारना सबसे बुरी विफलता नहीं है । कोशिश न करना ही सबसे बड़ी विफलता है ।
- बार बार असफल होने पर भी उत्साह न खोना ही सफलता है ।
- सभी के साथ सौम्य और अपने लिए कठोर रहिये ।
- जीतने के लिये खुद में हौसला होना चाहिये क्योंकि हारने के लिये बस एक डर ही काफी है ।
- पूरी दुनिया का अंधेरा भी एक दीपक का प्रकाश ख़त्म नहीं कर सकता ।
- जितना कठिन संघर्ष होगा जीत उतनी ही शानदार होगी ।
- आप जो कुछ भी चाहते हैं वह आपके अंदर ही है, अपने अंदर देखिए और आप सब कुछ पा लेंगे ।
- किसी भी आदमी को उसकी सफलता के किस्सों से मत जाँचों, बल्कि इससे जाँचों कि गिरने के बाद वो आदमी कितनी बार खड़ा हुआ ?
- प्रार्थना ईश्वर को नहीं बदलती, लेकिन उसे बदल देती है जो प्रार्थना करता है ।
- जो एक अच्छा अनुयायी नहीं बन सकता, वो एक अच्छा नेता भी नहीं बन सकता ।
- हमेशा ध्यान में रखिये कि आपके सफल होने का संकल्प किसी भी और संकल्प से महत्त्वपूर्ण है !
- अगर आप किसी काम के बारे में बहुत सोचते हो, तो वह काम आप नहीं कर पाओगे ।
- इंसान को कठिनाइयों की आवश्यकता होती है, क्योंकि सफलता का आनंद उठाने के लिए ये ज़रूरी हैं ।
- जो अनुभव की कसौटी पर खरा है वही सत्य है ।
- धैर्य के माध्यम से कई लोग उन परिस्थितियों में भी सफल हो जाते हैं जो कि एक निश्चित असफलता जान पड़ती है ।

चर्च ऑफ़ द होली सेपुल्कर : चर्च जहाँ ईसा मसीह दफ़न हैं

नेहा रंजन
सहायक प्रबन्धक
केन्द्रीय कार्यालय

आज इस स्तंभ के माध्यम से हम चर्चा करेंगें जेरुसलम के पुराने शहर में स्थित एक ऐसे चर्च की जो ईसाई धर्म के सबसे महत्वपूर्ण तथा सबसे पवित्र स्थानों में से एक है । अगर माना जाए कि ईसवी की शुरुआत ईसा मसीह के जन्म के साथ हुई है तो इस चर्च के अतीत की जड़ें सीधे तौर पर ईसा मसीह के सलीब पर चढ़ाए जाने से जुड़ी हुई हैं । हम बात कर रहे हैं अपने आप में करीब दो हज़ार सालों का इतिहास समेटे हुए उस गिरजाघर की जिसकी नींव उसी जमीन पर रखी गई जिसके ऊपर ईसा मसीह को सलीब पर चढ़ाया गया और बाद में उसी जगह पर उन्हें श्राउड ऑफ ट्यूरिन (वह कपड़ा जिसमें ईसा मसीह को सूली से उतारने के बाद लपेटा गया था) में सुपुर्द- ए-ख़ाक किया गया । मान्यता के अनुसार तीन दिन बाद इस स्थान पर ही ईसा मसीह पुनर्जीवित हुए थे । चौथी शताब्दी में निर्मित चर्च ऑफ़ द होली सेपुल्कर जेरुसलम के क्रिस्टियन क्वार्टर में स्थित है । यहाँ यह बताना उल्लेखनीय है कि जेरुसलम का पुराना शहर चार क्वार्टरों में विभाजित था - क्रिस्चियन क्वार्टर ,यहूदी क्वार्टर , मुसलमान क्वार्टर और अर्मेनियाई क्वार्टर । यह स्थान इतिहास की दो महत्वपूर्ण घटनाओं का साक्षी है यथा ईसा मसीह को सलीब पर चढ़ाए जाने और उनके पुनर्जीवन का । चर्च ऑफ़ द होली सेपुल्कर जिसे पवित्र कब्र वाला चर्च भी कहा जाता है, में ईसाई धर्म से जुड़े दो पवित्र स्थल शामिल हैं । पहला स्थल जो गोलगोथा या कैल्वरी नाम से प्रसिद्ध है, में ईसा मसीह को सलीब पर चढ़ाया गया था और दूसरा महत्वपूर्ण स्थल है , ईसा मसीह का खाली मकबरा जिसके संबंध में यह किंवदंती है कि सलीब पर चढ़ाने के बाद ईसा मसीह को इसी मकबरे में दफ़नाया गया और ईसाई मान्यता के अनुसार वे तीन दिनों बाद इसी स्थान पर पुनर्जीवित हुए । यह मकबरा उन्नीसवीं शताब्दी में निर्मित एडिकुला नामक पवित्र स्थान से घिरा हुआ है । चौथी शताब्दी में अपने निर्माण के बाद से ही यह चर्च ईसा मसीह के पुनर्जीवित होने के पारंपरिक स्थल के रूप में एक प्रमुख ईसाई तीर्थस्थल रहा है । इस स्थान का मूल ग्रीक नाम चर्च ऑफ द अनास्तासिस ('पुनर्जीवन') है।

इस स्थल पर "स्टेटस क्यो" लागू है ,जो कि धार्मिक स्थलों के संबंध में धार्मिक समुदायों के बीच किया गया समझौता है । वास्तव में "स्टेटस क्यो" शब्द की उत्पत्ति का आधार वर्ष 1757 में तुर्की सुल्तान उस्मान III द्वारा दिया गया एक फ़रमान है जिसके द्वारा विभिन्न ईसाई पवित्र स्थानों के स्वामित्व और जिम्मेदारियों के विभाजन को संरक्षित किया गया था। इसके साथ ही वर्ष 1852 व 1853 में जारी किए गए फरमानों के द्वारा इस बात की पुष्टि की गई कि इन पवित्र स्थानों के संबंध में कोई भी बदलाव सभी ईसाई समुदायों के सहमति के बिना नहीं किया जा सकता है । वर्ष 1856 में हुई पेरिस की संधि के अनुच्छेद 9 में इन फरमानों को मान्यता प्रदान की गई । वर्ष 1878 की बर्लिन की संधि में पहली बार "स्टेटस क्यो" शब्द का प्रयोग पवित्र स्थानों के संबंध में किया गया । संयुक्त राष्ट्र सुलह आयोग के अनुसार "स्टेटस क्यो" जेरुसलम और बेथलहम के नौ साझा धार्मिक स्थलों पर लागू होती है जिन्हें तीन वर्गों में विभाजित किया गया है - पहले वे जो ईसाई संप्रदायों के बीच विवादित थे , दूसरे जो कि ईसाई और इस्लामी संप्रदायों के बीच विवादित थे एवं तीसरे वे जो यहूदी और इस्लामी संप्रदायों के बीच विवादित थे ।

वर्तमान में चर्च ऑफ़ द होली सेपुल्कर के निकट मौजूद व्यापक परिसर जेरुसलम के ग्रीक रूढ़िवादी कुलपति के मुख्यालय के रूप में कार्य करता है । चर्च का नियंत्रण विगत 160 वर्षों से भी अधिक समय से ग्रीक रूढ़िवादी, रोमन कैथोलिक , अर्मेनियाई अपोस्टोलिक , कॉप्टिक रूढ़िवादी , सिरियाई रूढ़िवादी , इथोपियाई रूढ़िवादी इत्यादि जैसे कई ईसाई संप्रदायों एवं धर्मनिरपेक्ष संस्थाओं के साझा हाथों में है ।

निर्माण

सन 70 ईसवी में पहले यहूदी- रोमन युद्ध के दौरान जेरुसलम शहर की घेराबंदी और उस पर हुए कब्जे के पश्चात जेरुसलम एक खंडहर में तब्दील हो गया। 130 ईसवी में रोमन सम्राट हैड्रियन ने इस स्थान पर एलिया कैपिटोलिना नामक एक रोमन शहर के निर्माण का कार्य आरंभ किया। लगभग 135 ई. में, उन्होंने मकबरे युक्त गुफा के निर्माण का आदेश दिया जिसमें शुक्र या वृहस्पति के मंदिर की स्थापना हेतु समतल जमीन बनाने के लिए मिट्टी भरी जा सके । यह मंदिर चौथी शताब्दी के आरंभ तक मौजूद था ।

मान्यता के अनुसार , वर्ष 312 में आकाश में क्रॉस का प्रतिबिम्ब देखने के पश्चात रोमन सम्राट कॉन्स्टेनटाइन द ग्रेट ने ईसाई धर्म को अपना लिया और एडिक्ट ऑफ मिलान नामक समझौते पर हस्ताक्षर कर ईसाई धर्म को मान्यता प्रदान की , साथ ही उसने अपनी माँ हेलेना को ईसा मसीह की कब्र की तलाश में जेरुसलम भेजा। रोमन मान्यता के अनुसार कैसरिया के बिशप यूसेबियस और जेरुसलम के बिशप मैकेरियस की मदद से हुई खुदाई में एक मकबरे के पास तीन क्रॉस पाए गए जिससे इस बात की प्रमाणिकता सिद्ध हुई कि यह वही स्थान या कैल्वरी थी जहाँ ईसा मसीह को सलीब पर चढ़ाया गया था । करीब 326 ईसवी में कॉन्स्टेनटाइन के आदेशानुसार वृहस्पति / शुक्र के मंदिर को चर्च में परिवर्तित करने का फैसला लिया गया । जब मंदिर को तोड़ा गया तब वहाँ से उसके अवशेष हटाने के साथ - साथ गुफा के मंदिर को समतल करने हेतु भरी गई मिट्टी भी हटा दी गई जिसकी वजह से वहाँ मौजूद पत्थर से बना मकबरा स्पष्ट रूप से दृश्य हो गया , जिसे मैकेरियस और हेलेना ने ईसा मसीह के कब्रगाह के रूप में चिन्हित किया था। आगे चलकर , उस स्थान पर मकबरे की दीवार के चारो ओर एक तीर्थस्थल का भी निर्माण किया गया। वर्ष 327 में रोमन सम्राट कॉन्स्टंटाइन ने बेथलेहम में ईसा मसीह के जन्म स्थान पर चर्च ऑफ नेटिविटि का निर्माण करवाया था ।

13 सितंबर 335 को चर्च का पवित्रीकरण किया

गया जिसके बाद से ही पूर्वी रूढ़िवादी चर्च द्वारा इस स्थान पर प्रति वर्ष ईसा मसीह के पुनर्जीवन की वर्षगांठ मनाई जाती है ।

आक्रमण व प्राकृतिक आपदाओं के कारण हुए नुकसान (614-1009)

कई ऐतिहासिक इमारतों की तरह चर्च ऑफ़ द होली सेपुल्कर को भी कई प्राकृतिक आपदाओं और आक्रमणों के चलते नुकसान झेलने पड़े । वर्ष 614 में सस्सानिद साम्राज्य के शासक खुसरो द्वितीय द्वारा जेरुसलम पर हुए हमले के दौरान इस इमारत को आग के हवाले कर दिया गया और ट्रु क्रॉस को उसके द्वारा कब्ज़े में ले लिया गया । ट्रु क्रॉस मूल रूप से उस वास्तविक क्रॉस का नाम है जिस पर ईसा मसीह को चढ़ाया गया था । इसकी खोज रोमन साम्राज्ञी हेलेना द्वारा चौथी शताब्दी में जेरुसलम की यात्रा के दौरान की गई थी । बाद में इस क्रॉस को टुकड़ों में विभाजित कर ईसाई धर्म के प्रमुख धार्मिक स्थानों में रखने हेतु वितरित कर दिया गया ताकि इसे पवित्र निशानी के रूप में पूजा जा सके । वर्तमान समय में चर्च ऑफ़ द होली सेपुल्कर के भीतर ग्रीक रूढ़िवादी चर्च द्वारा गोलगोथा में इसकी एक निशानी रखी है। सीरियाई रूढ़िवादी चर्च ने संत मार्क मठ में इस ट्रु क्रॉस की एक छोटी निशानी रखी है । अर्मेनियाई अपोस्टोलिक चर्च के पास भी ट्रू क्रॉस का एक छोटा हिस्सा मौजूद है । इथियोपिक पुस्तक के अनुसार, इथियोपियाई रूढ़िवादी तेवाहेडो चर्च के पास इस क्रॉस का मूल अवशेष गिशेन लोहबान पर्वत के सेंट मैरी चर्च में मौजूद है ।

वर्ष 630 में सुल्तान हेराक्लियस द्वारा शहर पर कब्ज़ा किए जाने के पश्चात चर्च का पुनर्निर्माण करवाया गया । जेरुसलम के अरब शासन के तहत आने के बाद भी यह स्थान ईसाई गिरजाघर के रूप में ही बना रहा। प्रारंभिक मुसलमान शासकों द्वारा शहर में स्थित ईसाई स्थलों का संरक्षण किया जा रहा था और कुछ जगहों पर उन्हें निवास स्थान के रूप में उपयोग किया जा रहा था। इस संबंध में उस दौर की एक कहानी प्रचलित है कि एक बार खलीफा उमर - बिन अल- खत्तब चर्च के दौरे पर निकले और अपने दौरे के दौरान वे चर्च की बाल्कोनी के पास इबादत के लिए रुके लेकिन प्रार्थना का समय होने पर उन्होंने चर्च से दूर जा कर प्रार्थना की । उन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उन्हें इस बात का डर था कि आने वाली पीढ़ी इसे इस बात से न जोड़ दे कि वे चर्च को मस्ज़िद में परिवर्तित करना चाहते थे । कुछ इतिहासकारों ने यहाँ तक कहा है कि उमर ने मुसलमानों को इस स्थान पर प्रार्थना करने से रोकने हेतु एक फ़रमान भी जारी किया था ।

वर्ष 746 में आए एक भीषण भूकंप ने इस इमारत को भारी नुकसान पहुँचाया । नौंवी शताब्दी के आरंभ में आए शक्तिशाली भूकंप ने अनास्तासिस के गुंबद को क्षतिग्रस्त कर दिया था , जिसकी मरम्मत वर्ष 810 में रोमन पैटियार्क (संरक्षक) थॉमस प्रथम द्वारा की गई थी । वर्ष 841 में यहाँ आग लगने की वजह से इमारत को क्षति पहुँची । लेकिन आग का यह सिलसिला यहीं थमा नहीं , वर्ष 938 में लगी आग ने बेसिलिका के अंदरूनी हिस्से को क्षतिग्रस्त कर दिया था । वर्ष 966 में सिरिया क्षेत्र में मुस्लिम सेनाओं की हार के बाद वहाँ दंगा भड़क गया और इसके बाद हुए विद्रोह की वजह से एक बार फिर इस इमारत ने आग से उत्पन्न विभिषिका को झेला। इस आग की वजह से एक बार फिर से बेसिलिका का अंदरूनी हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया , इसके दरवाज़े और छत जला दिए गए और संरक्षक जॉन VII की हत्या कर दी गई । 18 अक्टूबर 1009 को फतिमिद खलीफा अल- हकीम बि - अम्र अल्लाह ने चर्च के पूर्ण विनाश के आदेश दिए । उनके द्वारा दिया गया यह आदेश उस अभियान का हिस्सा था जो उस समय फिलीस्तीन व मिस्र में ईसाई पूजा स्थलों के खिलाफ चलाया जा रहा

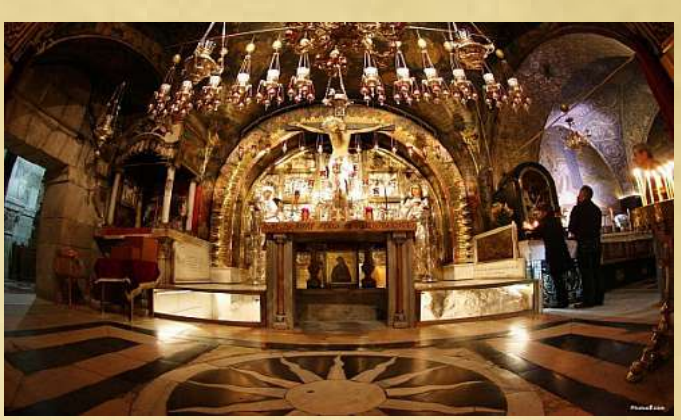

था । इस आदेश के परिणामस्वरूप चर्च को व्यापक क्षति पहुँची और प्रारंभिक चर्च के कुछ हिस्से ही बच पाए। उस हमले के दौरान मूल पवित्र स्थान के पूरी तरह से नष्ट होने के साथ- साथ रॉक - कट मकबरे की छत को भी भारी नुकसान पहुँचा ।

पुनर्निर्माण (11वीं शताब्दी)

वर्ष 1027-28 के दौरान फातिमिदियों और बीजांटीन साम्राज्य के बीच हुई व्यापक वार्ता के फलस्वरूप एक समझौता किया गया जिसके तहत नए खलीफा अली अल- ज़हीर (जो अल- हकिम का बेटा था) ने चर्च के पुनर्निर्माण और पुनर्सज्जा के संबंध में अपनी सहमति प्रदान की और इसकी प्रतिक्रिया में एक रियायत के रूप में कॉन्स्टनटिनोपोल में मौजूद मस्ज़िद को खोल दिया गया । बीजांटिनों ने 5000 मुसलमान कैदियों को रिहा करते समय अल- हकीम द्वारा नष्ट किए गए सभी चर्चों की पुनर्बहाली की मांग करने के साथ -साथ जेरुसलम में एक संरक्षक की नियुक्ति की भी मांग की । मुसलमान स्रोतों के अनुसार इस समझौते के फलस्वरूप उन ईसाईयों ने इस्लाम का त्याग किया जिन्होंने अल- हकिम द्वारा किए जा रहे उत्पीड़न की वजह से मजबूरी में इस्लाम धर्म कबूल किया था ।

वर्ष 1048 में इमारत के पुनर्निर्माण का कार्य सम्राट कॉन्सटेंटाइन IX मोनोमाचोस और कॉन्स्टेंटिनोपल के संरक्षक नाइसफोरस द्वारा पूरा किया गया । समकालीन स्रोत की माने तो चर्च ऑफ़ द होली सेपुल्कर की बहाली में एक बड़ी रकम खर्च हुई थी । नव निर्मित संरचना रोटुंडा और उसके आस- पास के भवनों पर केंद्रित थी । पुनर्निर्मित चर्च साइट में एक खुला दरबार शामिल था जिसमें पांच छोटे चैपल जुड़े हुए थे । ये चैपल पुनरुथान के दरबार के पूर्व में अवस्थित थे , जहाँ पहले ग्रेट बेसेलिका की पश्चिमी दीवार मौजूद थी । इन पर ईसा मसीह के कारावास व उनके आत्मपीड़न जैसे यादगार दृश्य उकेरे हुए थे । इन चैपलों का ईसा मसीह की पीड़ा पर समर्पित होना , इसके प्रति तीर्थयात्रियों की निष्ठा को दर्शाता है । इन्हें इतिहासकारों द्वारा "ए सॉर्ट ऑफ वाया डोलोरोसा इन मिनियेचर" के रूप में वर्णित किया गया है । यहाँ आपको बताते चले कि 'वाया डोलोरोसा' उस मार्ग का प्रतिनिधित्व करता है जिस मार्ग से रोमन सैनिकों द्वारा ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाने के लिए जबरन ले जाया गया था । यह पूर्व एंटोनिया किले से चर्च ऑफ द होली सेपुलचर के मध्य 600 मीटर तक विस्तृत एक घुमावदार मार्ग है , जो ईसाई तीर्थयात्रा का एक प्रसिद्ध स्थान है। पुनर्निर्माण के समय मकबरे को खुले आसमान के नीचे रखा गया था । ग्यारहवीं शताब्दी में जेरुसलम की यात्रा पर गए पश्चिमी तीर्थयात्रियों ने यह पाया कि उस पवित्र स्थान का अधिकांश हिस्सा उस समय तक खंडहर के रूप में ही था । जेरुसलम शहर और उसके साथ - साथ चर्च ऑफ़ द होली सेपुल्कर का

नियंत्रण वर्ष 1099 में धर्मयोद्धाओं के आने तक फातिमिद और सेल्जुक तुर्क (जो बगदाद के अब्बासिद खलीफा के प्रति वफादार थे) के बीच हस्तांतरित होता रहा ।

इतिहास

कई इतिहासकारों का मानना है कि पहले धर्मयुद्ध के आरंभ के समय पोप अर्बन द्वितीय के लिए सबसे बड़ी चिंता का विषय यह था कि कहीं बीजान्टिन सम्राट एलेक्सियोस आई कॉमनेनोस की अपील की प्रतिक्रिया में कॉन्स्टेंटिनोपल पर एशिया माइनर के तुर्क आक्रमण न कर दें ? इसके साथ-साथ जेरुसलम और चर्च ऑफ़ द होली सेपुल्कर का भविष्य भी उस काल में चिंता का विषय बना हुआ था । प्रथम धर्मयुद्ध के शूरवीरों को जेरुसलम पर कब्जा करने का ख्याल आकर्षित कर रहा था और इसी प्रथम धर्मयुद्ध के दौरान 15 जुलाई 1099 को उन्होंने इस पुनर्निर्मित चर्च स्थल को फातिमिदियों से छीन लिया।

प्रथम धर्मयुद्ध को एक सशस्त्र तीर्थयात्रा के रूप में संकल्पित किया गया था । उस काल में ऐसी मान्यता थी कि किसी धर्मयोद्धा या क्रुसेडर की यात्रा को तब तक पूरा नहीं माना जा सकता था जब तक उसके द्वारा पवित्र कब्र पर प्रार्थना नहीं की जाती है । जेरुसलम का पहला क्रुसेडर सम्राट बनने वाले राजकुमार गॉडफ्रे ऑफ बोइलन ने अपने जीवनकाल में 'राजा' की उपाधि का प्रयोग नहीं करने का निर्णय लिया और स्वयं को "एडवोकेटस सैंक्टि सेपुलचरी" या पवित्र कब्र का रक्षक घोषित किया । ऐसा माना जाता है कि इस काल में पूर्व में मौजूद बेसेलिका के नीचे एक हौज या कुंड होने का प्रमाण मिले थे । यह स्थान हेलेना द्वारा ट्रु क्रॉस की खोज हेतु प्रसिद्ध था। समय के साथ - साथ कुंड "क्रॉस के आविष्कार का चैपल" के नाम से प्रचलित हुआ । लेकिन पुरातत्वविदों की माने तो 11 वीं शताब्दी से पहले इस स्थान की मौजूदगी के कोई सबूत नहीं मिलते हैं । आधुनिक पुरातात्विक जांच की माने तो उन्होंने इस कुंड के निर्माण को 11 वीं शताब्दी में कॉन्स्टनटाइन IX मोनोमाचोस द्वारा अपने कार्यकाल के दौरान इस स्थान पर किए गए मरम्मत कार्य के साथ जोड़ा है ।

जर्मन पादरी और ओरिएंट तीर्थयात्री लुडोल्फ वॉन सुदेयम के अनुसार होली सेपुल्कर के चैपल पर "प्राचीन जॉर्जियाईयों " का आधिपत्य था और चर्च के दक्षिण द्वार के माध्यम से उन्हें तीर्थयात्रियों द्वारा भोजन, भिक्षा, मोमबत्तियां और दीपक के लिए तेल दिया जाता था ।

जेरुसलम में स्थित क्रुसेडर साम्राज्य के इतिहासकार विलियम ऑफ टायेर द्वारा चर्च के नवीनीकरण की एक विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी। उनके अनुसार क्रुसेडरों ने मलबों की खुदाई के दौरान पूर्व क्षेत्र में स्थित खंडहरों की खोज की । कुंड की खोज करते समय उनके द्वारा हैड्रियन मंदिर के मूल जमीनी स्तर की खोज की और उन्होंने इसे हेलेना को समर्पित एक चैपल में परिवर्तित कर दिया साथ ही साथ उन्होंने मूल खुदाई सुरंग को भी सीढ़ियों की मदद से चौड़ा किया । क्रुसेडर्स के द्वारा चर्च को रोमनस्क्यू शैली में पुनर्सज्जित किया गया और इसमें एक बेल टॉवर यानि घंटा घर को भी जोड़ा गया । 1149 में रानी मेलिसेंडे के शासनकाल में किए गए इन पुनर्निमाणों की सहायता से इस स्थल पर निर्मित सभी चैपलों को एकीकृत किया गया और पहली बार सभी पवित्र स्थलों को एक ही छत के नीचे स्थापित किया गया ।

वर्ष 1187 में मिस्र के सुल्तान सलह- अद- दीन ने इस स्थान के साथ - साथ जेरुसलम शहर के बाकी हिस्सों पर भी कब्ज़ा कर लिया , हालांकि तीसरे धर्मयुद्ध के बाद हुई संधि द्वारा ईसाई तीर्थयात्रियों को इस पवित्र स्थल पर जाने की अनुमति प्रदान की गई थी । तेरहवीं शताब्दी में हुई संधि की मदद से सम्राट फ्रेडरिक द्वितीय ने शहर व चर्च पर पुनः अपना आधिपत्य स्थापित किया जबकि बहिष्कार के प्रतिबंध के तहत ईसाई धर्म के इस सबसे पवित्र चर्च को अंतर्विरोध के अंतर्गत रखा गया था । इतिहासकारों के कथनानुसार जेरुसलम पर लैटिन साम्राज्य के दौरान चर्च पूर्ण रूप से ग्रीक रूढ़िवादी संरक्षक अथानासियस द्वितीय के नियंत्रण में था । वर्ष 1244 में ख्वारज़्मियों द्वारा चर्च के साथ - साथ शहर पर भी कब्जा जमा लिया गया ।

ओटोमन सम्राटों के शासन काल के दौरान वर्ष 1545 में चर्च के बेल टॉवर या घंटा घर का ऊपरी सतह ढह गई । तीर्थयात्रियों की संख्या में बढ़ोत्तरी के बावजूद भी यह स्थल जीर्ण- शीर्ण व उपेक्षित था । वर्ष 1555 में फ्रांसिस्कन, जो कि कैथोलिक चर्चों के भीतर ईसाई धार्मिक आदेशों का एक समूह था जिसकी स्थापना असीसी के सेंट फ्रांसिस द्वारा 1209 में की गई थी, द्वारा चर्च का जीर्णोद्धार किया गया । फ्रांसिस्कन ने एडिकुल यानि एक छोटी इमारत का पुनर्निर्माण किया और संरचना का विस्तार करते हुए एक एंटिचैम्बर बनाया।

वर्ष 1555 में हुए जीर्णोद्धार के पश्चात चर्च का नियंत्रण का अधिकार फ्रांसिस्कन और रूढ़िवादियों के बीच अंतरित होता रहता था । यह अधिकार इस बात पर निर्भर था कि इनमें से कौन सा समुदाय एक निर्दिष्ट समय पर "सब्लाइम पोर्ते" से अनुकूल फ़रमान प्राप्त कर पाता था । यह फ़रमान अधिकांश अवसरों पर एकमुश्त रिश्वत के माध्यम से प्राप्त किया जाता था । इतिहास में झांकने पर हम यह पाते हैं कि इसकी प्राप्ति हेतु हिंसक झड़प भी हुई हैं । इस स्थान पर अधिकार के संबंध में कोई सहमति नहीं थी , हालांकि वर्ष 1699 में हुई कार्लोविट्ज़ की संधि के लिए आयोजित वार्ता में इस प्रश्न पर चर्चा हुई थी । वर्ष 1757 के पवित्र सप्ताह के दौरान रूढ़िवादी ईसाईयों ने कुछ फ्रांसिस्कन नियंत्रित चर्च पर कब्जा कर लिया था । इस अराजकता वाली स्थिति को रोकने हेतु वर्ष 1757 में तुर्की सुल्तान उस्मान III द्वारा एक फ़रमान जारी किया गया जिसे बाद में "स्टेटस क्यो" यानि कि यथास्थिति के नाम से जाना जाने लगा , जिसकी चर्चा हम इस आलेख के आरंभ में कर चुके हैं ।

वर्ष 1808 के दौरान लगी एक भीषण आग ने इस इमारत को एक बार फिर क्षतिग्रस्त कर दिया । इस आग की वजह से रोटुंडा का गुंबद ढह गया और एडिकुल की बाहरी सजावट टूट गई । वर्ष 1809 से 1810 के दौरान वास्तुकार निकोलस कोम्नेनोस द्वारा रोटुंडा और एडिकुल के बाहरी हिस्से का समकालीन ओटोमन बारोक शैली में पुनर्निर्माण किया गया । एंटिचैम्बर का आंतरिक भाग जिसे वर्तमान में चैपल ऑफ एंजेल के नाम से जाना जाता है, को एक वर्गाकार स्थाई योजना के रूप में आंशिक रूप से पुनर्निमित किया गया । वर्ष 1853 में सुल्तान द्वारा जारी एक अन्य फ़रमान ने समुदायों के बीच मौजूदा क्षेत्रीय विभाजन को मजबूत करने के साथ- साथ "अपनी वर्तमान स्थिति में बने रहने" की व्यवस्था के लिए "स्टेटस क्यो" को भी मजबूती प्रदान की जिसमें मामूली परिवर्तन करने के लिए भी आम सहमति की आवश्यकता थी । वर्ष 1868 में कैथोलिकों , यूनानियों और तुर्कों ने गुंबद , जिसे तब लोहे से बनाया गया था , की पुनर्बहाली में महत्वपूर्ण योगदान दिया ।

प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के पश्चात फिलिस्तीन के लिए ब्रिटिश जनादेश जारी किए जाने के समय तक निकोलस कोम्नेनोस द्वारा एडिक्यूल पर

लगाया गया लाल संगमरमर का आवरण पूरी तरह से नष्ट हो चुका था और वर्ष 1947 से 2016-17 के दौरान पुनर्बहाली का कार्य किए जाने तक यह ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा स्थापित लोहे व स्टील के गर्डरों से निर्मित बाहरी मचान की मदद से टिका हुआ था। वर्ष 1959 से चल रहे व्यापक जीर्णोद्धार प्रक्रिया के हिस्से के रूप में वर्ष 1994–97 के दौरान इस इमारत के गुंबद को फिर से निर्मित किया गया । इस जीर्णोद्धार प्रक्रिया के तहत वर्ष 1970–78 के दौरान की गई खुदाई में यह पाया गया कि यह क्षेत्र मूल रूप से एक खदान था , जहाँ प्रचुर मात्रा में चूना पत्थर पाए जाते थे । उत्खननकर्ताओं ने संत हेलेना के चैपल के पूर्व में एक ऐसे स्थान की खोज की जिसमें दूसरी शताब्दी के एक रोमन तीर्थ जहाज की तस्वीर उकेरी हुई थी । वहाँ दूसरी शताब्दी के हैड्रियन मंदिर के प्लैटफॉर्म को सहायता प्रदान करने वाली दो निचली दीवारों के साथ- साथ चौथी शताब्दी में निर्मित वह दीवार भी मौजूद थी जो कॉन्स्टनटाइन के दौर में निर्मित बेसेलिका को मजबूत आधार प्रदान करती थी । वर्ष 1970 के शुरुआती दौर की खुदाई के पश्चात अर्मेनियाई प्राधिकारियों ने इस पुरातात्विक स्थान को चैपल ऑफ सेंट वार्टन में परिवर्तित कर दिया और चैपल के उत्तर में स्थित खदान पर एक कृत्रिम पैदल मार्ग बनाया ताकि इस नए चैपल तक चैपल ऑफ सेंट हेलेना के रास्ते आसानी से पहुंचा जा सके ।

स्टील गर्डर्स की मदद से विगत सात दशकों से खड़े रखे गए एडिकुल को इज़राइल पुरातनता प्राधिकरण ने इसकी बिगड़ती हुई स्थिति के मद्देनज़र बीसवीं शताब्दी के आरंभ में असुरक्षित घोषित कर दिया । कुछ समय के बाद इसकी पुनर्बहाली के संबंध में सहमति स्थापित हुई और मई 2016 से मार्च 2017 के दौरान एडिकुल की पुनर्बहाली का कार्य पूरा किया गया । इसकी पुनर्बहाली में खर्च हुए कुल चार मिलियन डॉलर में से अधिकतम भाग विश्व स्मारक कोष द्वारा वित्तपोषित किया गया था । इसके अलावा मिका एर्टेगुन द्वारा 1.3 मिलियन डॉलर की राशि और जॉर्डन के राजा अब्दुल्ला द्वितीय ने भी एक बड़ी राशि का योगदान दिया ।

कोविड 19 महामारी के मद्देनज़र इज़राइल के स्वास्थ्य अधिकारियों ने इस साइट को जनता के लिए बंद कर दिया था । वहाँ के संरक्षकों ने बताया कि ऐसा 1349 में आई ब्लैक डेथ नामक बीमारी के बाद पहली बार हुआ जब चर्च को पूर्ण रूप से बंद किया गया । इस दौरान गिरजाघर के पादरियों ने इमारत के अंदर प्रार्थना जारी रखी और दो महीने के पश्चात 24 मई को इसे फिर से आंगतुकों के लिए खोल दिया गया था ।

रोमन मंदिर से संबंध

कॉन्सटेंटाइन द्वारा चर्च से निर्माण के पूर्व यह स्थान हेड्रियन द्वारा निर्मित वृहस्पति या शुक्र के मंदिर के रूप में विख्यात था । हैड्रियन द्वारा उस स्थान पर मंदिर की स्थापना की गई क्योंकि यह मुख्य उत्तर- दक्षिण सड़क का जंक्शन था । 1970 के दशक में किए गए पुरातात्विक उत्खनन से यह पता चलता है कि चर्च का निर्माण हैड्रियन मंदिर की ही अधिकांश जमीन पर किया गया था । ट्रिपोर्टिको और रोटुंडा इस मंदिर की इमारत के ऊपर ही बनाए गए थे । उत्खनन से यह संकेत मिलता है कि मंदिर कम से कम एडिकुल तक फैला हुआ था । एक फ्रांसिस्कन पुजारी और पुरातत्वविद् विर्जिलियो कैनियो कोरबो, जो खुदाई के दौरान वहीं मौजूद थे, ने पुरातात्विक साक्ष्य से अनुमान लगाया कि मंदिर की पश्चिमी दीवार कथित मकबरे के पूर्व की ओर से बेहद करीब से गुजरी होगी क्योंकि यदि दीवार और अधिक पश्चिम की ओर स्थित होती और उस कब्र को दीवार की नींव बनाते समय नष्ट नहीं किया जाता तो वह कब्र उस दीवार के वजन के नीचे कुचल कर टूट जाती ।

जेरुसलम के पूर्व शहर पुरातत्वविद् डैन बहत ने कोरबो के पुनर्निर्माण संबंधी तर्क को असंतोषजनक बताया था क्योंकि कोरबो के डिजाइन से मेल खाने वाले एफ्रोडाइट (शुक्र) का कोई ज्ञात मंदिर नहीं है और उनके तर्क के लिए ऐसा कोई पुरातात्विक साक्ष्य नहीं है जो यह प्रमाणित कर सके कि मंदिर की इमारत एक ऐसे मंच पर थी जहां वर्तमान में एडिकुल स्थित है। बहत ने इस बात का भी उल्लेख किया है कि एफ्रोडाइट के कई मंदिरों में रोटुंडा जैसी डिज़ाइन है। साथ ही उन्होंने यह भी तर्क दिया कि इस बात को मानने का कोई पुरातात्विक कारण नहीं है कि वर्तमान रोटुंडा पूर्व में मौजूद मंदिर में स्थित किसी एक रोटुंडा पर आधारित नहीं था ।

स्थान

न्यू टेस्टामेंट में यीशु के मकबरे को शहर की दीवार के बाहर होने के रूप में वर्णित किया गया है क्योंकि प्राचीन काल में यह मान्यता थी दफनाने हेतु प्रयुक्त किए जाने वाला स्थान अशुद्ध होता है और उसे शहर से बाहर ही मौजूद होना चाहिए । वर्तमान समय में चर्च की साइट पुराने शहर जेरुसलम की वर्तमान दीवारों के भीतर है। पुरातत्वविदों द्वारा यह अच्छी तरह से प्रलेखित किया गया है कि यीशु के समय में, दीवारों से घिरा शहर बहुत छोटा था और यह स्थल शहर की दीवारों के बाहर स्थित था । इतिहासकारों का मानना है कि हेरोदेस अग्रिप्पा (41-44) ने शहर को उत्तर की ओर विस्तारित किया था । साथ ही साथ यह भी माना जाता है कि उन्होंने ही पश्चिमी दीवार को पारंपरिक रूप से पुनर्स्थापित किया है ।

जेरुसलम के पुराने शहर और उसकी दीवारों को वर्ष 1982 में विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया । इसकी दीवारे सोलहवीं शताब्दी में तुर्कों द्वारा निर्मित सीमाओं का प्रतिनिधित्व करती हैं और जेरुसलम के पुराने शहर के मुख्य पवित्र स्थलों यथा चर्च ऑफ़ द होली सेपुल्कर और वाया डोलोरोसा का संरक्षण करती है ।

प्रभाव :

नौवीं शताब्दी के आरंभ से ही अनास्तासिस से प्रेरित होकर यूरोप के कई चर्चों का निर्माण किया गया जिनमें इटली के बोलोग्ना में स्थित सैंटो स्टेफानो उल्लेखनीय है । यह सात चर्चों का समूह है जो कि जेरुसलम स्थित पवित्र स्थानों का द्योतक है । इस चर्च से प्रेरित होकर यूरोप और संयुक्त राज्य अमेरिका में भी कई चर्च और मठों का निर्माण करवाया गया । कई स्थानों पर ऐसे पवित्र स्थलों का भी निर्माण किया गया जो हूबहू चर्च ऑफ़ द होली सेपुल्कर के समान थे । इन तीर्थस्थानों के निर्माण से उन तीर्थयात्रियों को सुविधा मिली जो इस पवित्र चर्च की यात्रा करने में अक्षम थे । इनमें 1481 और 1504 के बीच निर्मित गोर्लिट्ज़ का हेइलिग्स ग्रैब ("पवित्र मकबरा"), मॉस्को ओब्लास्ट में 1656 और 1666 के बीच पैट्रिआर्क निकॉन द्वारा निर्मित न्यू जेरूसलम मठ और 1898 में वाशिंगटन, डीसी में फ्रांसिस्कन द्वारा निर्मित माउंट सेंट सेपुलचर फ्रांसिस्कन मठ शामिल हैं ।

हँसी की फुलझड़ियाँ

टीचर – क्लास में लड़ाई क्यों नहीं करनी चाहिए ?
स्टूडेंट – क्योंकि मैम पता नहीं एक्जाम में किसके पीछे बैठना पड़ जाए ।

पप्पू साइकिल से जा रहा था कि अचनाक से सामने आ रहे विदेशी ने उसे रोका पप्पू – अरे... मरना है क्या ?
विदेशी – नहीं, मुझे ताजमहल जाना है । पप्पू – तो भाई जा न, ऐसे सबको रोक-रोक कर बताता रहेगा तो पहुंचेगा कब ?

पप्पू – कल मोदी जी ने मुझ से बात की ।
गप्पू – वो तो सभी से मन की बात करते हैं ।
पप्पू – अरे नहीं, उन्होंने खुद ही बात करने की इच्छा जाहिर करते हुए मुझसे बात की
गप्पू – कब, कहाँ, कैसे, क्या कहा?
पप्पू – अरे कल मैं बीच सड़क पर साइकिल गिरा कर खड़ा था मोदी जी की गाड़ी रुकी और वो चिल्लाए, ऐ लड़के बीच सड़क पर क्या तमाशा मचा रखा है ।

डॉक्टर – तुमने आने में देर कर दी
पप्पू – डॉक्टर साहब कितना वक़्त बचा है मेरे पास
डॉक्टर – अरे यार, मर नहीं रहे हो तुम – बस तुम्हारा अप्वाइंटमेंट 6 बजे का था तुम 7 बजे आए हो ।

पप्पू – अरे यार, कल मेरे छोड़ा हुआ रॉकेट सूरज से जा टकराया
गप्पू – चल झूठा
पप्पू – कसम से यार, सच कह रहा हूँ, ये देख सूरज की मम्मी ने मार-मार कर गाल लाल कर दिए ।

सिपाही – चल भाई, तेरी फांसी का वक़्त आ गया
कैदी – लेकिन कोर्ट ने तो 20 दिन बाद की तारीख दी है
सिपाही – अरे, तू जेलर साहब के गाँव का हैं न, इस लिए तेरे काम पहले

टीचर – बहुवचन किसे कहते हैं ?
राजू – जब बहू अपनी ससुराल वालों को खरी-खरी सुनाती है तो उसे बहुवचन कहते हैं ।

पप्पू – आज बड़ा खुश है ? कोई खास वजह ?
गप्पू – अरे तुझे तो पता ही है कि मेरा बॉस मुझे कितना परेशान करता है ?
पप्पू – हाँ, वो तो तूने बताया था । उसका ट्रांसफर हो गया क्या ?
गप्पू – नहीं, कल मैंने उसके टिफिन में दो चॉकलेट और हाथ से लिख कर एक पर्ची डाल दी ।
पप्पू – तो क्या लिखा था उस पर्ची में ?
गप्पू – मैंने तो बस इतना ही लिखा था कि, 'जानू दोनों चॉकलेट तुम ही खाना, उस चुड़ैल को एक भी मत देना' ।
पप्पू – तो फिर,
गप्पू – फिर क्या, आज सुबह वो लंगड़ाते हुए ऑफिस आया, एक आँख तो इतनी सूजी थी कि ठीक से देख भी नहीं पा रहा था ।

पति पत्नी को अंग्रेजी सीखा रहा था ।
दोपहर में पत्नी बोली – लो डिनर खा लो ।
पति (गुस्से में) – बेवकूफ औरत, ये डिनर नहीं लंच है...
पत्नी (गुस्से में) – तुम बेवकूफ, ये रात का बचा हुआ खाना है ।

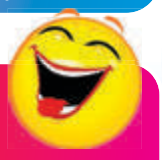

शादी के दूसरे दिन....
सास – अरे बहू, तुम्हारे हाथ खाली क्यूँ हैं ?
बहू – सासू माँ, वो फोन चार्जिंग पर लगाया है न अभी इस लिए ।

रामू – उठ जा भाई, सुबह हो गई, मैं तो चाय बनाने जा रहा हूँ ।
श्यामू – अरे तो बना ले न, मैं कौन सा पतीले में सोता हूँ ।

दुकानदार – बहन ही आप हर हफ्ते दुकान पर आती हैं, सारे गहने देखती हैं, मगर कुछ लेती क्यूँ नहीं ?
पिंकी – अरे हर बार कुछ न कुछ ले जाती हूँ भाई साहब, बस आप ही ध्यान नहीं देते ।

चेन स्नैचिंग महिला के गले से हार खींच कर ले गए... लेकिन अगले दिन महिला फूट-फूट कर रोई क्योंकि अखबार में खबर छपी थी -रीता नाम की वृद्धा के गले से चेन उड़ा ले गए चोर

राजभाषा हिंदी के कामकाज में सूचना प्रौद्योगिकी का योगदान

प्रेमचंद गुप्ता
सहायक प्रबन्धक
क्षेत्रीय कार्यालय बंगलुरु

राजभाषा हिंदी का कार्यान्वयन, प्रचार-प्रसार तथा इसके व्यावहारिक उपयोग में सूचना प्रौद्योगिकी का बहुत बड़ा योगदान है । आज के समय में कम्प्यूटर का उपयोग करते समय भाषा की बाध्यता लगभग समाप्त हो चुकी है । कम्प्यूटर पर काम करना बेहद आसान हो गया है । हिन्दी के अधिकतम उपयोग में हिन्दी टाइपिंग से लेकर बोलकर टाइप करने की तकनीक दैनिक कार्यालयीन कार्यों में भी हिन्दी के उपयोग को बढ़ावा देने में मददगार साबित हुई है ।

आज के इस दौर में यह प्रौद्योगिकी की ही देन है कि इंटरनेट पर करोड़ों लोग ब्लॉग, फ़ेसबुक, व्हाट्सएप्प, गूगल, इन्स्टाग्राम, ट्विटर, ई- मेल, लिंक्डइन, मैसेंजर आदि के माध्यम से एक दूसरे के संपर्क में रहते हैं । गूगल के माध्यम से हम अपनी आवश्यकतानुसार बहुत सारी उपयोगी सामग्री को सर्च कर सकते हैं । इंटरनेट पर हिंदी सामग्री दिन प्रतिदिन लगातार बढ़ रही है तथा इसका उपयोग भी काफ़ी लोग कर रहे हैं ।

सूचना प्रौद्योगिकी में राजभाषा हिंदी की प्रगति

आज का युग सूचना, संचार व विचार का युग है । सूचना प्रौद्योगिकी एक सरल तंत्र है जो तकनीकी प्रयोग के सहारे सूचनाओं का संकलन, संसाधन व संप्रेषण करता है । सूचना प्रौद्योगिकी के इस युग में कंप्यूटर का महत्व कल्पवृक्ष से कम नहीं है जिससे व्यवसायिक, वाणिज्यिक, जन संचार, शिक्षा, चिकित्सा, आदि कई क्षेत्र लाभांवित हुए हैं । कंप्यूटर व सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में जो विकास हुआ है वह भाषा के क्षेत्र में भी क्रांति का वाहक बन कर आया है ।

अभी तक भाषा, जो केवल मनुष्यों की आवश्यकताओं को पूरा कर रही थी, सूचना प्रौद्योगिकी के इस युग में उसे मशीन व कंप्यूटर की नित नई भाषायी मांगों को भी पूरा करना पड़ रहा है । वर्तमान समय सूचना प्रौद्योगिकी का युग है, सभी कार्यालयों में तमाम काम कंप्यूटरों पर ही किए जाते हैं । रोजमर्रा की जिन्दगी मानो सूचना प्रौद्योगिकी पर आधारित है । मोबाइल फोन, एटीएम, इंटरनेट बैंकिंग से लेकर रेलवे आरक्षण, ऑनलाइन शॉपिंग, आदि । सूचना प्रौद्योगिकी हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग बन चुकी है । संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार केंद्र सरकार के सभी मंत्रालयों, कार्यालयों, बैंकों, निगमों, उपक्रमों, विभागों आदि में देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्राप्त है जिसकी वज़ह से हिंदी भाषा का प्रयुक्ति क्षेत्र बहुत विस्तृत है ।

वर्तमान समय में सूचना प्रौद्योगिकी, जिसकी आत्मा कंप्यूटर है, किसी भी अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी बनी हुई है । यह सर्वज्ञात है कि कंप्यूटर में राजभाषा हिंदी में कार्य करना आज की तारीख में बहुतआसान हो गया है । वर्तमान समय में हिंदी भाषा के लिये कई संगठन कार्य कर रहें है, जैसे:- सी –डैक, गृह मंत्रालय का राजभाषा विभाग, केंद्रीय हिंदी संस्थान और अनेकों गैर सरकारी संगठन ।

भारत सरकार, गृह मंत्रालय के तहत कार्यरत सी-डैक (पुणे) ने बाईस भाषाओं में अपनी विभिन्न तकनीकी आयामों से वेबसाइटों, सॉफ्टवेयरों, रिपोर्टों, विभिन्न राज्यों की क्षेत्रीय भाषाओं में वेबसाइट का निर्माण, रिज़र्व बैंक के राजभाषा रिपोर्ट जेनेरेशन सॉफ्टवेयर (आरआरजीएस) निर्माण आदि के कार्य कर भाषायी एकता के क्रम में महत्वपूर्ण योगदान कर रहा है । माइक्रोसॉफ्ट इंडिक लैंग्वेज़ इनपुट टूल भारतीय भाषाओं हेतु एक सरल टाइपिंग टूल है । वास्तव में यह एक वर्चुअल की बोर्ड है जो कि बिना कॉपी-पेस्ट के झंझट के विंडोज में किसी भी एप्लिकेशन में सीधे हिंदी में लिखने की सुविधा प्रदान करता है । यह सेवा दिसंबर 2009 में प्रारंभ हो गई थी । यह टूल शब्दकोश आधारित ध्वन्यात्मक लिप्यांतरण विधि का प्रयोग करता है अर्थात हमारे द्वारा जो रोमन में टाइप किया जाता है, यह उसे अपने शब्दकोश से मिलाकर लिप्यांतरित करता है तथा मिलते-जुलते शब्दों का सुझाव प्रदान करता है । इस कारण प्रयोक्ता को लिपयांतरण स्कीम को याद नहीं रखना पड़ता है, जोकि पहली बार एवं शुरुआती तौर पर हिंदी टाइप करने वालों के लिए काफी सुविधाजनक साबित होता है ।

आज कंप्यूटर, मोबाइल फ़ोन, इंटरनेट, टेलीविजन, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण आदि हर क्षेत्र में हिंदी की मौजूदगी बढ़ती ही जा रही है जो कि एक सुखद प्रगति है । यह एक ऐसा पड़ाव है जिसने यह सिद्ध कर दिया है कि यदि बहुराष्ट्रीय कम्पनियों को भारत में पैर जमाने हैं, तो हिन्दी भाषा के पैर पकड़े बिना यह संभव नहीं । यही कारण है कि दुनिया की तमाम बड़ी कंपनियाँ अपने उत्पादों का भारतीयकरण कर रही हैं । इनमें वे कंपनियाँ भी शामिल हैं जिनके उत्पाद पहले से भारत में मौजूद हैं लेकिन उनकी मुख्य भाषा अंग्रेज़ी है ।

नई वेबसाइटें अब यूनिकोड के साथ आ रही हैं तथा पुरानी वेबसाइटें खुद को टू- टाइप फ़ॉन्ट की मदद से यूनिकोड में परिवर्तित कर रही हैं । यदि साहित्यिक और कुछ भाषा केंद्रित वेबसाइटों को छोड़ दिया जाए तो एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि अब ज्यादा से ज्यादा वेबसाइटें अंग्रेजी के साथ–साथ भारतीय भाषाओं में भी लॉन्च हो रही हैं जिनमें हिंदी प्रमुख है । पहले वेबसाइटों की भाषा केवल अंग्रेज़ी ही हुआ करती थी ।

मोबाइल फोन पर हिन्दी का प्रयोग :

वर्तमान समय में मोबाइल फोन ने लैंडलाइन फोन का स्थान ले लिया है । मोबाइल फोन पर हिंदी समर्थन हेतु निरंतर कार्य चल रहा है । कई मोबाइल

कंपनियाँ जैसे सोनी, नोकिया, सैमसंग आदि हिंदी टंकण, हिंदी वाइस सर्च व हिंदी भाषा में इंटरफेस की सुविधा प्रदान कर रही है । इसके साथ ही आज आइ पैड पर हिंदी लिखने की सुविधा उपलब्ध है । मोबाइल फोन अलग-अलग ऑपरेटिंग सिस्टम से युक्त होते हैं जैसे विंडोज, एंड्रायड आदि । आजकल अधिकांश मोबाइलों में पहले से ही गूगल इंडिक की बोर्ड मौजूद रहता है । सिर्फ इसे सक्रिय करके आसानी से हिन्दी में बोलकर या लिखकर टाइप किया जा सकता है । जिस मोबाइल में यह सुविधा पहले से उपलब्ध नहीं है उसमें प्ले स्टोर से गूगल इंडिक की बोर्ड डाउनलोड करके आसानी से काम किया जा सकता है तथा मोबाइल के माध्यम से किसी भी सोशल साइट पर हिन्दी में संदेश भेज सकते हैं । इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हिन्दी के प्रचार प्रसार में मोबाइल भी एक अहम भूमिका निभा रहा है ।

देवनागरी लिपि और सूचना प्रौद्योगिकी

सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में देवनागरी लिपि के मानकीकरण और संवर्धन के साथ साथ देवनागरी लिपि के मानकीकरण और संवर्धन के लिए ध्वनियों और वर्णों में मैपिंग अर्थात मिलान कराने की आवश्यकता है । भारतीय भाषाओं और विदेशी भाषाओं की ध्वनियों के लिए परिवर्द्धित देवनागरी लिपि विकसित करने और उसे विश्वस्तरीय लिपि के रूप में प्रसारित करने की ज़रूरत है । फ्रांस की "डब्ल्यू-थ्री-सी" एक मानकीकरण संस्था है, जो विश्व की प्रमुख भाषाओं का प्रौद्योगिकीय दृष्टि से मानकीकरण कर रही है, इस उद्देश्य की सफलता के लिए तकनीकीविदों और भाषाविदों के बीच तालमेल की बहुत आवश्यकता है । भाषाविदों और प्रौद्योगिकीविदों को एक साथ बैठ कर इस समस्या को सुलझाना होगा । उच्चारण और वर्तनी में समन्वय भी लाना ज़रूरी है । हिन्दी की ध्वनियों, उनके विन्यास और प्रस्तुतिकरण में देवनागरी की जो शक्ति है वह सभी भाषाओं को अपने भीतर समेटने में सक्षम है ।

यूनिकोड : हिंदी यूनिकोड के अस्तित्व में आने के बाद, अब हर कंप्यूटर, लैपटॉप यहाँ तक की स्मार्ट फोन पर भी हिंदी में काम करना व करवाना आसान हो गया है । यूनिकोड अंग्रेजी भाषा के शब्द Unicode से बना है जिसका विस्तार है यूनिवर्सल कोड । यूनिकोड एक अंतरराष्ट्रीय मानक है जिसके आधार पर क्षेत्रीय भाषाओं के लिये फॉन्ट तैयार किये जाते हैं । हम किसी भी भाषा को एनकोडिंग व्यवस्था के तहत मानक स्वरुप प्रदान कर सकते हैं और इस आधार पर उनके फॉन्ट निर्मित किये जा सकते हैं । यह कंप्यूटर में ही उपलब्ध होता है, केवल इसको सक्रिय करने की आवश्यकता होती है । इसे गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग और इलेक्ट्रॉनिकी विभाग ने कंप्यूटर में हिन्दी और अन्य भाषाओं के इस्तेमाल के लिए बनवाया है ।

यूनिकोड एक अंतरराष्ट्रीय मानक कोड है जिसमें हिंदी व अन्य भारतीय भाषाओं सहित विश्व की लगभग 200 भाषाओं के लिये कोड निर्धारित किये गये हैं । हम किसी भी भाषा को एनकोडिंग व्यवस्था के तहत मानक स्वरुप प्रदान कर सकते हैं और इस आधार पर उनके फॉन्ट निर्मित किये जा सकते हैं । चूँकि कंप्यूटर मूल रूप से किसी भाषा से नहीं बल्कि बाइनरी अंकों (0,1) से संबंध रखता है इसलिए हम किसी भी भाषा को एनकोडिंग व्यवस्था के तहत मानक रूप प्रदान कर सकते हैं । साथ ही इसी आधार पर उनके लिये फॉण्ट भी निर्मित किये जा सकते हैं, जैसे अंग्रेज़ी भाषा अथवा

रोमन लिपि के लिये एरियल फॉण्ट की एनकोडिंग की गई है, उसी तरह हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं के लिये निर्मित आधुनिक यूनिकोड फॉण्ट्स की भी एंकोडिंग की गईहै जिसे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, एप्पल, आइबीएम,सैप, सायबेस, यूनिसिस जैसी सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग की प्रमुख कंपनियों ने अपनाया है ।

हिन्दी यूनिकोड के लाभ : यह यूनिकोड की ही देन है कि आज हिन्दी में इंटरनेट तथा अन्य भारतीय भाषाओं की वेबसाइटों की संख्या में दिन-प्रतिदिन वृद्धि होती जा रही है । आज इंटरनेट पर हिन्दी एवं अन्य भारतीय भाषाओं को समर्पित ब्लॉग्स की संख्या में भी बढ़ोत्तरी हुई है । यह यूनिकोड से ही संभव हो पाया है । आवश्यकता है मात्र इसके प्रयोग की जानकारी रखने की एवं थोड़े अभ्यास की, फिर आसानी से हिंदी में भी काम किया जा सकता है । इसके कुछ अन्य लाभ निम्नवत है :

1. आप बिना हिन्दी टाइपिंग जाने हिन्दी में टाइप कर सकते हैं ।
2. आप गूगल सर्च में हिन्दी में सर्च कर सकते हैं ।
3. हिन्दी में ई-मेल भेज सकते हैं ।
4. कम्प्यूटर में विभिन्न फाइलों और फोल्डरों के नाम हिन्दी में रख सकते हैं ।
5. हिन्दी में चैट कर सकते हैं ।
6. हिन्दी में वेबसाइट या ब्लाग बना सकते हैं ।
7. वर्ड और एक्सेल में बिना हिन्दी फॉन्ट डाउनलोड किये हिन्दी में टाइपिंग की जा सकती है।
8. फेसबुक और ट्विटर जैसी सोशल नेटवर्किंग साइट पर आसानी से हिन्दी में लिखा जा सकता है।
9. यूनिकोड में लिखी किसी भी सामग्री को आसानी से दूसरी भाषा में परिवर्तित किया जा सकता है ।

ई-मेल/ इंटरनेट पर राजभाषा हिन्दी का प्रयोग :

हिंदी को इंटरनेट पर भारत की वेबदुनिया (http://www.webdunia.com/) नामक वेबसाइट ने सर्वप्रथम स्थान दिया । वेबदुनिया ने हिंदी में लिखने की सुविधा के साथ हिंदी में मेल, समाचार, ज्योतिष, शिक्षा आदि की सुविधाएं

प्रारंभ की । दूसरी ओर इंटरनेट पर विश्व प्रसिद्ध गूगल और याहू सरीखी कंपनियों ने स्थानीयकरण के माध्यम से हिंदी सहित कई भारतीय भाषाओं में अपनी सुविधाएँ देना शुरू किया है । गूगल लैब्स इंडिया ने हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं के लिए कई सुविधाजनक अनुप्रयोग उपलब्ध करवाएँ हैं, जिसमें गूगल का संपादक (Input Method Editor), ऑनलाइन लिप्यंतरण सुविधा, हिंदी वर्तनी जाँचक, गूगल ट्रांस्लेट, गूगल बुक्स और हिंदी में ब्लॉगर आदि सुविधाए महत्वपूर्ण हैं । विभिन्न भारतीय भाषाओं के माध्यम से इंटरनेट पर हिंदी सीखने के लिए लीला सॉफ्टवेयर विकसित किया है । लीला सॉफ्टवेयर के माध्यम से हिंदी प्रबोध, प्रवीण और प्राज्ञ पाठयक्रम असमी, बांग्ला, अंग्रेज़ी, कन्नड़ मलयालम, मणिपुरी, मराठी, उड़िया तमिल, तेलुगू, पंजाबी, गुजराती, नेपाली और कश्मीरी के द्वारा इंटरनेट पर सीखे जा सकते हैं । हिंदी में वेब पृष्ठों की संख्या दिनोंदिन बढ़ती जा रही है । हिन्दी समाचार समूहों के साथ जुड़ कर याहू एवं गूगल ने हिंदी खबरों को देश-दुनिया तक पहुँचाया है ।

अंग्रेजी के अलावा हिन्दी में भी ई-मेल दुनिया के किसी भी कोने में बिना किसी बाधा के भेजा जा सकता है, प्राप्त किया जा सकता है तथा इसे पढ़ा जा सकता है । कुछ समय पूर्व तक भारतीय भाषाओं में ई-मेल भेजने अथवा प्राप्त करने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। क्योंकि जिस फॉन्ट में ई-मेल/पत्र टाइप किया जाता था यदि मेल प्राप्तकर्ता के सिस्टम में वही फॉन्ट मौजूद नहीं है तो मेल प्राप्त होने के बावजूद भी इसे पढ़ा नही जा सकता था। वर्तमान समय में प्रौद्योगिकी की मदद से हिन्दी तथा अन्य प्रमुख क्षेत्रीय भाषाओं के फॉन्ट यूनिकोड में तैयार कर लिया गया है तथा उपर्युक्त समस्या का समाधान कर लिया गया है । आप भारत सरकार की वेबसाइट www.ildc.gov.in पर लॉगिन करके किसी भी भारतीय भाषा के यूनिकोड आधारित फॉन्ट नि:शुल्क अपने कम्प्यूटर पर डाउनलोड कर सकते हैं और अपना ई-मेल/पत्र यूनिकोड में टाइप करके दुनिया के किसी भी कोने में भेज सकते हैं जहाँ आसानी से इसे पढ़ा व देखा जा सकता है ।

गूगल वाइस टाइपिंग : बैंकिंग क्षेत्र में राजभाषा हिन्दी के कार्यान्वयन हेतु प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रुप से हिन्दी टाइपिंग का बहुत बड़ा योगदान होता है । अनुवाद हो या रिकॉर्डो का संग्रहण , आदेश हो या टिप्पण लेखन, लेन-देन हो या पत्राचार सभी में टाइपिंग अनिवार्य है । हिन्दी टाइपिंग जानने वाले तथा हिन्दी टाइपिंग नहीं जानने वाले दोनो के लिए गूगल वाइस टाइपिंग बहुत उपयोगी है । इसमें प्रौद्योगिकी के माध्यम से बोलकर टाइप किया जाता है ।

उपयोग करने की विधि : यह सुविधा अभी केवल क्रोम ब्राउजर में ही उपलब्ध है । इसे उपयोग करने की विधि निम्नवत है :

- आपके कम्प्यूटर /लैपटाप से एक माइक्रोफोन जुड़ा हुआ होना चाहिए जो वर्किंग कंडीशन में हो ।
- एक जी-मेल का यूज़र आइडी –पासवर्ड होना चाहिए ।
- क्रोम ब्राउजर में http://docs.google.com ओपन करें तथा जी-मेल आइडी से लॉगिन करें ।
- गूगल डॉक्स (Docs) में एक नया डाक्यूमेंट खोलें ।
- टूल्स (Tools) मेनू > वाइस टाइपिंग पर क्लिक करें ।
- पॉप-अप माइक्रोफोन बॉक्स से हिन्दी भाषा का चयन करें ।
- अब यदि हिन्दी में टाइपिंग करने के लिए तैयार हैं तो माइक्रोफोन बॉक्स पर क्लिक करें ।
- अपना पाठ सामान्य गति से स्पष्ट रुप से बोलें । खुले हुए डाक्यूमेंट में हिन्दी टाइपिंग शुरु हो जाएगी ।
- टाइपिंग रोकने के लिए माइक्रोफोन पर पुन: क्लिक करें ।

टाइपिंग की गलतियों में सुधार :

बोलकर टाइप करते हुए यदि गलती हो जाए तो, गलत टाइप हुए शब्द पर कर्सर ले जाएँ , वहाँ माइक्रोफोन से पुन: बोलकर गलतियों को ठीक किया जा सकता हैं । गलती सुधारने के बाद, जहाँ से टाइपिंग पुन: आरम्भ करना चाहते हैं वहाँ कर्सर वापस ले जाएं तथा बोलकर टाइप करें । इस प्रकार गूगल वाइस टाइपिंग की मदद से आसानी से हिन्दी टाइपिंग की जा सकती है ।

अनुवाद के क्षेत्र में सूचना प्रौद्योगिकी का योगदान :

सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में पिछले कुछ दशकों से शीघ्र गति से विकास हुआ है। यह मनुष्य को सोचने विचारने और संप्रेषण करने के लिए तकनीकी सहायता उपलब्ध कराती है । सूचना प्रौद्योगिकी के अंतर्गत कंप्यूटर के साथ-साथ माइक्रो इलेक्ट्रोनिक्स और संचार प्रौद्योगिकियाँ भी शामिल है और इसके विकास का नवीनतम रूप हमें इंटरनेट, मोबाइल, रेडियो, टेलीविजन, टेलीफोन, उपग्रह प्रसारण, कंप्यूटर के रूप में दिखाई देता है । इन सबके द्वारा आज सूचना प्रौद्योगिकी ने पूरे विश्व को अपने आगोश में ले लिया है । कंप्यूटर टेक्नोलॉजी के अंतर्गत प्राकृतिक भाषा संसाधन के क्षेत्र में विश्व भर में अनेक विशेषज्ञ प्रणालियों का विकास किया गया है, जिनके माध्यम से कंप्यूटर साधित भाषा शिक्षण, मशीनी अनुवाद और वाक्-संसाधन से संबंधित विभिन्न अनुप्रयोग विकसित किए गए हैं ।

गूगल ट्रांसलेशन :

गूगल ट्रांस्लेट ने हिंदी अनुवाद को सरल बना दिया है । गूगल ट्रांसलेशन से अनुवाद के क्षेत्र में एक क्रांति आ गईहै । यह हिन्दी भाषी एवं हिन्दीतर भाषी दोनो के लिए समान रुप से उपयोगी है । इसमें किसी भी स्त्रोत भाषा से किसी भी लक्ष्य भाषा में अनुवाद किया जा सकता है । गूगल में एकाउंट बनाकर अनुवाद करने पर यह अनुवाद को मेमोरी में ले लेता है ताकि भविष्य में समान टेक्स्ट आने पर सही अनुवाद उपलब्ध करवाया जा सके । हालाँकि गूगल ट्रांस्लेट द्वारा किया गया अनुवाद अभी भी पूर्ण रुप से शुद्ध तो नहीं होता है लेकिन फिर भी पहले के मुकाबले इसमें काफी हद तक सुधार हुआ है ।

लिंग्विफाई सॉफ्टवेयर :

लिंग्विफाई में किसी भी वेब पेज़ या इंटरप्राइज़ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन को

उसके डाटा सोर्स या डाटा बेस में बदलाव किए बिना अनुवाद करने की क्षमता है । सार्वजनिक क्षेत्र के अधिकतर एवं निजी क्षेत्र के अधिकांश बैंक, बैंकिंग लेन-देन के लिए फिनैकल सॉफ्टवेयर का प्रयोग कर रहे हैं । फिनैकल या बैंकिंग सॉफ्टवेयर में ऑपरेशन संबंधी अनुवाद में यह काफी प्रभावी है । बैंकिंग में पासबुक प्रिंटिंग, डिमांड ड्राफ्ट, स्टेटमेंट, धन्यवाद-पत्र इत्यादि का द्विभाषिक या अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में प्रिंटआउट प्राप्त करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है ।

गृह मंत्रालय के राजभाषा विभाग द्वारा उपलब्ध कराए गए सॉफ्टवेयर :

गृह मंत्रालय के राजभाषा विभाग ने अपनी वेबसाइट http://www.rajbhasha.nic.in पर राजभाषा हिंदी में कार्य करने को आसान बनाने के उद्देश्य से हिंदी में कई सॉफ्टवेयर उपलब्ध कराए हैं, जिसमें से निम्नलिखित प्रमुख हैं-

1. लीला (LILA): लीला अथार्त Learn Indian Languages with Artificial Intelligence, यह एक स्वंय शिक्षण मल्टीमीडिया पैकेज है । यह राजभाषा विभाग द्वारा तैयार किया गया एक निशुल्क सॉफ्टवेयर है जिसके द्वारा प्रबोध, प्रवीण व प्राज्ञ स्तर के हिंदी के पाठयक्रमों को विभिन्न भारतीय भाषाओं जैसे कन्नड़, मल्यालम, तमिल, तेलगु, बांग्ला आदि के माध्यम से सीखने, ऑनलाइन अभ्यास, उच्चारण सुधार, स्वमूल्यांकन, आदि की सुविधा उपलब्ध है ।

2. मंत्र:

मंत्र अथार्त (Machine Assisted Translation Tool) सी-डैक, पुणे के एप्लाइड आर्टीफ़ीशियल इंटेलिजेंस ग्रुप द्वारा विकसित एक मशीनी अनुवाद सॉफ्टवेयर है । यह एक मशीन साधित अनुवाद है जो राजभाषा के प्रशासनिक, वित्तीय, कृषि, लघु उद्योग, सूचना प्रद्योगिकी, स्वास्थ्य रक्षा, शिक्षा एवं बैंकिंग क्षेत्रों के दस्तावेज़ों का अंग्रेज़ी से हिंदी में अनुवाद करता है । मंत्र राजभाषा इंटरनेट संस्करण की डिजाइनिंग व विकास थिन क्लाइंट आर्किटेक्चर पर आधारित है, इसमें संपूर्ण अनुवाद प्रक्रिया सर्वर पर होती है, इसलिये दूरवर्ती स्थानों में भी इंटरनेट उपलब्ध लो एंड सिस्टम पर भी दस्तावेज़ों का अनुवाद करने की इस सुविधा का उपयोग किया जा सकता है । अनुवादित दस्तावेजों की पुन: प्राप्ति के लिए इसे प्रयोक्ता के इनबॉक्स में रखा जाता है ।

3. श्रुतलेखन:

श्रुतलेखन का अर्थ है सुने हुए को लिखना या सुनकर लिखना । इसमे एक व्यक्ति बोलता है तथा दूसरा उसे सुनकर लिखता है । यह एक सतत स्पीकर इंडीपेंडेंट हिंदी स्पीच रिकगनिश्न सिस्टम है, जिसका विकास सीडैक, पुणे के एलाइड एआइ ग्रुप ने राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार के सहयोग से किया गया है । यह स्पीच टू टेक्सट टूल है, इस विधि में प्रयोक्ता माइक्रोफोन में बोलता है तथा कंप्यूटर में मौजूद स्पीच टू टेक्स्ट प्रोग्राम उसे प्रोसेस कर पाठ/ टेक्स्ट में बदल कर लिखता है ।

4. वाचांतर :

वाचांतर, ध्वनि से पाठ में अनुवाद प्रणाली है जिसमें दो प्रौद्योगिकी का समावेश है । यह अंग्रेज़ी स्पीच को इनपुट के तौर पर लेता है तथा मशीनी अनुवाद करके उसे हिन्दी टेक्स्ट में बदल देता है ।

5. कंठस्थ :

यह सीडैक द्वारा विकसित एक मशीनी अनुवाद सॉफ्टवेयर है । यह राजभाषा विभाग की साइट पर हिंदी ई टूल्स में उपलब्ध है । इस पर हिंदी से अंग्रेजी और अंग्रेजी से हिंदी में सरलता से अनुवाद किया जा सकता है । इसकी विशेषता यह है कि इसमें आपके द्वारा किया गया अनुवाद भविष्य के लिए सुरक्षित रहता है । इस में प्रशासनिक, वित्तीय, कृषि, लघु उद्योग, सूचना प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य रक्षा, शिक्षा एवं बैंकिंग क्षेत्रों के दस्तावेज़ों का अनुवाद किया जा सकता है । इसके साथ-साथ यह शब्दकोश भी उपलब्ध कराता है ।

6. ई-महाशब्दकोश :

सीडैक पुणे के तकनीकी सहयोग से ई-महाशब्दकोश का निर्माण किया गया है जोकि राजभाषा की साइट पर उपलब्ध है । यह एक द्विभाषी-द्विआयामी उच्चारण शब्दकोश हैं जिसके द्वारा हिंदी या अंग्रेज़ी अक्षरों द्वारा शब्द की सीधी खोज की जा सकती है ।

निष्कर्ष: भूमण्डलीकरण के फलस्वरुप दुनिया आज एक लैपटॉप/मोबाइल में सिमट गई है फलस्वरुप हिन्दी की पहुँच भी व्यापक हो गई है तथा वर्तमान भारतीय समाज में राजभाषा हिंदी की भूमिका में उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है । सरकारी फाइलों और कागज़ी दस्तावेज़ों से निकल कर अब यह आम लोगों के मोबाइल और पर्सनल कंप्यूटरों तक पहुँच रही है । कहा जा सकता है कि राजभाषा हिंदी में सूचना प्रौद्योगिकी ने नई उर्जा का संचार किया है । वह दिन दूर नहीं है कि जब राजभाषा हिंदी में सभी नागरिक सेवाएँ और सरकारी काम करना सहज और सुलभ होगा ।

निजता की सुरक्षा : बैंक में निजी डाटा प्राइवेसी एंड प्रोटेक्शन का महत्व

अर्चना वर्मा
प्रबन्धक
सूचना सुरक्षा लेखा परीक्षा कक्ष
केन्द्रीय कार्यालय

सुबह की चाय पीते हुए एक पुराने सहकर्मी का फोन कॉल कुछ सुझाव मांगने के लिए आया। मसला दरअसल यह था कि उनके किसी मित्र के पास यह सूचित करते हुए एक ई कॉमर्स वेबसाइट से एक रजिस्टर्ड डाक आई कि उन्होंने लकी ड्रॉ में एक स्विफ्ट डिज़ायर कार जीती है और इसके लिए उन्हें अपने बैंक खाते का ब्योरा दिए गए पते पर भेजना है । यह बताते हुए वह और सुनते हुए मैं बहुत ही जोरों से ठहाके लगा कर हँसने लगे । वजह यह नहीं कि हमें यह समझ आया कि ये एक धोखाधड़ी है परंतु यह कि एक अपेक्षाकृत छोटे से गाँव में एक निम्न मध्यमवर्गीय परिवार के पास यह डाक आई और वह भी रजिस्टर्ड डाक से। यहाँ वह कोई पुराना पैतरा नहीं अपनाया गया जो कि ईमेल के माध्यम से भेजा जाता था और स्पैम की तरह लाखों लोगों को भेजा जाता था। यह एक सुनियोजित सोशल इंजीनियरिंग अटैक था, जहाँ पर धोखेबाज़ को अपने शिकार के बारे में पूरी खबर थी। किस तारीख को किस वस्तु की खरीददारी की गयी, उसका नाम, पता, मोबाइल नंबर इत्यादि। सुनिश्चित करने के लिए हम लोगों ने उस वेबसाइट के ग्राहक सेवा केंद्र पर कॉल की और उनसे इस बारे में अधिक जानकारी की मांग की, परंतु उन्होंने ऐसे किसी भी ऑफर के न होने की बात कही ।

अब सवाल यह उठता है कि आखिर उस धोखेबाज को इतनी जानकारी मिली कैसे? निश्चित है कि डाटा ब्रीच उस वेबसाइट द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं के किसी चरण में हुई होगी। या तो वेबसाइट के डेटाबेस से या फिर उसके किसी कर्मचारी द्वारा या फिर उसके किसी सेवा प्रदाता द्वारा इस ब्रीच को अंजाम दिया गया होगा । खैर यह चाहे जहाँ से भी हुआ हो यह उस ग्राहक की निजता पर हमला था। सोशल इंजीनियरिंग अटैक तो इस प्रकार के डाटा ब्रीच का सिर्फ एक ही उदाहरण है। जरा सोचिए किसी ग्राहक ने एक सोने का आभूषण मंगाया हो और इस जानकारी का लाभ उठा कर कोई दुर्भावनापूर्ण तत्व घर पर डकैती ही डाल दे। या फिर यह सोचिए कि किसी ग्राहक ने कोई निजी वस्तु मंगाई हो या फिर कोई दवा मंगाई हो और इसकी जानकारी तीसरे व्यक्ति को हो? किसी की निजी जानकारी या स्वास्थ्य संबंधी जानकारी किसी को तब तक जानने का अधिकार नहीं है जब तक कि खरीदकर्ता खुद न चाहें ।

और यही पर शुरुआत होती है पर्सनल डाटा प्राइवेसी एंड प्रोटेक्शन की । आगे बढ़ने से पहले कुछ परिभाषाएँ समझ लेते हैं:

डाटा एक तथ्य या तथ्य समूह है ।

संगठित रूप में डाटा को सूचना, जानकारी या **इन्फॉर्मेशन** कहते हैं।

किसी तथ्य या सूचना को किसी अवांछित व्यक्ति / संस्था के साथ साझा होने से बचाने के पहलू को **डाटा प्राइवेसी** एवं इसे अमल में लाने की प्रक्रिया **को डाटा** प्रोटेक्शन कहते हैं।

आज के संदर्भ में मोटे तौर पर डाटा को दो भागों में बाँटा जा सकता है:

1. **व्यक्तिगत पहचानने योग्य डाटा/सूचना (Personally Identifiable Data/Information):** वह डाटा या सूचना जो कि किसी व्यक्ति की पहचान को सुनिश्चित कर सके ।
2. **व्यापारिक डाटा/सूचना (Business Data/Information):** वह डाटा या सूचना जो कि व्यापार से जुड़ी हुई हो ।

व्यापारिक डाटा से लगभग सभी लोग वाकिफ़ हैं और चूंकि इनकी सुरक्षा के लिए कई कदम उठाए जाते है, अतः इनके बारे में आज बहुत बात नहीं करूंगी । जिस विषय पर चर्चा कम होती है और आज के समय में काफी महत्वपूर्ण है वह है पर्सनल डाटा प्राइवेसी ।

इस आलेख की शुरुआत में जिस किस्से का संदर्भ मैंने लिया है वह पर्सनल आयडेंटिफायेबल डाटा ब्रीच को जाहिर करता है, और हम इस पर भी चर्चा कर चुके हैं कि इस तरह के ब्रीच से किसी व्यक्ति विशेष पर क्या असर पड़ सकता है । अब हम इस बात पर चर्चा करेंगे कि बैंक में डाटा प्राइवेसी एंड प्रोटेक्शन का क्या महत्व है ।

बैंक में पर्सनल डाटा प्राइवेसी

बैंक एक ग्राहक केन्द्रित संस्था है और बैंकिंग व्यवसाय ग्राहकों की निजी जानकारियों पर ही चलता है । बैंक के साथ व्यवसाय करने की शुरुआत ही केवाईसी यानि अपने ग्राहक को जानें से होती है, जहाँ पर ग्राहक का नाम, पता, फोन नंबर, ईमेल आइडी, आय, नामिती इत्यादि जानकारियाँ बैंक के पास जमा होती हैं और बैंक समय-समय पर इन जानकारियों का उपयोग करता है । इसके साथ ही प्रदान की जाने वाली सेवाएँ जैसे कि बैंक खाता संख्या, कार्ड नंबर्स, बीमा एवं लेनदेन की जानकारियाँ इत्यादि बैंक के पास मौजूद होती हैं । यह सभी ग्राहकों की निजी जानकारियाँ हैं और इनमें से कुछ एक साथ मिल जाएँ तो वे किसी ग्राहक की पहचान सुनिश्चित कर सकती हैं । इनके ब्रीच से ग्राहकों की निजता का उल्लंघन तो होता ही है, ग्राहकों को इसके कई दुष्परिणाम भी झेलने पड़ सकते हैं । यही नहीं, इस तरह की घटनाओं की वजह से बैंक की भी प्रतिष्ठा सवालों के घेरे में आ जाती है ।

यदि हम पिछले कुछ वर्षों में इस तरह की खबरों को ढूंढें तो ज्ञात होगा कि इस तरह की घटनाओं में काफी बढ़ोत्तरी हो रही है और यह हर प्रकार के बैंक अथवा अन्य वित्तीय संस्थानों में घटित हो रही हैं । अतः यह बैंक का कर्तव्य है कि ग्राहकों की निजी जानकारियों को गोपनीय रखा जाए एवं उनके संरक्षण के लिए उचित कदम उठाए जाएँ ।

यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि बहुत से लोग इस गलतफ़हमी में हैं कि पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन की ज़िम्मेदारी सिर्फ संस्था के सूचना प्रोद्योगिकी विभाग या उसके सूचना सुरक्षा विभाग की है। ज्ञात हो कि सूचना प्रोद्योगिकी विभाग व्यापार के लिए सिर्फ एक इनेबलर है; और इनकी मदद से व्यापार मालिकों को डाटा का वर्गीकरण करके उसे सुरक्षित कराना सुनिश्चित करना है । सूचना सुरक्षा विभाग का किरदार इसलिए अहम हो जाता है क्योंकि किस डाटा को किस तरह सुरक्षित करना है ये यही विभाग तय करता है एवं समय समय पर नियंत्रकों की समीक्षा करता है ।

महत्वपूर्ण यह है कि डाटा सिर्फ आईटी सिस्टम्स में ही नहीं है परंतु कागजों एवं दस्तावेजों में भी है और इस वक़्त बैंक की शाखा की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है । किसी भी ग्राहक की जानकारी बैंक शाखा में फॉर्म्स के रूप में एकत्रित करती है एवं उसे बैंक के कंप्यूटर सिस्टम्स में प्रविष्ट करती है । तो आईटी में जो नियंत्रक लगाने हैं वे तो केन्द्रीय रूप से सुनिश्चित किए जा सकते हैं परंतु शाखाओं में कर्मचारियों को इन फॉर्म्स की उचित देखभाल करनी होगी; और बैंक द्वारा स्थापित नीतियों का पालन करना होगा ।

दस्तावेज़ो का वर्गीकरण और उन्हें इसके आधार पर उचित रूप से सुरक्षित करना बहुत जरूरी है । जैसे कि जब तक एक खाता खोलने का फॉर्म खाली है तब तक वह अवर्गीकृत या आंतरिक हो सकता है; परंतु जब किसी ग्राहक ने उसे भर दिया हो वही फॉर्म गोपनीय हो जाता है; और गोपनीय फॉर्म्स को सुरक्षित स्थान पर रखना एवं उस तक किसकी पहुँच होनी चाहिए यह सुनिश्चित करना अत्यंत आवश्यक है । अक्सर यह शिकायतें सुनने को मिलती हैं कि आज ग्राहक ने किसी बैंक में खाता खुलवाया और कल से उसके पास अन्य वित्तीय संस्थानो से क्रेडिट कार्ड, बीमा इत्यादि के लिए फोन आने शुरू हो गए। जाहिर है यह डाटा के साझा किए बिना नहीं हो सकता; तो या तो यह डाटा शाखा से बाहर गया; या फिर आईटी में जिनके पास इस डाटा की पहुँच है उनसे या हो सकता है उनके सहयोगी वेंडर के जरिये बाहर गया ।

लेख के शुरुआत के किस्से में यह भी संभव है कि ऑनलाइन खरीद वस्तु के वितरण के लिए जो व्यक्ति आया हो उसकी मदद से ग्राहक की जानकारी साझा हुई हो । और यही बैंक के लिए भी लागू होती है। हो सकता है कि बैंक का डाटा संसाधित करने वाली संस्थाएं जैसे कि आईटी सपोर्ट, क्रेडिट/डेबिट कार्ड प्रिंटिंग, फोटोकॉपी, या रद्दी वाले इन जानकारी को साझा कर दें । इसलिए बैंक को एंड टू एंड डाटा सुरक्षा सुनिश्चित करनी होगी अर्थात डाटा को एकत्र करने से लेकर उसके निपटान तक डाटा की सुरक्षा एवं उस पर नियंत्रण ।

विश्व के कई देशों में डाटा प्राइवेसी कानून लागू किए गए हैं जो कि पर्सनल डाटा, वित्तीय डाटा एवं स्वास्थ्य डाटा की सुरक्षा को सुनिश्चित करते हैं । अमेरिका में यूएस डाटा प्राइवेसी कानून, एचआईपीपीए (HIPPA), कैलीफोर्निया में कैलीफोर्निया ग्राहक प्राइवेसी कानून, यूरोप मे जीडीपीआर जैसे कानून लागू किए गए हैं । जल्द ही हमारे देश में भी यूरोपियन जनरल डाटा प्रोटेक्शन कानून के जैसा डाटा प्रोटेक्शन बिल आने वाला है; जिसमें किसी डाटा ब्रीच पर भारी जुर्माने का प्रावधान है और नागरिकों को अपने पर्सनल डाटा के प्रति काफी अधिकार दिए गए हैं । हमें अभी से इस कानून के अनुपालन की तैयारियाँ शुरू कर देनी चाहिए और इस तैयारी में हमें कई स्तरों पर नियंत्रण लागू करने होंगे । सबसे पहले तो संस्था की नीतियों को मजबूत बनाना होगा और उसके अनुपालन के लिए उचित दिशा निर्देश जारी करने के साथ ही सभी कर्मचारियों एवं हितधारियों को संवेदनशील बनाना सुनिश्चित करना होगा ।

उचित authentication, authorization, access controls, data encryption से हम काफी हद तक डाटा ब्रीच को नियंत्रित करने में सफल हो सकते हैं । परंतु इन्हें लागू करने से पहले हमें अपने डाटा को जानना होगा; उसे उचित रूप से वर्गीकृत करना होगा; वर्गीकरण के आधार पर उचित रूप से डाटा encryption और जरूरत एवं स्तर के आधार पर ही डाटा पर access control लगाने होंगे ।

साथ ही साथ अपने व्यवहार में भी निजता की सुरक्षा का भाव लाना चाहिए जो कि लंबे समय में खुद को एवं ग्राहकों को एक सुखद अनुभव देगा ।

इस लेख का अंत इंटरनेट पर मौजूद एक पंक्ति से करना चाहूंगी:

"Protecting PII is everyone's Job; PII is not everyone's business."

*****

कविता

मेरा बेटा आएगा ...

उन जर्जर धुंधली आंखों में बिखरी उम्मीद समेट रही
वो मूक बनी कोने में बैठी आसमान देख रही
मन छलनी कर दें विचार वो सोच रही कैसे-कैसे
एक सर्पदंश जैसे प्रश्नों की शरशैय्या पर हो जैसे
वो सोच रही क्यों मेरा बेटा सारे रिश्ते तोड़ गया
आखिर क्या अपराध हुआ जो वृद्धाश्रम तक छोड़ गया
उंगली पकड़ चलाया जब तुम खड़े नहीं हो पाते थे
'पापा को नहीं बताना' कह अपनी गलती छिपवाते थे
फीस तुम्हारी भरने को रातो में भूखी सोई थी
दूर शहर पढ़ने गए तो कितने दिन छुप-छुप रोई थी
जब गेंद से शीशे तोड़ो तुम और भड़के सारा मोहल्ला
मैं हाथ जोड़ सब सुनती थी क्या याद नहीं तुमको लल्ला
अब तो काँपे, खाँसे, हाँफे, 'मदन' रहे प्यासी भूखी
कहते लोग बदल गयी वो पर खारी आंखे ना सूखी
पाँच बरस से आस लगाए कौन उसे समझाएगा
अब भी कहती है, मुझको लेने मेरा बेटा आएगा ।

प्रस्तुति
मदन मोहन वाजपेयी
प्रबन्धक - प्रथम पंक्ति
सेलम क्षेत्र

वैश्वीकरण और हिन्दी

फणीश मणि त्रिपाठी
प्रबन्धक
क्षेत्रीय कार्यालय रांची

2014 के लोकसभा चुनाव में 'अबकी बार मोदी सरकार' का नारा इतना लोकप्रिय हुआ कि उसकी गूंज अमेरिकी चुनावों में भी सुनाई पड़ी। दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश के राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्प ने अपने चुनाव अभियान में भारतीय-अमेरिकी समुदाय को लुभाने के लिए 'अबकी बार ट्रम्प सरकार' नारे का इस्तेमाल किया। अब तक हम भारतीय दुनिया के मंच पर हिन्दी में भाषण देने को उपलब्धि मानते थे। अब वो दौर है कि आर्थिक महाशक्ति के राष्ट्रपति उम्मीदवार को चुनाव जीतने के लिए हिन्दी बोलनी पड़ रही है।

अमेरिका के राष्ट्रपति रहे बराक ओबामा वर्ष 2015 में अपनी पत्नी मिशेल ओबामा के साथ भारत दौरे पर आए थे । उन्होंने खचाखच भरे दिल्ली के सिरी फोर्ट सभागार में मौजूद श्रोताओं को दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे मूवी का मशहूर डायलॉग बोलकर चौंका दिया। ओबामा ने हल्की मुस्कान बिखेरते हुए कहा, "सेनोरीटा बड़े – बड़े देशों में...यू नो व्हॉट आइ मीन ।" हिन्दी की बढ़ती लोकप्रियता और स्वीकारिता का एक और उदाहरण तब मिला जब एक बार ओबामा अमेरिकी छात्रों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि अमेरिका में छात्रों को अंग्रेज़ी के साथ-साथ दो और भाषाएं सीखनी चाहिए । ये दो भाषाएं हैं हिन्दी और चीनी; (जिसे मंदारिन भी कहा जाता है)।

हिन्दी और हिन्दी संस्कृति के प्रति बढ़ता विदेशी मोह

डोनल्ड ट्रंप, पूर्व राष्ट्रपति, अमेरिका

थेरेसा मे पूर्व प्रधानमंत्री, ब्रिटेन

ब्रिटेन की पूर्व प्रधानमंत्री थेरेसा मे ने जब पहली बार भारतीय धरती पर कदम रखा तो वे भारतीय स्त्रियों के पारंपरिक परिधान साड़ी में नज़र आईं। यह वाकया जाहिर करता है कि भारतीय संस्कृति के प्रति विदेशियों का रुझान दिन-ब-दिन और बढ़ता जा रहा है। वर्ष 2006 में आस्ट्रेलियाई क्रिकेटर ब्रेट ली का हिन्दी – अंग्रेजी मिश्रित भाषा का म्यूज़िक एलबम "यू आर द वन फॉर मी" खासा लोकप्रिय हुआ था। इस म्यूजिक एलबम में आशा भोंसले ब्रेट ली को हिन्दी सिखाती हैं ताकि वो हिन्दुस्तानी लड़की के सामने प्रेम प्रस्ताव रख सकें। गाने के अंत में ब्रेट ली हिन्दी लिखते हुए भी दिखाई देते हैं और अपनी माशूका से प्रेम का इज़हार भी हिन्दी में करते हैं। इस एलबम ने ब्रेट ली को पॉप गायक के रूप में पहचान दिलाई। वैश्वीकरण के प्रभाव से हिन्दी आज दुनिया भर में इतनी लोकप्रिय हो गई है कि लोग न सिर्फ हिन्दी जानने में बल्कि उसे बोलने और लिखने में भी गर्व महसूस कर रहे हैं।

वैश्वीकरण सिर्फ बाज़ार के स्तर पर देशों को करीब नहीं लाता बल्कि उन्हें एक-दूसरे की सभ्यता और संस्कृति को भी जानने का मौका देता है। रोज़गार की तलाश में विदेशों में जाकर बस चुके भारतीयों के साथ उनकी भाषा, उनके तीज-त्योहार भी साथ गए हैं। तभी तो भारत में जब दीपों का त्योहार मनाया है तो मलेशिया, इंडोनेशिया, ब्रिटेन, आस्ट्रेलिया, उत्तरी अमेरिका और मारीशस जैसे देश भी दिवाली की खुशियों से जगमगा उठते हैं। भारत के गणतंत्र दिवस पर दुबई का बुर्ज़ खलीफा शान से तिरंगे के रंग में रंग जाता है। नौकरी के लिए विदेशों में जाकर बस गए भारतीयों के जरिए हिन्दी भाषा का भी दुनिया में खूब प्रसार हुआ है। आज कई देशों के विश्वविद्यालयों में हिन्दी के लिए अलग से विभाग है जिसमें दुनिया के अलग-अलग देशों के विद्यार्थी न सिर्फ हिन्दी में उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं बल्कि भाषा सम्बन्धी तरह-तरह के शोध भी कर रहे हैं। आज हिन्दी दुनिया

विश्व में भाषा के बोलने वाले- वर्ष 2019

रैंक	भाषा	बोलने वालों की संख्या
1	अंग्रेजी	1.34 बिलियन
2	मेंडरीन चाइनीज़	1.12 बिलियन
3	हिन्दी	600 मिलियन
4	स्पेनिश	543 मिलियन
5	अरबी	274 मिलियन

की सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषाओं में शुमार की जाती है।

(स्रोत- विकिपीडिया)

हिन्दी जानने वाले शीर्ष देश	
भारत	अमेरिका *
फीजी	ब्रिटेन
मॉरीशस	न्यूज़ीलैंड
सूरीनाम	ट्रिनिडाड टोबैगो
पाकिस्तान	युगांडा
बांग्लादेश	जर्मनी
नेपाल	सिंगापुर
म्यांमार	दक्षिण अफ्रीका

वैश्वीकरण की वजह से दुनिया के क्षितिज पर हिन्दी को अपने पंख फैलाने का भरपूर मौका मिला। वैश्वीकरण के परिणाम स्वरूप यद्यपि हिन्दी के रूप में काफी परिवर्तन आया है परन्तु उत्तरोत्तर हिन्दी की स्वीकारोक्ति बढ़ी है, रूझान बढ़ा है और हिन्दी दुनिया की अधिक से अधिक आबादी तक पहुंची है। चूंकि यह विषय बेहद रोचक और विचारोत्तेजक है इसलिए वैश्वीकरण के परिप्रेक्ष्य में हिन्दी की प्रगति पर विश्लेषणात्मक चर्चा ज़रूरी है।

वैश्वीकरण और भाषा का सम्बन्ध

सबसे पहले समझते हैं कि वैश्वीकरण है क्या और इससे भाषा कैसे प्रभावित होती है। वैश्वीकरण का प्रत्यक्ष सम्बन्ध बाज़ारवाद से है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत भौगौलिक दूरियों, सीमाओं, सरहदों, दीवारों के बावजूद दुनिया के देश तकनीक के माध्यम से विचारों, उत्पादों और संस्कृतियों के अन्य पहलुओं के आदान प्रदान से एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। शुद्ध तौर पर आर्थिक एकीकरण। प्रसिद्ध भाषा वैज्ञानिक नोम चॉमस्की के शब्दों में वैश्वीकरण का अर्थ अंतरराष्ट्रीय एकीकरण है। वस्तुत: यह संपूर्ण विश्व को एक गांव में बदलने की अवधारणा है। इस एकीकरण में भाषा की अहम भूमिका होती है। जो भाषा व्यापक रूप से प्रयोग में रहेगी उसी का स्थान विश्व में सुनिश्चित होगा। जब विश्व एक बड़ा बाज़ार बन जाएगा और उस बाज़ार में प्रयोग करने के लिए जिस भाषा का प्रयोग होगा वही भाषा जीवित रह पाएगी।

जिस प्रकार से दो विभिन्न भाषाई प्रांतों के पड़ोसी परिवारों में मेल-जोल बढ़ने से वे एक दूसरे की भाषा सीख लेते हैं, त्योहार और धर्म के बारे में जानने लगते हैं, खान-पान और पहनावे की पसंद-नापसंद समझने लगते हैं। ठीक वैसे ही देशों के बीच नज़दीकियां और मेल-जोल बढ़ने की वजह से लोग देशों की संस्कृतियों के बारे में जानने लगते हैं जिसमें भाषा प्रमुख है। अन्य भाषाओं के मुकाबले हिन्दी ने इस मौके को बखूबी भुनाया है । कहीं बाज़ार की मजबूरियों ने तो कहीं हिन्दी के प्रति रूझान और प्रेम ने हिन्दी की व्यापकता को बढ़ाने का काम किया। सरल प्रकृति और ग्राह्य शक्ति यानि दूसरे भाषा के शब्दों को ग्रहण और स्वीकार करने की हिन्दी की क्षमता ने उसे अन्य भाषाओं के मुकाबले विश्व में अधिक प्रचलित कर दिया।

संसार में हिन्दी की मौजूदगी

वैश्वीकरण जैसे पारिभाषिक शब्द के अस्तित्व में आने से पहले भी हिन्दी कई देशों में अपनी पहुंच बना चुकी थी। आज़ादी से पहले जब भारत पर इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया का शासन स्थापित हुआ तब इस बात की ज़रूरत महसूस की गई कि भारत पर राज करने के लिए हिन्दी सीखना बेहद ज़रूरी है। यही वजह थी कि सिविल सेवा के अधिकारियों के लिए हिन्दी सीखना अनिवार्य कर दिया गया। इसके अलावा मॉरीशस, सूरीनाम, दक्षिण अफ्रीका, फिजी, गुयाना, ट्रिनिडाड व टोबैगो आदि भारतवंशी देशों में गिरमिटिया समुदाय के रूप में मजदूरी के लिए गए अधिकतर भारतीय वहां बस गए जिसके फलस्वरूप इन देशों में हिन्दी संपर्क भाषा का कार्य कर रही है। हालांकि स्थानीय प्रचलित शब्दों को आत्मसात करने की वजह से इन देशों में हिन्दी का स्वरूप परिवर्तित हो गया है। इन देशों में खड़ी बोली और भोजपुरी का प्रयोग किया जा रहा है। वहां का साहित्य भी इन्हीं भाषाओं में लिखा जा रहा है।

नौकरी और उच्च शिक्षा के लिए अमेरिका, आस्ट्रेलिया, यूके, कनाडा जैसे देशों का रुख करने वाले भारतीय सुख सुविधाओं के अभ्यस्त होने की वजह से वहां बस गए हैं। ऐसे अप्रवासी भारतीयों की संख्या आज लाखों – करोड़ों में है। ये भारतीय अपनी सभ्यता और संस्कृति को बनाए रखने के लिए हिन्दी का सहारा ले रहे हैं। केरल, पंजाब, गुजरात के अप्रवासी भारतीय आपस में बातचीत के लिए हिन्दी का उपयोग करते हैं। जिससे इन देशों में हिन्दी के बोलने, पढ़ने और समझने वालों संख्या बढ़ गई है। नेपाल, पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे भारत के पड़ोसी देशों में हिंदी पहले से ही व्यापक रूप में मौजूद है। पाकिस्तान की राजभाषा उर्दू को यदि देवनागरी लिपि में लिख दिया जाए तो उसे आसानी से पढ़ा और समझा जा सकता है।

विश्व हिन्दी के रूप	
मॉरीशस	हिन्दी को क्रेयोल कहा जाता है। हिन्दी और स्थानीय शब्दकोष के मेल से बनी है। क्रेयोल का प्रयोग बोलचाल के साथ साहित्य, श्लोकों और मंत्रों में हो रहा है।
फिजी	फिजियन हिन्दी। खड़ी बोली के बेहद करीब। व्याकरण, साहित्य व शब्दकोष मौजूद।
सूरीनाम	सरनामी हिन्दी। स्थानीय शब्दों के साथ हिन्दी का समावेश।
ताजिकिस्तान	ताज़की हिन्दी। अरबी, फारसी और हिन्दी शब्दों के मेल से बनी भाषा।
ट्रिनिड़ाड व टोबैगो	ट्रिडी हिन्दी
रोमा	जर्मनी के पास छोटा सा क्षेत्र।
दक्षिण अफ्रीका	नेटाली हिन्दी

बांग्लादेश की बांग्ला भी हिन्दी के बेहद करीब है। इसके अलावा अफगानिस्तान, ताजिकिस्तान, मलेशिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड आदि देशों में हिन्दी बोलने वालों की संख्या काफी अधिक है।

वैश्वीकरण के प्रभाव की वजह से हिन्दी आज दुनिया के कई देशों में पठन-पाठन में शामिल हो गई है। मॉरीशस में गावों में हिन्दी पढ़ाई जाती है। यूरोपीय देशों में मूल भाषाओं में हिन्दी शामिल है। रूस में स्कूली पाठ्यक्रम में हिन्दी को स्थान दिया गया है। अमेरिका की बर्कले यूनिवर्सिटी में हिन्दी में पीएचडी कराई जा रही है। विदेशी युवक-युवतियां भारत में रहने और यहाँ कार्य करने के लिए बड़े पैमाने पर हिन्दी सीख रहे हैं। ऐशो आराम और अमीर बनने की होड़ से ऊब चुके विदेशियों को भी हिन्दी खूब लुभा रही है। वे मानसिक शान्ति के लिए भारतीय ज्ञान और योग की शरण में आ रहे हैं। संस्कृत के ग्रंथ उन्हें कठिन और असहज लग रहे हैं तो हिन्दी में अनुदित ग्रंथ उनकी मदद कर रहे हैं।

हिन्दी के विभिन्न रूप

अन्य भाषाओं की तरह हिन्दी भी आज हमारे सामने कई रूपों में मौजूद है।

1. मातृभाषा : सभी इस बात को स्वीकार करेंगे कि उत्तर भारत के राज्य हिन्दी में अपना दैनिक कामकाज करते हैं। हिन्दी वहां की जन भाषा है।
2. साहित्यिक भाषा : यह हिन्दी का साहित्यिक रूप है जिसमें गद्य, पद्य, नाटक, ज्ञान-विज्ञान, निबंध, शोध कार्य आदि प्रकाशित होते रहते हैं। इसे हम रचनाधर्मी भाषा कह सकते हैं।
3. संचार भाषा : जनसंचार माध्यमों में प्रयोग में लाई जाने वाली भाषा जिसका इस्तेमाल अखबारों, टेलीविज़न चैनलों, फिल्मों, सोशल साइटों, इंटरनेट, मोबाइल इत्यादि पर किया जा रहा है।
4. राजभाषा : संविधान की धारा 343 में यह प्रावधान किया गया है कि देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली हिन्दी संघ की राजभाषा कहलाएगी। अत: सरकारी कार्यालयों में राजभाषा के रूप में हिन्दी आज पूरे देश में विद्यमान है।
5. विश्व भाषा : विश्व भाषा अर्थात ऐसी भाषा जो दुनिया के अधिकतर हिस्सों में बोलने, लिखने, पढ़ने और समझने के काम में आती है। विश्व भाषा का तात्पर्य विश्व बंधुत्व की भावना से भी है। विश्व बंधुत्व यानि ऐसी भाषा जो पूरी दुनिया को एक सूत्र में पिरोने का काम करे।

विश्व भाषा के रूप में हिन्दी

भाषा वैज्ञानिक मानते हैं कि हिन्दी के मौजूदा स्वरूप में कई विश्व भाषाओं का सहयोग रहा है। कई भाषाओं के सम्मिलित प्रयासों से हिन्दी की रूप रचना अस्तित्व में आई है। हिन्दी भाषा में लगभग पचास प्रतिशत शब्द संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश के हैं, पच्चीस से अट्ठाइस प्रतिशत शब्द अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश, डच, पुर्तगाली, अरबी, फारसी, पश्तो, यूनानी के हैं। हिन्दी की शब्दावली में विदेशी भाषा के शब्दों का हिस्सा लगभग एक तिहाई है। इन शब्दों को हिन्दी ने तत्सम रूप में या फिर तद्भव रूप में यानि उसका हिन्दीकरण करके स्वीकार कर लिया है। हिन्दी भाषा के वैश्विक चेतना की भाषा होने और भूमंडलीकरण की प्रक्रिया से गुज़रने का सबसे बड़ा प्रमाण ही यही है कि उसने विश्व की कई भाषाओं को खुद में समाहित कर लिया है। इसके साथ ही विदेशी भाषाओं की श्रेष्ठतम कृतियों और साहित्यों को भी हिन्दी में रूपांतरित किया गया है। यह भी विश्व भाषा की एक खासियत होती है। हिन्दी में ऐसी चार हजार से अधिक अनूदित कृतियां हैं। ऐसे भी उदाहरण हैं जहां एक कृति का कई बार अनुवाद किया गया है। इसमें मुख्य रूप से विलियम शेक्सपियर के नाटक ट्वेल्थ नाइट, मैकबेथ, ओथेलो आदि शामिल हैं जिनका ग्यारह बार से अधिक हिन्दी अनुवाद किया गया है। इसका अर्थ यह है कि विश्व बोध, विश्व चेतना, विश्व मंतव्य को व्यक्त करने का कार्य हिन्दी ने किया है। विश्व की जितनी भी विचारधाराएं हैं वो भी हिन्दी साहित्य में किसी न किसी रूप में प्रकट हुई हैं, जैसे प्रयोगवाद, प्रगतिवाद, राष्ट्रवाद, स्वच्छंदतावाद, मनोविश्लेषणवाद, भौतिकवाद या डार्विन का विकासवाद। जितने सिद्धांत हैं, विश्व दर्शन हैं उन्हें हिन्दी साहित्य में स्थान दिया गया है। वैश्वीकरण का यह बेहद मजबूत स्तंभ है कि हिन्दी विश्व की भाषाओं से अपना संपर्क बनाए हुए हैं उन्हें एकसूत्र में जोड़े हुए है।

अयं निज: परो वेति गणना लघुचेत्साम्

उदारचरितानां तु वसुधैव कुटुम्बकम्

(अर्थात यह मेरा है, वह तेरा है, ऐसी गणना छोटी बुद्धि के लोग करते हैं, विशाल हृदय वालों के लिए तो सारा संसार ही परिवार के समान है ।)

वैश्वीकरण के युग में जिस प्रकार भाषाओं में एक दूसरे से आगे बढ़ने की होड़ लगी है वहां हिन्दी अपनी सरलता और सहजता के बूते लोकप्रियता हासिल कर रही है। साथ ही विश्व की दूसरी भाषाओं को भी साथ लेकर चलते हुए वसुधैव कुटुम्बकम के भारतीय सिद्धांत और दर्शन को चरितार्थ कर रही है।

हिन्दी में बिकते विदेशी उत्पाद

संचार भाषा के रूप में हिन्दी

वैश्वीकरण को हिन्दी के लिए बड़ा खतरा माना जा रहा था। ऐसी आशंका जताई जा रही थी कि विदेशी बाज़ारों के साथ प्रतिस्पर्धा में हिन्दी कहीं पीछे छूट जाएगी और अंग्रेजी अपना आधिपत्य स्थापित कर लेगी। चूंकि वैश्वीकरण पाश्चात्य और विकसित देशों से भारत में पहुंच रहा था जहां प्रमुख रूप से अंग्रेज़ी बोली जाती है। लेकिन बड़े भारतीय बाज़ार में अपना माल बेचने की मजबूरी ने दूसरे देशों को हिन्दी सीखने पर मजबूर कर दिया। कोका-कोला, डोमिनोज़, नेस्ले जैसी कई कंपनियां अपने उत्पादों की मार्केटिंग के लिए हिन्दी विज्ञापनों का सहारा ले रही हैं।

सिर्फ उत्पाद ही नहीं भारत में सेवा क्षेत्र की विदेशी कंपनियां ग्राहक संतुष्टि के लिए हिन्दी और अन्य भारतीय भाषाओं के माध्यम से सेवाएं प्रदान कर रही हैं। फिर चाहे वो एटीएम परिचालन हो या भारत से उड़ान भरने वाली विदेशी एयरलाइंस में चेतावनी संदेश। हर जगह हिन्दी को प्राथमिकता दी जा रही है। कॉल सेंटरों में वायस प्रोसेसिंग में अन्य भाषाओं के साथ हिन्दी जानने वालों को बड़ी संख्या में रोज़गार मिला हुआ है।

डीटीएच और ऑनलाइन टीवी चैनलों, आइपीटीवी और टीवी बॉक्स के जरिए हिन्दी फिल्में और हिन्दी धारवाहिक अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन, आस्ट्रेलिया जैसे देशों में बड़े पैमाने पर देखे जा रहे हैं। मर्फी रेडियो और दूरदर्शन के ज़माने में जनसंचार के सीमित माध्यम थे। लेकिन वैश्वीकरण के बाद हिन्दी रेडियो, हिन्दी अखबारों, हिन्दी टेलीविज़न चैनलों, हिन्दी वेबसाइटों और हिन्दी भाषा के अन्य जनसंचार माध्यमों की भरमार हो गई है।

टेक्नोलॉजी में हिन्दी का प्रयोग

दुनिया की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी माइक्रोसॉफ्ट ने भी हिन्दी के महत्व को पहचाना है। माइक्रोसॉफ्ट के सभी कंप्यूटरों पर अब यूनिकोड में हिन्दी टाइपिंग करने का विकल्प मौजूद है। माइक्रोसॉफ्ट इंडिक टूल तो इतना कमाल का है कि हिन्दी टंकण नहीं जानने वाले भी कंप्यूटर पर आसानी से हिन्दी टाइप हैं। मान लीजिए 'दिल्ली' लिखना है तो अंग्रेजी में 'Delhi' टाइप करने पर हिन्दी में 'दिल्ली' लिखा आ जाएगा। हिन्दी टाइपिंग पूरी तरह फोनेटिक्स पर आधारित होती है जिसका इस्तेमाल कोई नया यूज़र भी कर सकता है।

दुनिया के सबसे बड़े सर्च इंजन गूगल ने भी इंडिक की-बोर्ड विकसित किया है जिसके माध्यम से मोबाइल पर आसानी से हिन्दी टाइपिंग की जा रही है। इस टूल किट की वजह से फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्स एप जैसे सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म पर हिन्दी संदेशों का बहुलता में आदान-प्रदान हो रहा है। कंप्यूटर पर हिन्दी की मौजूदगी ने हिन्दी को इंटरनेट पर खासा लोकप्रिय बना दिया है। हिन्दी के ब्लॉग्स, हिन्दी में वेबसाइटें, हिन्दी का साहित्य आज प्रचुर मात्रा में इंटरनेट पर उपलब्ध है। और तो और अब मोबाइल पर हिन्दी लिखने की भी ज़रूरत नहीं है। गूगल वायस टाइपिंग के जरिए आप हिन्दी बोलेंगे और संदेश खुद-ब-खुद हिन्दी में लिखते चले जाएंगे।

उपसंहार

हिन्दी आज किसी प्रदेश विशेष की भाषा न रहकर एक अंतरराष्ट्रीय भाषा का स्वरूप ले चुकी है। यूनेस्को की सात भाषाओं में हिन्दी शामिल है। संयुक्त राष्ट्र में हिन्दी को आधिकारिक भाषा का दर्ज़ा दिलाने के लिए ज़ोर शोर से प्रयास किए जा रहे हैं। अंतरराष्ट्रीय फलक पर अप्रवासी भारतीय साहित्य दुनिया में हिंदी को लोकप्रिय बनाने का काम कर रहा है। भारतीय संस्कृति और दर्शन को समझने के लिए विदेशियों में हिन्दी सीखने की लोलुपता बढ़ रही है। विश्व के लगभग डेढ़ सौ विश्विद्यालयों में हिन्दी पढ़ाई जा रही है। वैश्वीकरण ने हिन्दी को और अधिक समृद्ध, व्यापक और विविधता प्रदान करने का काम किया है। बस अफ़सोस ये है कि अपने देश में ही हिन्दी हीनता और अवहेलना का शिकार बन रही है। भारत एक युवा शक्ति वाला देश है जिसकी सबसे बड़ी चिंता रोज़गार है। यदि हिन्दी को रोज़गारोन्मुखी बनाया जाए तो युवा पीढ़ी अधिक संख्या में इससे जुड़ेगी। इसके लिए शिक्षा व्यवस्था में बदलाव किया जाना चाहिए ताकि हिन्दी को उसकी समुचित प्रतिष्ठा प्राप्त हो सके। साथ ही यह भी चुनौती है कि बाज़ारवाद के दौर में भी हिन्दी के मानकीकृत, व्याकरण सम्मत स्वरूप को सुरक्षित और अक्षुण्ण रखा जाए।

निज भाषा उन्नति अहै, सब उन्नति को मूल
बिन निज भाषा-ज्ञान के, मिटत न हिय को सूल

भारतेन्दु हरिश्चन्द्र

कविता

पहचान

मुझ में हो कुछ हुनर, रहे मुझ में हर पल एक रवानी ।
जो छिपे नहीं... छप जाए जाए, ऐसी हो मेरी कहानी ॥
बैठना नहीं है, अंदाज़-ए-बयाँ कर बहुत कुछ बदलना है ।
ओस की बूंद सुनहरी सी, बरसात का हूँ पहला पानी ॥
तिनका-तिनका जोड़कर, हवाओं का रुख मोड़कर ।
जलेंगे पाँव धूप में कभी –कभी, पाने को मंज़िल सुहानी ॥
घड़ी की सुइयों सा घूमकर, थके बिना बस झूमकर ।
कुछ कर गुज़रने को, छोड़नी होगी आदत पुरानी ॥
खूबियां अपनी पहचान कर, दिल का कहना मानकर ।
वो पल आयेगा एकदिन, जब गूँज उठेगी मेरी वाणी ॥
सबकी नज़रों में रहें हम, अदब हो सबकी पुकार में ।
सिर्फ एक पल नहीं, पूरा इतिहास हो मेरी ज़िंदगानी ॥

शबनम बानो
सहायक प्रबंधक
क्षेत्रीय कार्यालय भोपाल

राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों की राजभाषा

बरुन चौधरी
प्रबन्धक
क्षेत्रीय कार्यालय रायपुर

अभिव्यक्ति की दृष्टि से हिन्दी विश्वभर की सभी भाषाओं में सबसे आगे रही है। हिन्दी की वैज्ञानिकता का लोहा विश्व ने माना है । वैज्ञानिक भाषा होने के कारण हिन्दी भाषा एक क्रमबद्ध भाषा है । यह जिस क्रम में बोली जाती है उसी क्रम में लिखी भी जाती है ।

इस बार हम अपने प्रिय पाठकों के समक्ष भारतीय संविधान में राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों की राजभाषाओं के लिए की गई व्यवस्था के सम्बन्ध में चर्चा करेंगे ।

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 से 351 में यह निर्धारित किया गया है कि देश में सरकारी कामकाज किन भाषाओं या किस भाषा में किया जाएगा । जहाँ अनुच्छेद 343 में हिन्दी को संघ की राजभाषा के रूप में तथा भारतीय अंकों के अंतरराष्ट्रीय रूप को अंगीकृत किया गया है वहीं अनुच्छेद 345 में राज्यों को यह अधिकार दिया गया है कि अपने राज्य में प्रयोग होने वाली भाषाओं में से किसी एक भाषा को या एक से अधिक भाषाओं को राजभाषा बना सकते हैं ।

इसी आधार पर राज्यों के विधान मंडल ने अपने-अपने राज्य के लिए राजभाषा(ओं) को अपनाया । बशर्ते वे भाषाएँ संविधान की 8वीं अनुसूची में दर्ज़ हो । अंग्रेजी के बाद कोक बोरोक और भूटिया ही ऐसे अपवाद है जो 8वीं अनुसूची में दर्ज़ भाषा नहीं है । कोक बोरोक को त्रिपुरा राज्य ने बांग्ला के साथ तथा भूटिया को सिक्किम ने नेपाली के साथ अपने राज्य की राजभाषा के रूप में अंगीकृत किया है।

संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल 22 भाषाएँ दर्ज़ है जिसमें से 15 भाषाओं को राज्यों की राजभाषा का दर्ज़ा मिला है । बाकी भाषाओं को किसी राज्य या संघ राज्य की राजभाषा या सहयोगी भाषा के रूप में स्थान नहीं मिला है । हालाँकि हमारे उत्तराखंड राज्य ने संस्कृत को सहयोगी भाषा के रूप में मान्यता दी है । इसके अलावा अंग्रेजी दो राज्यों एवं एक केन्द्र शासित राज्य की मुख्य भाषा अर्थात राजभाषा है ।

राज्यों का राजभाषा विश्लेषण करने पर यह पता चलता है कि संघ के राजभाषा नियम 1976 के आधार पर 'क' क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले राज्य जैसे उत्तर प्रदेश, उत्तराखण्ड, छत्तीसगढ़, झारखण्ड, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश एवं दोनों केन्द्र शासित राज्य क्रमश: अंडमान निकोबार द्वीप समूह और दिल्ली की आधिकारिक राजभाषा हिन्दी है तथा कई राज्यों ने हिन्दी के अलावा अन्य भाषाओं को भी पूर्ण या आंशिक रूप से राजभाषा के रूप में स्वीकार किया है । भारत के विभिन्न राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों की आधिकारिक भाषा अर्थात राजभाषा एवं सहायक भाषा के आधार पर राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों के वर्गीकरण को नीचे दी गई तालिका से समझा जा सकता है -

राज्य एवं संघ राज्य	आधिकारिक भाषा / राजभाषा	सहायक भाषा	सांविधिक उपबंध
'क' क्षेत्र			
उत्तर प्रदेश	हिन्दी	उर्दू	उत्तर प्रदेश राजभाषा अधिनियम 1951, संशोधित 1969 एवं 1989
मध्य प्रदेश	हिन्दी	कोई नहीं	मध्य प्रदेश राजभाषा अधिनियम 1957
उत्तराखंड	हिन्दी	संस्कृत	उत्तराखंड राजभाषा अधिनियम 2009
बिहार	हिन्दी	राज्य में बोली जाने वाली क्षेत्रीय भाषाओं को मान्यता दी गई	बिहार राजभाषा अधिनियम 1950, संशोधित 1981
हिमाचल प्रदेश	हिन्दी	किसी भी भाषा में आवेदन देने का अधिकार	हिमाचल प्रदेश राजभाषा अधिनियम 1975
हरियाणा	हिन्दी	पंजाबी	हरियाणा राजभाषा अधिनियम 1969, संशोधित 2004
झारखंड	हिन्दी	राज्य में बोली जाने वाली क्षेत्रीय भाषाओं को मान्यता दी गई	बिहार राजभाषा (झारखंड संशोधन) अधिनियम 2018, झारखंड अधिनियम, 20, 2018

राजस्थान	हिन्दी	कोई नहीं	राजस्थान राजभाषा अधिनियम 1956
अंडमान निकोबार	हिन्दी	कोई नहीं	संघ राज्य क्षेत्र शासन अधिनियम 1963
दिल्ली	हिन्दी	पंजाबी उर्दू	दिल्ली राजभाषा अधिनियम 2000
'ख' क्षेत्र			
महाराष्ट्र	मराठी	कोई नहीं	महाराष्ट्र राजभाषा अधिनियम 1965
पंजाब	पंजाबी	कोई नहीं	पंजाब राजभाषा अधिनियम 1967, संशोधित 2008
गुजरात	हिन्दी और गुजराती	कोई नहीं	गुजरात राजभाषा अधिनियम 1960
चंडीगढ़	अंग्रेजी	कोई नहीं	संघ राज्य क्षेत्र शासन अधिनियम 1963
दमन – दीव	सरकारी कामकाज द्विभाषिक रूप से अंग्रेजी व हिन्दी दोनों भाषाओं में किया जा रहा है ।		गोवा दमन और दीव राजभाषा अधिनियम 1987
दादरा नगर हवेली	हिन्दी	कोई नहीं	संघ शासित प्रदेश दादरा एवं नगर हवेली 2014
'ग' क्षेत्र			
अरुणाचल प्रदेश	अंग्रेजी	कोई नहीं	अप्राप्त
असम	असमिया	बांग्ला और बोडो	असम राजभाषा अधिनियम 1960
ओड़िशा	ओड़िया	कोई नहीं	उड़ीसा राजभाषा अधिनियम 1954
आन्ध्र प्रदेश	तेलुगु	उर्दू	आन्ध्र प्रदेश राजभाषा अधिनियम 1966, संशोधन 1989, 1996 एवं 2002
केरल	मलयालम	कन्नड़ भाषी एवं तमिल भाषी अपनी भाषा में आवेदन कर सकते हैं ।	केरल राजभाषा अधिनियम 1969
तमिलनाडु	तमिल	अंग्रेजी	तमिलनाडु राजभाषा अधिनियम 1956
कर्नाटक	कन्नड़	कोई नहीं	कर्नाटक राजभाषा अधिनियम 1963
गोवा	कोंकणी	मराठी	गोवा दमन और दीव राजभाषा अधिनियम 1987
त्रिपुरा	बांग्ला और कोक बोरोक	कोई नहीं	त्रिपुरा राजभाषा अधिनियम 1964
नागालैंड	अंग्रेजी	कोई नहीं	अप्राप्त
पश्चिम बंगाल	बांग्ला	दार्जिलिंग, कलिम्पोंग एवं कर्सियांग जिले में नेपाली	पश्चिम बंगाल राजभाषा अधिनियम 1961
मणिपुर	मणिपुरी	कोई नहीं	अप्राप्त
मिजोरम	मिजो और अंग्रेजी	कोई नहीं	अप्राप्त

मेघालय	अंग्रेजी	खासी और गारो	मेघालय राजभाषा अधिनियम 2005
सिक्किम	नेपाली और भूटिया	कोई नहीं	सिक्किम राजभाषा अधिनियम 1977
जम्मू कश्मीर	हिन्दी, उर्दू, कश्मीरी, डोगरी एवं अंग्रेजी	कोई नहीं	संघ राज्य क्षेत्र शासन अधिनियम के तहत
लद्दाख	हिन्दी, उर्दू, कश्मीरी, डोगरी एवं अंग्रेजी	कोई नहीं	संघ राज्य क्षेत्र शासन अधिनियम के तहत
तेलंगाना	तेलुगु	उर्दू	आन्ध्र प्रदेश अधिकारिक भाषा अधिनियम, 1966
पुदुचेरी	तमिल	माहे में मलयालम और यानम में तेलुगु	पुदुचेरी राजभाषा अधिनियम 1965
लक्षद्वीप	मलयालम		अप्राप्त

राजभाषा नियम 1976 के नियम 2 के अनुसार सम्पूर्ण भारतवर्ष को भाषाई आधार पर तीन भागों 'क' क्षेत्र, 'ख' क्षेत्र तथा 'ग' क्षेत्र में बाँटा गया है । जिससे कि राजभाषा हिंदी में कार्यान्वयन प्रेरणा, प्रोत्साहन एवं सद्भावना के साथ किया जा सके ।

उपर्युक्त तालिका को देखने से यह भी सामने आता है कि गुजरात एक मात्र ऐसा राज्य है जिसने हिंदीत्तर भाषी क्षेत्र होते हुए भी न केवल हिन्दी को अपने राज्य की प्रमुख भाषा का दर्ज़ा दिया है बल्कि अपने राज्य के राजभाषा अधिनियम में हिन्दी को गुजराती से पहले स्थान दिया है ।

अगस्त 2019 को जम्मू व कश्मीर को द्विभाजित कर जम्मू व कश्मीर एवं लद्दाख नामक दो केन्द्र शासित प्रदेशों के रूप में स्थापित किया गया । इससे पहले यहाँ कोई भी राजभाषा नहीं थी । नए रूप से केंद्रशासित प्रदेश गठन होने के पश्चात हिन्दी, अंग्रेजी, उर्दू, कश्मीरी और डोगरी भाषा को जम्मू व कश्मीर एवं लद्दाख क्षेत्र की राजभाषा के रूप अपनाया गया ।

तेलंगाना राज्य 2014 में आन्ध्र प्रदेश से अलग होकर बना । आन्ध्र प्रदेश राज्य से विभाजन होने से पहले वहाँ आन्ध्र प्रदेश अधिकारिक भाषा अधिनियम, 1966 लागू था । तेलंगाना राज्य ने विभाजन के बाद उसी आन्ध्र प्रदेश अधिकारिक भाषा अधिनियम को अपनाया और वहाँ की मुख्य भाषा तेलुगु के साथ उर्दू को सहायक भाषा का दर्ज़ा दिया ।

जब हम गोवा को देखते हैं तो यह जानकारी मिलती है कि गोवा को जब पूर्ण राज्य का दर्ज़ा नहीं मिला था तब वहाँ राजभाषा अधिनियम लागू हुआ था । उस दौर में गोवा दमन और दीव में राजभाषा अधिनियम पारित किए गए थे । अब गोवा को पूर्ण राज्य का दर्ज़ा मिल चुका है । प्राप्त आँकड़ो के अनुसार गोवा में अब भी पुराना राजभाषा अधिनियम चल रहा है ।

दादरा नगर हवेली, दमन - दीव, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार केन्द्र शासित प्रदेश हैं । इसलिये यहाँ अलग से राजभाषा अधिनियम नहीं है । यहाँ विधान मंडल न होने की वजह से ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई है । यहाँ केन्द्र शासित प्रदेश शासन अधिनियम 1963 के तहत राजभाषा की व्यवस्था की गई है ।

पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग, कलिम्पोंग तथा कर्सियाँग जिलों में नेपाली को राजभाषा के रूप में अपनाया गया है ।

पुदुचेरी (पांडिचेरी) राज्य का यानम जोकि आन्ध्र प्रदेश की सीमाओं से जुड़ा हुआ है एवं माहे जोकि केरल की सीमाओं से लगा हुआ है, की राजभाषा तमिल होने के बावजूद भी यानम में तेलुगु एवं माहे में मलयालम को राजभाषा का दर्ज़ा दिया गया है ।

झारखण्ड राज्य के बिहार से अलग होने की वजह से यहाँ बिहार राजभाषा अधिनियम लागू है । 2018 में उक्त अधिनियम में कुछ संशोधन किए गए जो कि अब बिहार राजभाषा अधिनियम (झारखण्ड संशोधन) 2018 के नाम से जाना जाता है । इसमें हिन्दी के साथ - साथ राज्य में बोले जानी वाली 11 प्रमुख भाषाओं को सहायक भाषा के रूप में अपनाया गया ।

केरल ने अपने राज्य में यह व्यवस्था की है कि कन्नड़ भाषी एवं तमिल भाषी अपनी-अपनी भाषा में आवेदन दे सकते हैं ।

भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में अंग्रेजी भाषा को नहीं रखा गया है । फिर भी अंग्रजी को दो राज्यों अरुणाचल प्रदेश एवं नागालैंड की प्रमुख भाषा तथा एक केन्द्रशासित प्रदेश चंडीगढ़ की प्रमुख भाषा के रूप में अपनाया गया है । मेघालय ने भी अंग्रेजी को प्रमुख भाषा के रूप में रखा है, साथ ही गारो और खासी को सहायक भाषा के रूप में अपनाया है । वहीं केरल ने अपनी प्रमुख भाषा मलयालम के साथ अंग्रेजी को तथा मिजोरम ने प्रमुख भाषा मिजो के साथ अंग्रेजी को स्थान दिया है ।

सभी राज्यों एवं केन्द्रशासित प्रदेशों के राजभाषा अधिनियम में यह स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि सरकारी कामकाज में अंग्रेजी का प्रयोग अधिनियम पारित होने के पूर्व की तरह जारी रहेगा ।

उपर्युक्त विवेचना से यह स्पष्ट हो जाता है कि भारत विविधताओं का देश है और इसकी विविधताओं का सौन्दर्य इसकी एकता को बनाए हुए है । इसमें सभी भाषाओं का सम्मान निहित है । हमारा देश भाषाई आधार पर भले ही अलग दिखता है पर इसके बावजूद यहाँ के लोग आपस में प्रेम, सौहार्द्र एवं एक दूसरे के साथ सम्मान के साथ रहते हैं । इसलिए हमारा देश सम्पूर्ण विश्व में अनोखा और अनूठा दिखाई देता है । प्यार और समरसता के साथ रहना जीवन के वास्तविक सार को उपलब्ध कराता है ।

इतिहास को भ्रष्ट करने वाले दौर में एक बौद्धिक सत्याग्रह

शुभम दीक्षित
सहायक प्रबन्धक
केंद्रीय कार्यालय

वैसे से तो आने वाला 2 अक्तूबर दो मायनों में खास है, पहला तो ये महात्मा गांधी का जन्म दिवस होता है और दूसरा ये भारत के दूसरे प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री का भी जन्मदिन होता है । दोनों के ही बारे में कई मताभिमत प्रचालित हैं । दोनों ने ही अपना जीवन देश हित में होम कर दिया तथा दोनों की ही मृत्यु के संबंध में कई कयास तथा अटकलें लगाई जाती रहीं हैं । अगर बात लाल बहादुर शास्त्री जी की की जाए और सरकारी तथ्यों तथा बयानों को माना जाए तो उनकी मृत्यु अविभाजित रूस के ताशकंद में हृदयाघात से उस वक़्त हो गई थी जब वे युद्ध विराम सन्धि पर हस्ताक्षर कर वापस होटल में आराम करने के लिए पहुंचे थे । हालांकि शास्त्री जी मृत्यु के बताए गए कारणों से उनके पारिवारिक सदस्य सहमत नहीं थे और वहाँ से विवादों की शृंखला चल निकलती है जो कई तरह की अटकलों को जन्म देती है, जिसके बारे में हम फिर कभी, किसी अन्य अंक में चर्चा करेंगे ।

दूसरी तरफ महात्मा गांधी की नाथूराम गोडसे के द्वारा उस वक़्त हत्या कर दी जाती है जब वे नियमित दिनचर्या के अनुसार बिड़ला हाउस से प्रार्थना के लिए प्रार्थना सभा की ओर जा रहे थे । नाथूराम गोडसे को मौका-ए-वारदात से तथा उसके अन्य साथियों को निशानदेही के आधार पर आने वाले दिनों में गिरफ्तार कर लिया गया । बात बस इतनी सी होती तो बात वहीं ख़त्म हो जाती, मगर कोर्ट की कार्रवाई के दौरान 8 नवंबर सन 1948 को जब अपना पक्ष अदालत के सामने रखने को कहा गया तो नाथूराम ने अपना बानवे पेजी हस्तलिखित बयान पढ़ कर एक नए किस्म के दुर्बौद्धिकवाद को जन्म दे दिया, जहाँ आजीवन अहिंसा के पुजारी रहे एक निहत्थे व्यक्ति की निर्मम हत्या को जायज़ ठहराया जाने लगा । हमारे स्तम्भ में चर्चा के लिए आज हमने जिस किताब का चयन किया है वो पिछले अंक में इसी स्तंभ की भूमिका में उपजे सवालों का जवाब है । हम बात कर रहे हैं अशोक कुमार पांडेय कृत "उसने गांधी को क्यूँ मारा – साजिश और स्त्रोतों की पड़ताल" की, जिसमें वो विश्वसनीय पत्रों, पत्रिकाओं, पुस्तकों, कोर्ट की कार्रवाइयों तथा रिपोर्टों के आधार पर तारीख-दर-तारीख तथ्यों की पड़ताल करते हुए एक नए किस्म के बौद्धिक सत्याग्रह का सूत्रपात करते हैं । लेखक ने किताब की विषय-वस्तु को तीन खंडों,'वे कौन थे','गांधी जी की हत्या: एक क्रोनोलॉजी' और 'तुमने अदालत में झूँठ बोला गोडसे' में बांटा है, जहाँ अशोक पाण्डेय तीनों खंडों के कुल 13 अध्यायों में एक-एक कर महात्मा गांधी के कहे-अनकहे किस्सों तथा उन की हत्या के विविध आयामों की तफ़सील से तफ़्तीश करते हैं । दरअसल इस किताब को इस अंक के लिए चुनने का एक कारण 2 अक्तूबर को ट्विटर पर ट्रेंड किए टॉप ट्रेंड भी थे जिनका स्क्रीनशॉट यहाँ आप सभी के लिए साझा कर रहा हूँ । वैसे तो राष्ट्रपिता के हत्यारे का ऐसा महिमामंडन राष्ट्रद्रोह में शामिल होना चाहिए था मगर... अभी के लिए हम वापस आते हैं अपने स्तम्भ की ओर ।

'लाल किले के गुनहगार' शीर्षक से किताब के पहले खंड के पहले अध्याय में लेखक पाठकों का परिचय उन सभी अपराधियों से करवाते हैं जो प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से गांधी जी की हत्या में शामिल थे अथवा जिनका नाम लाल किले में चले मुकदमें में शामिल था । जैसा कि सर्वविदित है कि इस मुकदमें में नाथूराम गोडसे तथा नारायण दत्तात्रेय आप्टे को सज़ा-ए-मौत, विष्णु आर करकरे, मदन लाल पाहवा, गोपाल गोडसे (नाथूराम गोडसे का छोटा भाई), शंकर किस्तैया तथा दत्तात्रेय परचुरे को आजीवन कारावास की सजा हुई; इन्हीं के साथ सरकारी गवाह बनने के कारण दिगंबर भडगे किसी भी प्रकार की सज़ा से बच गया तथा विनायक दामोदर सावरकर को पर्याप्त सबूतों के अभाव में अदालत को बरी करना पड़ा । यहाँ यह लेखनीबद्ध करना आवश्यक लग रहा है कि वर्ष 2019 में हुए महाराष्ट्र विधान सभा के चुनावी एजेंडे में प्रमुख राष्ट्रीय पार्टी द्वारा विनायक दामोदर सावरकर को भारत रत्न दिलवाने की घोषणा करना अपने आप में चौकाने वाला था, तथा इस पर जम कर विवाद भी हुआ । दरअसल इस घोषणा के विवादों की जड़ें उस आयोग की रिपोर्ट से जुड़ीं थीं जिसे 1964 में इंदिरा गांधी जी के शासन के दौरान महात्मा गांधी की हत्या की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत जज जीवन लाल कपूर के नेतृत्व में गठित किया गया था । सन 1969 में आई कपूर आयोग की रिपोर्ट, जोकि आज भी सार्वजनिक डोमेन में मौजूद है, के मुताबिक महात्मा गांधी की हत्या के मुख्य आरोपी नाथूराम गोडसे तथा नारायण आप्टे हर आम और खास मौके पर विनायक दामोदर सावरकर के साथ रहते थे । 770 पेजों की ये विस्तृत रिपोर्ट अन्य कई तथ्यों का बारीकी से मूल्यांकन करते हुए महात्मा गांधी की हत्या में सावरकर की भूमिका पर गंभीर सवाल उठाती है । ये परिस्थितियों की विडम्बना ही कहा जा सकता है कि रिपोर्ट के आने से कुछ वक़्त पहले ही सावरकर की मृत्यु हो गई और नतीजन इस मामले को कानूनी तौर पर आगे नहीं बढ़ाया जा सका । अस्तु, इसे देश का दुर्भाग्य कहा जाएगा कि जिस लाल किले में असफ़ल जन विद्रोह के बाद बहादुर शाह ज़फर पर मुक़दमा चला, जिस लाल किले में आज़ाद हिन्द फ़ौज के वीर जवानों के ऊपर मुक़दमा चला, उसी लाल किले को गांधी जी हत्या के अपराधियों तथा अभियुक्तों की वो सारी झूठी-निरर्थक दलीलें भी सुननी पड़ीं जिनका वास्तविकता से दूर-दूर तक कोई सरोकार नहीं था ।

किताब का दूसरे खंड के पहले अध्याय "पेशवाओं की राजधानी पूना, चितपावन ब्राह्मण और हिंदुराष्ट्र का स्वप्न" गांधी जी हत्या के आरोपियों की मूल मानसिकता की जड़ें खँगालने का काम करता है कि किस तरह कुछ तुच्छ मानसिकता वाले लोगों की हिन्दू राष्ट्र की क्षुद्र आकांक्षा ने एक सर्वधर्मसमभाव वाले समतामूलक समाज के स्वप्नद्दष्टा को सदैव के लिए मृत्यु की नींद सुला दिया । ये अध्याय कई मामलों पर इतिहास में इतना पीछे तक चला जाता है कि उसमें परशुराम के द्वारा ब्राह्मणों के चितपावनीकरण से लेकर 1818 में अंग्रेजों के द्वारा पूना में यूनियन जैक के फहराए जाने तक के

सार को समेटे हुए है । ये अध्याय इस बिन्दु पर प्रकाश डालता है कि किस प्रकार हिंदूराष्ट्र की स्थापना की भावना के अतिवाद के चलते कुछ-एक लोगों का समूह गांधी जी विरोधी होता चला गया । यहाँ यह बात ध्यान देने वाली है कि हिन्दूराष्ट्र की भावना को बढ़ावा केवल कुछ एक कुलीन वर्गीय लोगों के द्वारा ही दिया गया तथा जैसे जैसे गांधी जी अस्पृश्यता तथा निचले तबके के करीब होते चले गए वैसे-वैसे ही उनकी इन कट्टरपंथियों से वैचारिक दूरी बढ़ती चली गई । स्वतंत्रता की लड़ाई में उस समय तक कुलीन वर्ग ने बढ़चढ़ कर भाग लिया किन्तु इस वर्ग का एक हिस्सा इस बात के लिए भी निरंतर चिंतित था कि कहीं समतामूलक समाज की स्थापना समाज में उनके प्रभुत्व को समाप्त न कर दे । अगर अन्य कुछ विचारकों की राय माने तो कहीं-न-कहीं स्वतंत्रता की लड़ाई में उच्च व कुलीन वर्ग के अति सक्रियता से भाग लेने का एक कारण ब्रिटिश सरकार के द्वारा उनको जन्मगत आधार पर प्राप्त विशेषाधिकारों को समाप्त किया जाना भी था (देखें, 1817में आया समान नागरिक सहिंता कानून, 1819 में आए अधिनियम 7 जिसके तहत शुद्धिकरण प्रक्रिया को रोका गया आदि) । इस विचारधारा को उस समय के बड़े नेता तथा प्रमुख स्वतंत्रता संग्राम सेनानी तिलक जी भी मानते थे । एक ओर जहाँ राजनीति में रेडिकल तथा उग्र विचार वाले माने जाते थे वहीं सामाजिक मुद्दों पर वे रूढ़िवादी थे । अपने अंतिम दिनों में भले ही उन्होंने कहा हो कि, "पेशवा के काल में भी अस्पृश्यों का भरा हुआ पानी ब्राह्मणों ने पिया । अस्पृश्यता ईश्वर को मान्य होगी तो मैं उसे ईश्वर नहीं कहूँगा", किन्तु इस तथ्य को झुठलाया नहीं जा सकता जा सकता कि पंडिता रमाबाई ने जब विधवा स्त्रियों की शिक्षा के लिए शारदा सदन खोला तो तिलक के अखबार 'केसरी' ने बकायदा उसके खिलाफ़ अभियान चलाया । इस तथ्य को किताब में दिए गए प्रो. नलिनी पंडित की किताब के अंश से कुछ इस तरह समझा जा सकता है :

तात्कालिक राजनैतिक प्रश्नों को अधिक महत्व देकर कट्टर राष्ट्रवादी पक्ष ने भी उच्च-मध्यम वर्ग का ही समर्थन किया और बहुजन की भावनाओं तथा हितों की उपेक्षा की । 'सत्य-शोधक समाज' की समानता की मांग का विरोध कर बहुजन समाज को दु:ख पहुंचाया । अस्पृश्यता समाप्त करने के पत्र पर हस्ताक्षर न करके दलित नेताओं की नाराज़गी तिलक जी ने मोल ली । साहूकारों का पक्ष लेकर किसानों की सहानुभूति वे गवां बैठे । इसलिए तिलक जी का कठोर व्यक्तित्व, उत्कट देशभक्ति, निर्भयता और निस्पृह प्रवृत्ति तथा अतुलनीय स्वार्थ-त्याग के कारण सभी उनका असीम आदर करते हैं, उनके प्रति गौरव भाव है । फिर भी, महाराष्ट्र के ब्राह्मणेत्तर बहुजन समाज के लोग उनके आंदोलन में उत्साह से शामिल नहीं हुए ।

किताब के दूसरे खंड का दूसरा अध्याय जिसका शीर्षक "अहिंसा और हमलों के बीच निर्भय जीवन" है, एक सशक्त आमुख के साथ गांधी जी के ऊपर हुए विभिन्न हमलों, हमलावरों तथा उन हमलों पर गांधी जी की प्रतिक्रिया को खूबसूरती के साथ अंकित करता है । दरअसल बिड़ला हाउस में 30 जनवरी 1948 को हुआ हमला गांधी जी पर हुआ पहला हमला नहीं था । किताब बताती है कि किस प्रकार इस से पहले भी गांधी जी पर दक्षिण अफ्रीका में तीन बड़े हमलों समेत भारत की ज़मीन पर भी कई हमले हुए और किस प्रकार लगभग हर बार अंत में हमलावरों को गांधी जी ने वार्ता के लिए आमंत्रित किया व हमलावर अश्रुपूरित नेत्रों के साथ शर्मिंदगी ओढ़े हुए माफी मांग कर विदा हुए । ये अध्याय इन सभी घटनाक्रमों को रोचकतापूर्ण किस्सागोई के माध्यम से विस्तार से बताने के साथ ही गांधी जी के अस्पृश्यता तथा जाति व्यवस्था संबंधी विचारों की नीव की पड़ताल भी करता है । किताब इसी तरह के कई अनूठे किस्सों तथा वक्तव्यों का संकलन है । इसकी क्रम में किताब 05 जुलाई 1942 को 'हरिजन' में प्रकाशित गांधी जी के लेख के एक अंश को संकलित करती है जो कुछ इस तरह है:

अहिंसा किसी ऐसे आदमी को नहीं सिखाई जा सकती जो मरने से डरता हो और जिसमें प्रतिशोध की क्षमता नहीं हो । एक बेचारा चूहा इस लिए अहिंसक नहीं है कि वह हमेशा बिल्ली का शिकार बन जाता है । अगर उसमें ताकत हो तो वह अपने हत्यारे को खा जाएगा... हम उसे कायर नहीं कहते क्योंकि प्रकृति ने उसे ऐसा ही बनाया है । लेकिन अगर एक आदमी ख़तरे का सामना होने पर चूहे की तरह भाग जाए तो हम उसे निश्चित रूप से कायर कहेंगे ।

किताब के दूसरे खंड का तीसरा अध्याय, जिसे लेखक ने 'आखरी दिन : दिल्ली, नोआखली, दिल्ली' का शीर्षक दिया है, गांधी जी के जीवन के आख़री दिनों की अनुभूतियों तथा उनसे उपजे अंतर्द्वंद की स्थिति को दर्शाता है कि किस प्रकार अहिंसा का पुजारी जो सुबह-ए-आज़ादी का बेसब्री से इंतज़ार कर रहा था, चारो तरफ भड़की हिंसा तथा अराजकता को देख कर अंदर ही अंदर से टूट गया था । गांधी जी तो शुरुआत से ही भारत के विभाजन के पक्ष में नहीं थे मगर जिन्ना के अड़ियल रवैये के चलते भारत का विभाजन होना तय सा प्रतीत हो रहा था । लेकिन 16 अगस्त 1946 के दिन जिन्ना की डायरेक्ट एक्शन की अपील ने समूचे देश को हिंसा की आग में तो दूसरी ओर गांधी जी को असीम निराशा के गर्त में धकेल दिया । गांधी जी की तत्सामयिक मनःस्थिति का अनुमान लगाना मुश्किल है कि आज़ादी से पहले तथा उसके बाद जिस स्तर पर सरहद के दोनो ओर सांप्रदायिक हिंसा भड़क उठी थी वह मासूम लोगों की नहीं बल्कि उस व्यक्ति के सपनों के भारत की हत्या थी जिसके लिए उसने अपना पूरा जीवन होम कर दिया । दरअसल इस अध्याय की शुरुआत गांधी जी के उस वक्तव्य से होती है जो उन्होंने अपने जीवनी लेखक लुई फिशर से कहीं थीं कि, "मैं भारत को मुतमइन नहीं कर सका । हमारे चारो तरफ हिंसा है । मैं एक दग चुकी गोली हूँ ।" ये पंक्ति महज शब्दों की कारीगरी नहीं है, ये एक सत्तर वर्षीय वृद्ध की निराशा का चरम बिन्दु है जहाँ से उसे जीवन भर लोगों को दी गई सीख निष्प्रयोज्य होती नज़र आ रही थी । मगर उस सब के बावजूद भी गांधी जी ने अपनी आख़री सांस तक हार नहीं मानी और अराजक शक्तियों से टकराते रहे । चाहें नोआखली हो या दिल्ली, गांधी जी ने सभी डॉक्टरी सलाहों को दर-किनार कर अपनी बची-खुची सारी शक्ति इन दंगों को रोकने में झोंक दी । किताब का ये अध्याय गांधी जी के अंतिम दिनों की हताशा तथा देश के हालात व सभी बड़ी राजनैतिक गतिविधियों को संजीदगी से पाठकों के सामने परोसती है ।

जैसा कि अपने शीर्षक से ज़ाहिर है कि खंड दो का चौथा अध्याय, जिसे लेखक ने 'और अंत में हत्या' का शीर्षक दिया है, में लेखक ने हत्यारों की साजिश से लेकर विभिन्न अदालती बयानों तथा जाँचों की रिपोर्ट के आधार पर हत्यारों की अंतिम तैयारी व उनकी दिनचर्या का इतना सजीव ख़ाका खीचा है कि कभी-कभी तो किताब पढ़ते हुए पाठक होने वाली घटनाओं को विज्वुलाइज़ कर पाते हैं । अब चाहें हत्यारों के ऊपर अपने गुरु के आदेश के पालन का दबाव हो, या निवेशकों के पैसों के डूबने का डर, या फिर कि कई बार रणनीति बदलने के बावजूद भी हत्या के प्रयासों में हाथ आई असफलता की आत्मग्लानि; ये अध्याय न केवल गांधी जी के हत्यारों बल्कि हत्या से ठीक पहले गांधी जी के जीवन में हो रही सभी घटनाओं का काफी बारीकी से चित्रण करता है कि किस प्रकार अपने अंतिम समय में गांधी जी किन-किन व्यक्तियों से मिले, क्या-क्या बातें कीं तथा किन लोगों के साथ

पलाचार किया । यहाँ इस बात पर गौर किया जाना चाहिए कि गांधी जी को तमाम हमलों के बाद भी कभी मृत्यु का भय नहीं लगा, संभवतः यही कारण था कि 20 जनवरी को बम हमले के बावजूद भी गांधी जी ने सुरक्षाकर्मियों को आने वाले आगंतुकों की तलाशी की अनुमति नहीं दी । किताब इसी संदर्भ में 21 जनवरी को गांधी जी के द्वारा लिखे एक पत्र के अंश को प्रस्तुत करती है जो कुछ इस तरह था, 'अगर मैं (सुरक्षा के लिए) न कहूँगा तो इसकी ज़िम्मेदारी से लदे सरदार और जवाहर मेरी सुरक्षा को लेकर चिंतित रहेंगे... जहाँ तक मेरा सवाल है, मैं तो खुद को राम की शरण में मानता हूँ । वह जिस दिन उठाना चाहेंगे एक लाख लोग मिल कर भी मुझे नहीं बचा सकेंगे ।' हालांकि हत्यारों ने जिस मंशा के साथ गांधी जी की हत्या की थी, गांधी जी की मृत्यु ने उसका उल्टा प्रभाव ही डाला, या इसे द डगलस की 'महात्मा गांधी : द नॉनवायलेंट पावर इन एक्शन' के शब्दों में कुछ इस तरह से कहा जा सकता है:

गांधी जी की हत्या ने किसी और घटना की तुलना में विभाजन के चलते फैली हिंसा को रोकने में बड़ी भूमिका निभाई । इसने यह वैसे ही किया जैसे उनके उपवास करते थे, लोगों को उनके भय, क्रोध और शत्रुता के बीच रुककर सोचने का मौका देकर, खुद से ये सवाल पूछने का मौका देकर कि क्या यह उचित है ? मिली-जुली भावनाओं ने काम किया शायद; दयापूर्ण और तार्किक तथा साथ में दुःख से आहत और अपराधबोध से भरी हुई । लेकिन किसी तरह हत्याओं को रोकने का एक निश्चय सामने आया... उनके जीवन को उनकी मृत्यु के इस प्रभाव से बड़ी श्रद्धांजलि कोई नहीं थी ।

एक ओर जहाँ किताब के दूसरे खंड के अंतिम दो अध्यायों में पहला अध्याय कोर्ट की कारवाई, दी गई गवाहियों तथा उपलब्ध करवाए गए साक्ष्यों के आधार पर दी गई अंतिम सज़ा का विस्तृत ब्योरा उपलब्ध करवाता है वहीं दूसरा अध्याय कपूर आयोग की रिपोर्ट का महीन तथा ज़हीन विश्लेषण करते हुए आयोग की रिपोर्ट के प्रमुख बिन्दुओं को बेबाकी के साथ संकलित करते हुए एक निर्णायक निष्कर्ष का मार्ग प्रशस्त करता है । यहाँ पर किताब में दीनदयाल उपाध्याय की हत्या की जांच के लिए गठित आयोग के अध्यक्ष जस्टिस चंद्रचूड़ के द्वारा आपराधिक मुक़दमे और जांच आयोग के अंतर को स्पष्ट करते हुए दी गई परिभाषा को जोड़ा जाना कपूर आयोग की रिपोर्ट पर एक तरह से सत्यापन की मोहर लगाने का ही काम करता है । जस्टिस चंद्रचूड़ लिखते हैं कि, 'एक जांच का दायरा सेशन मुक़दमें से बड़ा होता है । मुझे यह निश्चित रूप से तय करना पड़ेगा कि हत्या क्यूँ हुई – एक सवाल जिसकी जटिलता, सेशन न्यायालय के समक्ष उपस्थित सवाल कि उसके सामने उपस्थित आरोपी का अपराधी है या नहीं है, की तुलना में अधिक होता है... सेशन न्यायालय के लिए आगे किसी जांच की आवश्यकता नहीं होती । इसीलिए विद्वान न्यायाधीश कहते हैं कि एक आपराधिक मुक़दमा घटना
होने के बारे में एक पूछताछ या जांच नहीं है । मेरी जांच वह है जो आपराधिक मुक़दमे की नहीं हो सकती – मैं वास्तविक सत्य के बारे में जांच कर सकता हूँ ।'

किताब का तीसरा खंड जिसकी विषयवस्तु 6 अध्यायों में विस्तारित है, के केन्द्र बिन्दु गोडसे का बानवे पेजी बयान को रखा गया है । दरअसल उन सभी बयानों तथा दावों की पोल पट्टी खोलती है जिन्हें नाथूराम गोडसे ने अपने बानवे पेजी हस्तलिखित बयान में जगह दी थी । इसी बयान को नाथूराम गोडसे के छोटे भाई गोपाल गोडसे ने मराठी में 'गांधी जी हत्या आणि मी' के नाम से प्रकाशित करवाया, शुरुआती दौर में लगे कुछ एक प्रतिबंधों के हट जाने के बाद से ही इस बयान को विभिन्न भाषाओं में अलग-अलग नामों के संपादकीय परिवर्तनों सहित आज भी निर्बाध रूप से कई प्रतियाँ प्रकाशित की जा रही हैं । किताब के इस खंड के आमुख में कोशिश की गई है कि इस तरह के प्रकाशनों में की गई कुछ बचकानी गलतियों को भी जगह दी जाए । इसके बाद किताब अपने 6 अध्यायों में झूठ का परत-दर-परत कटाक्ष करते हुए नाथूराम गोडसे के झूठों का पर्दाफाश करती चली है । किताब के तीसरे खंड को पढ़ते हुए अनुभव होता है कि किताब के शुरुआती दो खंडों की विषयवस्तु को तीसरे खंड में प्रामाणिक रूप से झूठ के बादलों को छांटने के लिए पाठकों के सम्मुख प्रस्तुत किया गया था । यहाँ ये बात नोट की जानी चाहिए कि जिस किताब के लिए जुटाए गए तथ्यों की संदर्भ सूची को ही 29 पेज दिए गए हों वहाँ किताब पर सवाल उठाने का सवाल कम ही उठता है ।

लेकिन अगर किताब को समग्र रूप से देखा जाए तो ये किताब न केवल गांधी जी के हत्यारों की बारे में अहम तथ्यों को उजागर करती है बल्कि एक महात्मा की हत्या के पीछे हत्यारों की सालों की मैंटल कंडीशनिग तथा उसका उनके व्यक्तित्व पर गहनता से अध्ययन करते हुए इस मत का बीजारोपण भी करती है कि किस तरह सिर्फ़ विषाक्त विचारों का भोजन किसी भी व्यक्ति को इस हद तक अंधा बना सकता है कि उसके लिए सफ़ेद अथवा स्याह में अंतर करने तक की दृष्टिज्योति नहीं बचती । किताब के बारे में पूछे जाने पर अशोक कुमार पांडेय बताते हैं कि किस तरह आज के दौर में किए जा रहे दुष्प्रचारों तथा ऐतिहासिक दस्तावेजों के साथ हो रही छेड़छाड़ ने इस किताब को लिखने की प्रेरणा दी । अस्तु, पाठक इतिहास को किताब की भूमिका यानि किताब के आमुख, जिसे अशोक कुमार पांडेय जी ने "वे कौन थे" का नाम दिया है के बारे में उन्होंने जो लिखा है, आप सभी के सामने प्रस्तुत करना चाहूँगा, जो कुछ इस तरह है:

"न तो वे आज़ादी की लड़ाई के उस दौर में सक्रिय उन नायकों में शामिल थे जिन्होंने सब कुछ दांव पर लगा कर मातृभूमि की आज़ादी की लड़ाई लड़ी, न ही वे उन बुद्धिजीवियों में शामिल थे जिन्होंने अपने भारतीय समाज में व्याप्त समस्याओं को केंद्र में रखकर भविष्य की राह दिखाने वाले बौद्धिक काम किए ।...परिचय सिर्फ इतना है उनका कि उन्होंने मोहनदास करमचंद गांधी की हत्या की, जो उस उम्र में भी नोआखली के श्रीरामपुर गाँव में एक साधारण से आरक्षित घर में दो महीने डेरा डाल कर बांस की खपच्चियों से बने पुलों को पार कर सैकड़ों गाँव में विस्थापित हिंदुओं के पुनर्वास के लिए काम करने के बाद दिल्ली में हिंसा के शिकार मुसलमानों की रक्षा की कोशिश कर रहे थे और सरकार से पाकिस्तान जा कर वहाँ के अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचारों को रोकने की कोशिश करने की अनुमति मांग रहे थे । वह व्यक्ति जो हमले तथा धमकियों से बेपरवाह बस्तियों में जा रहा था और एक हमले के बावजूद हर दबाव को दर किनार कर प्रार्थना सभा की पवित्रता की रक्षा हेतु आगंतुकों की जांच हेतु सहमत नहीं हुआ... उस निहत्थे आदमी की हत्या करके अमर हो गए । अगर पिछले अवसरों की तरह इस बार भी गांधी जी हत्या का उनका प्रयास असफ़ल हुआ होता तो इतिहास में उनका नाम भी नहीं होता और गांधी जी उन्हें फिर बातचीत का आमंत्रण देते ।"

पुस्तक का नाम : उसने गांधी को क्यों मारा
लेखक का नाम : अशोक कुमार पांडेय
प्रकाशन : सार्थक (राजकमल प्रकाशन)
मूल्य : 299 रुपए

उत्तराखंड-एक परिचय

राजीव सिंह चौधरी
लिपिक
क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून

हिमालय की गोद में बसा हुआ भारत के 27वें राज्य उत्तरा खंड का गठन 9, नवम्बर 2000 को उत्तर प्रदेश राज्य के अधिकांश पर्वतीय क्षेत्र को पृथक कर के किया गया था । राज्य के लगभग 86 प्रतिशत भाग पर पहाड़ तथा 65 प्रतिशत भाग पर जंगल पाये जाते हैं । पूर्व में इसका नाम उत्तरांचल था, बाद में स्थानीय लोगों की आस्था को ध्यान रखते हुए सन 2007 में इसका नाम बदलकर उत्तराखंड कर दिया गया । उत्तराखंड शब्द संस्कृत के दो शब्दों के मेल से बना है, जिनमें पहला है उत्तर जिसका अर्थ है उत्तर दिशा और दूसरा शब्द है खंड जिसका अर्थ है भूमि । इसका पूरा अर्थ हुआ उत्तर की भूमि या उत्तर दिशा की तरफ बसी भूमि । क्योंकि यहाँ हिन्दू देवी-देवताओं के बहुत से मंदिर हैं जिनका उल्लेख प्राचीन संस्कृत ग्रन्थों में भी मिलता है अतः उत्तराखंड को धरती को स्वर्ग एवं देवभूमि के नाम से भी जाना जाता है । अगर पौराणिक ग्रंथों की बात करें तो कुमाऊँ मण्डल को मानसखंड और गढ़वाल मण्डल को केदारखंड के नाम से दर्शाया गया है ।

लोक कला की दृष्टि से उत्तराखण्ड बहुत समृद्ध है । यहाँ के घरों की सजावट में ही लोक कला सबसे पहले देखने को मिलती है । दशहरा, दीपावली, नामकरण, जनेऊ आदि शुभ अवसरों पर महिलाएँ घर में ऐंपण (अल्पना) बनाती हैं । इसके लिए घर, आँगन या सीढ़ियों को गेरू से लीपा जाता है । चावल को भिगोकर उसे पीस कर उसके लेप से आकर्षक चित्र बनाए जाते हैं । विभिन्न अवसरों पर नामकरण चौकी, सूर्य चौकी, स्नान चौकी आदि परम्परागत रूप से गाँव की महिलाओं द्वारा बनाई जाती हैं । हरेले आदि पर्वों पर मिट्टी के डिकारे बनाए जाते हैं । ये डिकारे भगवान के प्रतीक माने जाते हैं और इनकी पूजा की जाती है । दरवाजों की चौखट पर देवी-देवताओं, हाथी, शेर, मोर आदि के चित्र नक्काशी करके बनाए जाते हैं । यद्यपि वैश्वीकरण के दौर में आधुनिकता ने पुरानी कला को अलविदा कहना प्रारम्भ कर दिया फिर भी अल्मोड़ा सहित कई स्थानों में आज भी काष्ठ शिल्प देखने को मिलता है ।

उत्तराखंड के प्रमुख धार्मिक एवं पर्यटन स्थल

छोटा चार धाम यानि बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री एवं यमुनोत्री

भारत की सबसे बड़ी एवं हिन्दू धर्म की पवित्र नदियों तथा गंगा और यमुना के उद्गम स्थल भी उत्तराखंड में ही है- गंगा नदी का उद्गम उत्तरकाशी जिले में गंगोत्री के गौमुख पर्वत से होता है तथा यमुना नदी का उद्गम भी उत्तरकाशी जिले के यमुनोत्री से होता है । रुद्रप्रयाग में स्थित केदारनाथ मंदिर जो कि भगवान शिव को समर्पित है तथा चमोली जिले में स्थित बद्रीनाथ मंदिर जो भगवान विष्णु को समर्पित है, अति दर्शनीय हैं । इन चारो मंदिरों गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ एवं बद्रीनाथ को मिलाकार छोटा चार धाम कहा जाता है ।

अन्य पर्यटन स्थल

इसके अलावा हरिद्वार स्थित हरकी पौड़ी तथा इसी शहर के निकट ऋषिकेश गंगा के किनारे पर बसे हुए प्रमुख धार्मिक स्थल हैं जहाँ वर्ष भर बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शनार्थ आते हैं । ऐसी मान्यता है कि गंगा नदी के पवित्र घाट, हरकी पौड़ी पर स्नान करने से पाप धुल जाते हैं । इन दोनों के बीच हरिद्वार का धार्मिक दृष्टि से अपना अलग ही स्थान है जिसका प्रमुख कारण यहाँ आयोजित किया जाने वाला कुंभ मेला है । एक कथा के अनुसार समुद्र मंथन के समय जब देवता और राक्षस मंथन से निकले अमृत कलश के लिए एक दूसरे से लड़ रहे थे तब भगवान विष्णु अमृत का पात्र लेकर उड़ गए । रास्ते में कलश से अमृत की बूंदे हरिद्वार, नासिक, उज्जैन और प्रयाग में गिरीं । इन्हीं स्थानों पर कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है । कुंभ मेला दुनिया भर में किसी भी धार्मिक प्रयोजन हेतु भक्तों का सबसे बड़ा आकर्षण का केंद्र है ।

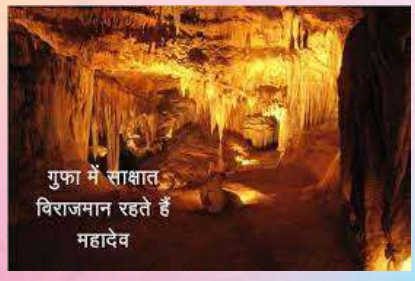

उत्तराखंड में अल्मोड़ा के पास स्थित जागेश्वर धाम भगवान सदाशिव के 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है । कहा जाता है कि यह प्रथम मंदिर है जहां लिंग के रूप में शिवपूजन की परंपरा आरंभ हुई । जागेश्वर को उत्तराखंड का पांचवां धाम भी कहा जाता है और इसे भगवान शिव की तपस्थली माना जाता है । जागेश्वर धाम में सारे मंदिर समूह केदारनाथ शैली से निर्मित हैं । जागेश्वर अपनी वास्तुकला के लिए काफी विख्यात है । जागेश्वर मंदिर में हिन्दुओं के सभी बड़े देवी-देवताओं के मंदिर हैं । यहाँ दो मंदिर विशेष हैं, पहला "शिव" और दूसरा शिव के "महामृत्युंजय रूप" का । पौराणिक कथाओं की माने तो इस मंदिर को पांडवों ने बनवाया था । लेकिन इतिहासकार मानते हैं कि इन्हें 8 वी और 10 वी शताब्दी में कत्यूरी और चंद शासकों ने बनवाया था । इन्हीं के साथ प्रमुख धार्मिक स्थल पाताल भुवनेश्वर भी जुड़ा हुआ है जो कुमाऊं मंडल के प्रसिद्ध नगर अल्मोड़ा से शेराघाट होते हुए 160 किलोमीटर की दूरी तय कर पहाड़ी वादियों के बीच बसे सीमान्त कस्बे गंगोलीहाट में स्थित है । पाताल भुवनेश्वर देवदार के घने जंगलों के बीच अनेक भूमिगत गुफ़ाओं की शृंखला है । इनमें से एक बड़ी गुफ़ा के अंदर शंकर जी का मंदिर स्थित है । इस संपूर्ण परिसर को वर्ष 2007 से भारतीय पुरातत्व विभाग द्वारा अपने कब्जे में लिया गया है । पाताल भुवनेश्वर गुफ़ा

किसी आश्चर्य से कम नहीं है । यह गुफा प्रवेश द्वार से 160 मीटर लंबी और 90 फीट गहरी है । पाताल भुवनेश्वर गुफा में केदारनाथ, बद्रीनाथ और अमरनाथ के दर्शन किए जा सकते हैं ।

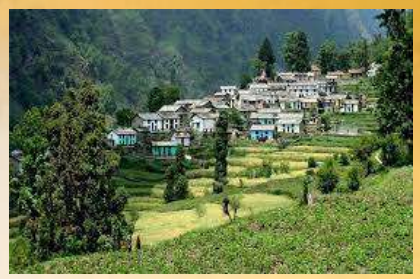

पर्यटन की दृष्टि से एक ओर जहाँ रानीखेत एक प्रमुख पहाड़ी पर्यटन स्थल है जो देवदार और बलूत के वृक्षों से घिरा रानीखेत बहुत ही रमणीक हिल स्टेशन है तो वहीं दूसरी ओर पिण्डारी हिमानी (Pindari Glacier) अपनी नयनाभिराम सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है । जहाँ रानी खेत से हिमाच्छादित मध्य हिमालयी श्रेणियाँ स्पष्ट देखी जा सकती हैं वहीं ये असीम सुंदरता का प्रवेश द्वार भी है जिससे होकर पिण्डारी ग्लेशियर, कौसानी, चौबटिया और कालिका पहुँचा जा सकता है । पिण्डारी ग्लेशियर हिमालय में नन्दा देवी शिखर के पास स्थित है जो अलकनन्दा नदी की एक मुख्य सहायक पिण्डार का उद्गम स्थान भी है । पिण्डारी नदी का संगम अलकनन्दा नदी से गढ़वाल में कर्णप्रयाग पर होता है ।

एक ओर जहाँ कुमाऊँ मण्डल में स्थित नैनीताल जिला भी विश्व विख्यात पर्यटन स्थल है, जिसकी नैनी झील और नैना देवी का मन्दिर बहुत प्रसिद्ध है तो वहीं दूसरी ओर पर्वतो की रानी के नाम से विश्व विख्यात पर्वतीय नगर मसूरी का भी अपना अलग ही महत्व है जो प्रदेश की राजधानी देहरादून से 35 किमी दूर पहाड़ों पर स्थित है । यह स्थल हिमालय पर्वतमाला के मध्य हिमालय श्रेणी में पड़ता है । यहाँ प्रत्येक वर्ष ठंड के मौसम में भारी मात्रा में बर्फ पड़ती है जिस कारण यह नगर पर्यटकों की पहली पसंद बन जाता है । इन सब से इतर औली चमोली जिले में स्थित एक नगर है । इसे औली बुगयाल भी कहा जाता है । यहाँ सर्दियों के मौसम में विंटर गेम्स भी होते हैं जिनमें देश विदेश से खिलाड़ी अपने प्रतिभा का प्रदर्शन करने आते हैं । प्रदेश की राजधानी देहरादून है जोकि क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य का सबसे बड़ा नगर है । हिन्दी एवं संस्कृत को राजभाषा का दर्जा दिया गया है तथा दोनों ही राज्य की आधिकारिक भाषाएँ है । साथ ही कुमाऊँनी तथा गढ़वाली भाषा का भी प्रयोग किया जाता है ।

उत्तराखंड के अन्य आकर्षण के केंद्र

अपने प्रारब्ध से ही गुरुकुल परंपरा का प्राणस्त्रोत रहा उत्तराखंड आज भी शिक्षा तथा तकनीक के मामले में ध्वजवाहक की भांति अग्रिम कतार में नज़र आता है । यहाँ मेरा प्रयास रहा है कि सभी प्रमुख संस्थानों को स्थान देते हुए उनका एक छोटा सा परिचय आप सभी के सम्मुख प्रस्तुत करते हुए अपने मत को तथ्य का रूप दे सकूँ, तो शुरुआत करते हैं भारतीय वानिकी संस्थान से...

भारतीय वानिकी संस्थान

देहरादून में वन अनुसंधान संस्थान (एफआरआई) कौलागढ़ रोड पर स्थित एक प्रमुख अनुसंधान संस्थान है जिसे 1906 में स्थापित किया गया था । यह संस्थान अपनी शानदार इमारत के लिए प्रसिद्ध है, जो ग्रीको-रोमन और वास्तुकला के औपनिवेशिक शैली के एक अद्भुत सम्मेलन का प्रतिनिधित्व करती है । यह भारत का सबसे पुराना और बड़ा वन आधारित प्रशिक्षण संस्थान है ।

भारतीय सैन्य अकादमी देहारादून

देहरादून स्थित भारतीय सैन्य अकादमी (Indian Military Academy) में देश के वीर जवानों की ट्रेनिंग होती है जिसकी स्थापना साल 1932 में हुई थी । भारतीय सैन्य अकादमी देहरादून जवानों को शारीरिक मानसिक रूप से मजबूत बनने के साथ ही उनके अंदर देशभक्ति, नैतिकता, सहनशीलता आदि की भावना पैदा करती है, और ये सबकुछ महज 18 महीने की कड़ी ट्रेनिंग में किया जाता है ।

पतंजलि योगपीठ

पतंजलि योगपीठ भारत का सबसे बड़ा योग शिक्षा संस्थान जोकि आज 15000 से अधिक लोग प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष तौर पर इस उत्पादन इकाई से रोजगार प्रदान कर रहा है । इसकी स्थापना स्वामी रामदेव द्वारा योग का अधिकाधिक प्रचार करने एवं इसे सर्वसुलभ बनाने के उद्देश्य से की गयी थी । भारत में योग क्रान्ति के बाद कृषि क्रान्ति के उद्देश्य से हरिद्वार में भारत सरकार के खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के सहयोग से स्वामी रामदेव की प्रेरणा से व आचार्य बालकृष्ण के निर्देशन में विश्व के सबसे बड़े फूड एवं हर्बल पार्क का निर्माण करावाया गया है ।

आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशनल साइंसेज में अनुसंधान

नैनीताल में वेधशाला का 22 मार्च 2004 को आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशनल साइंसेज के रूप में पुनर्जन्म हुआ था जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार द्वारा एक स्वायत्त संस्थान, आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशनल-साइंसेस के लिए दिया गया एक संक्षिप्त नाम है । इसका उद्देश्य खगोल विज्ञान, खगोल भौतिकी और वायुमंडलीय विज्ञान के अग्रिम क्षेत्रों में अनुसंधान करने के लिए राष्ट्रीय ऑप्टिकल अवलोकन सुविधाएं प्रदान करना है ।

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, रुड़की

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, रुड़की भारत का एक सार्वजनिक अभियांत्रिकी विश्वविद्यालय है । यह उत्तराखण्ड राज्य के रुड़की में स्थित है । पहले इसका नाम 'रूड़की विश्वविद्यालय' तथा इससे भी पहले इसका नाम 'थॉमसन कॉलेज ऑफ सिविल इंजीनियरिंग' था, जिसकी स्थापना मूलतः 1847 में हुई थी । सन 1949 में विश्वविद्यालय का दर्ज़ा दिया गया । अपने अस्तित्व को 150 वर्षों से संभाले इस संस्थान को संस्थान 21 सितम्बर 2001 को भारत सरकार ने एक अध्यादेश जारी करके देश का सातवां भारतीय प्रोद्यौगिकी संस्थान घोषित कर दिया । अपने रूपांतरण के बाद से भारतीय प्राद्यौगिकी संस्थान रूडकी ने देश को जनशक्ति उपलब्ध कराने तथा अनुसंधान कार्य करने में प्रमुख भूमिका अदा की है । विज्ञान, प्रोद्यौगिकी व इंजीनियरिंग शिक्षा तथा अनुसंधान के क्षेत्र में इसे धारा निर्धारक (ट्रेड सेटर) भी माना जाता है ।

गोविन्द बल्लभ पन्त कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय

पंतनगर विश्वविद्यालय या केवल "पंतनगर" भारत का पहला कृषि विश्वविद्यालय है । इसका उद्घाटन जवाहरलाल नेहरू द्वारा 17 नवंबर, 1960 को उत्तर प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय के नाम से किया गया था । वर्ष 1972 में इसका नाम महान स्वतन्त्रता सेनानी गोविन्द बल्लभ पंत के नाम पर गोविन्द बल्लभ पन्त कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कर दिया गया । यह विश्वविद्यालय पंतनगर नामक कस्बे में पड़ता है जो उत्तराखण्ड के उधमसिंहनगर जिले में स्थित है । इस विश्वविद्यालय को भारत में हरित क्रांति का अग्रदूत माना जाता है ।

गुरुकुल काँगड़ी विश्वविद्यालय

गुरुकुल काँगड़ी विश्वविद्यालय भारत के उत्तराखण्ड राज्य के हरिद्वार शहर में स्थित है । इसकी स्थापना सन 1902 में स्वामी श्रद्धानन्द ने की थी । यह विश्वविद्यालय मुख्य रूप से ब्रिटिश वायसराय लार्ड मैकाले द्वारा प्रतिपादित अंग्रेजी माध्यम की पाश्चात्य शिक्षा नीति के स्थान पर हिन्दी के माध्यम से भारतीय साहित्य, भारतीय दर्शन, भारतीय संस्कृति एवं साहित्य के साथ-साथ आधुनिक विषयों की उच्च शिक्षा के अध्ययन-अध्यापन तथा अनुसंधान के लिए स्थापित किया गया था । विश्वविद्यालय का प्रमुख उद्देश्य जाति और छुआ-छूत के भेदभाव के बिना गुरु-शिष्य परम्परा के अन्तर्गत अध्यापकों एवं विद्यार्थियों के मध्य निरन्तर घनिष्ट सम्बन्ध स्थापित कर छात्र-छात्राओं को प्राचीन एवं आधुनिक विषयों की शिक्षा देकर उनका मानसिक और शारीरिक विकास कर चरित्रवान आदर्श नागरिक बनाना था, जोकि आज भी बदस्तूर जारी है ।

वाडिया हिमालय भूविज्ञान संस्थान

वाडिया हिमालय भूविज्ञान संस्थान, देहरादून विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन हिमालय के भूविज्ञान के अध्ययन के लिए एक स्वायत्त प्राकृतिक संसाधन अनुसंधान संस्थान है । यह जून, 1968 में वनस्पति विज्ञान विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय में स्थापित किया गया था, जिसे अप्रैल 1976 के दौरान देहरादून, उत्तराखंड में स्थानांतरित कर दिया गया ।

सर्वे ऑफ इंडिया देहरादून

देहरादून के सर्वे ऑफ इंडिया में भारत के संविधान से जुड़ा हुआ एक बड़ा इतिहास है । संविधान की पहली एक हजार प्रतियां देहरादून के सर्वे ऑफ इंडिया में छपी थीं, जिसकी एक प्रति आज भी सर्वे ऑफ इंडिया देहरादून में मौजूद है । साथ ही जिन प्रिंटिग मशीनों पर संविधान की प्रतियों को छापा गया था वो धरोहर भी सर्वे ऑफ इंडिया के कार्यालय में है आज भी यथास्थिति उपलब्ध हैं ।

लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी

लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी की स्थापना 1959 में उच्चतर सिविल सेवाओं के अधिकारियों को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए की ग थी । इसके मुख्य दायित्व हैं- अखिल भारतीय सेवाओं तथा केंद्रीय सेवाओं (समूह 'क') के सदस्यों को एक संयुक्त आधारिक पाठ्यक्रम के जरिए प्रवेशकालीन प्रशिक्षण प्रदान करना ; भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के लिए प्रवेशकालीन तथा प्रवेशोपरांत प्रशिक्षण तथा मिड कैरिअर प्रशिक्षण प्रदान करना ; भा. प्र. सेवा तथा अन्य सेवाओं के लिए अन्य सेवाकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना । यह मसूरी (उत्तराखण्ड) में स्थित है।

स्वाधीन देशों में राजभाषा क्यों जरूरी है ?

किसी भी स्वाधीन देश की सही अभिव्यक्ति उसकी अपनी भाषा में ही हो सकती है । मुंशी प्रेमचंद के अनुसार , " जिसकी कोई राष्ट्रभाषा नहीं , उसका कोई राष्ट्र भी नहीं है । " इस प्रकार से राष्ट्र का अस्तित्व ही राष्ट्रभाषा से जुड़ा हुआ है । महात्मा गांधी के अनुसार " राष्ट्रभाषा के बिना राष्ट्र गूंगा होता है" । 'साथ ही साथ वे यह भी कहते हैं कि' कोई भी देश सच्चे अर्थ में तब तक स्वतंत्र नहीं है , जब तक वह अपनी भाषा में नहीं बोलता ।' हिंदी के माध्यम से भारत की स्वाधीनता का महासमर लड़ा गया इसलिए स्वाधीन भारत में हिंदी ही राजभाषा की पूर्ण अधिकारिणी बनी । सभी स्वाधीन देशों के लिए उनकी अपनी भाषा ही राजभाषा हो सकती है । ऐसा न होने से उन देशों को विश्व समुदाय सम्मान की दृष्टि से नहीं देखता । इसलिए सभी देशों के लिए अपनी राजभाषा का होना आवश्यक है । हमारे देश की राजभाषा हिंदी है , जो विश्व में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है । डॉ . जयंती प्रसाद नौटियाल के नवीनतम शोध के अनुसार विश्व में हिंदी बोलने वालों की संख्या 1,02,25,10,352 है , जो विश्व में सबसे अधिक है । बोलने, लिखने तथा पढ़ने के लिए और अभिव्यक्ति की अद्भुत क्षमता के लिए तो यह विश्व में प्रथम स्थान पर है ही साथ ही हिंदी की मान्य लिपि देवनागरी है जो संसार की सभी लिपियों में सर्वाधिक वैज्ञानिक मानी जाती है । देश में राजभाषा की प्रगति का आंकलन करने के लिए अधिनियम के अंतर्गत संसदीय राजभाषा समिति का गठन करने का भी प्रावधान है । केंद्र सरकार के कार्यालयों , निगमों , विभागों , उपक्रमों आदि के कर्मचारी जब तक हिंदी भाषा में प्रशिक्षित नहीं हो जाते , तब तक के लिए कार्यालयीन कामकाज में अंग्रेजी भाषा का प्रयोग मान्य है । केंद्रीय सरकार इस अधिनियम को लागू करने के लिए नियम बना सकती है ।

1. संविधान की कौन सी अनुसूची में क्षेत्रीय भाषाओं का उल्लेख है ?
i. सातवीं अनुसूची ii. आठवीं अनुसूची
iii. पांचवीं अनुसूची iv. दसवी अनुसूची

2. संविधान की आठवीं अनुसूची में सम्मिलित भाषाओं की संख्या कितनी है ?
I 18 ii. 19
iii. 22 iv. 21

3. भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है-
i. 343 – 351 तक ii. 434 - 452 तक
iii. 443 – 452 तक iv. 334 – 355 तक

4. भारत की राजभाषा है -
i. अंग्रेजी ii. हिंदी
iii. हिंदी व अंग्रेजी iv. इनमें से कोई नहीं

5. भारतीय संघ की आधिकारिक भाषा के रूप में संविधान द्वारा किसे मान्यता प्राप्त है ?
I 8वीं अनुसूची में वर्णित भाषाओं में से एक ii. हिंदी
iii. संस्कृत iv. अंग्रेजी

6. संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को राजभाषा के रूप में दर्जा प्रदान किया गया है ?
i. अनुच्छेद 348 (1) ii. अनुच्छेद 343 (1)
iii. अनुच्छेद 345 (1) iv. अनुच्छेद 344 (1)

7. हिंदी देश की राजभाषा है, लेकिन शासकीय प्रयोजनों के लिए कब तक अंग्रेजी भाषा को प्रयोग करने की अनुमती प्रदान की गई
i. 2011 ई. ii. 2026 ई.
iii. अनिश्चित काल के लिए iv. इनमें से कोई नहीं

8. किसी भाषा को किसी राज्य की राजभाषा के रूप में अंगीकार करने का अधिकार किसे है
i. राष्ट्रपति ii. संसद
iii. राज्य विधानसभा iv. राजभाषा आयोग

9. संविधान की आठवी अनुसूची में सम्मिलित भाषाओं में निम्नांकित में से कौन सी भाषा बोलने वाले सर्वाधिक है ?
i. बांग्ला ii. गुजराती
iii. मराठी iv.तेलुगु

10. संविधान की 8वीं अनुसूची में सूचीबद्ध निम्नोक्त से कौन सी एक भाषा किसी राज्य की राजभाषा है ?
i. कश्मीरी ii. उर्दू
iii. सिंधी iv. नेपाली

11. डोगरी भाषा किस राज्य में बोली जाती है ?
i. जम्मू – कश्मीर ii. असम
iii. बिहार iv. उड़िसा

12. निम्नलिखित में से किस राज्य ने उर्दू को राजकाज की भाषा के रूप में अंगीकार किया है?
I राजस्थान ii. मध्य प्रदेश
iii. आंध्र प्रदेश iv. जम्मू-कश्मीर

13. निम्नलिखित में कौन सी भाषा संविधान की 8 वीं अनुसूची में शामिल नहीं है?
i. उर्दू ii. नेपाली
iii. कोंकणी iv. भोजपुरी

14. सिंधी को किस संवैधानिक संशोधन द्वारा संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया?
i. 21वां ii.23वां
iii. 30वां iv. 32वां

15. भारतीय संविधान के अनुच्छेद 344 के तहत प्रथम राजकीय भाषा आयोग का गठन हुआ था-
i. 1950 ई. में एम. मुंशी की अध्यक्षता में
ii. 1955 ई. में बी. जी. खेर की अध्यक्षता में
iii. 1960 ई. में एम. सी खालसा की अध्यक्षता में
iv. 1965 ई. में हुमायूं कबीर की अध्यक्षता में

★ प्रश्नोत्तरी के उत्तर अगले अंक में प्रकाशित किए जाएंगे ।

पिछले अंक के उत्तर

1.iv, 2. iii, 3. iii, 4. ii, 5. i, 6. i, 7. iii, 8. iv, 9. iii, 10. iv, 11. i, 12. I 13. ii, 14. iv, 15. ii

संकलनकर्ता
दिनेश कुमार साव
प्रबन्धक
क्षेत्रीय कार्यालय, दिल्ली

वाणी का 128 वां अंक (जनवरी- मार्च 2021) प्राप्त हुआ । धन्यवाद । पत्रिका के इस अंक में आपने विविध विषयों का समावेश करते हुए सारगर्भित एवं ज्ञानवर्धक पाठ्य सामग्री उपलब्ध करवाई है । राजभाषा हिंदी पर प्रेरणादायी आलेख प्रस्तुत किया गया है । बैंकिंग एवं अन्य आलेख विषयानुकूल है । साहित्य का सफ़रनामा में 'हिंदी साहित्य के एंग्री यंग मैन – धूमिल' पर रोचक जानकारी प्रकाशित की गई है । नज़र कानूनी में 'एमएसएमई के लिए प्री पैकेज्ड समाधान ' विषय पर महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान की गई है । विविधा में ज्ञान के मोती , शब्द – शब्दांतर , हंसी की फुलझड़ियाँ एवं प्रतिस्पंदन पत्रिका को रोचक एवं मनोरंजक बनाते हैं । आपके प्रयास सराहणीय एवं अनुकरणीय है । आगामी अंक हेतु शुभकामनाएँ ।

(अजय कुमार)
सहायक महा प्रबंधक (राभा) इंडियन बैंक,
कार्पोरेट कार्यालय, चेन्नै

इण्डियन ओवरसीज़ बैंक की पत्रिका "वाणी" का 128 वाँ अंक प्राप्त हुआ। धन्यवाद । आदरणीय प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी का संदेश निरन्तर प्रगति की ओर प्रेरित करता है और चुनौतियों का सामना करने की प्रेरणा देता है। आदरणीय कार्यपालक निदेशक श्री अजय कुमार श्रीवास्तव के प्रेरणादायी उद्बोधन से मैं अधिक प्रभावित हुआ। उत्कृष्ट ग्राहक सेवा और बैंक उत्पादों की तीव्र मार्केटिंग से संबंधित आदरणीय कार्यपालक निदेशक सुश्री एस श्रीमती तथा महाप्रबंधक के संदेश से निश्चित ही स्टाफ -सदस्यों में हिन्दी के प्रति रूचि उत्पन्न करेगा । भारत सरकार, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय के सचिव डॉ.सुमीत जैरथ के संदेश से यही प्रेरणा लेनी चाहिए कि हमारी दैनंदिन गतिविधियों में राजभाषा हिन्दी के प्रगामी प्रयोग से सशक्त समर्थन प्राप्त होता रहेगा । आपने अद्भूत तरीके से "प्र" से राजभाषा हिन्दी का समुचित विकास के महत्व पर प्रकाश डाला है । इस पत्रिका के माध्यम से बैंकिंग क्षेत्र से जुड़े हुए ज्वलंत विषयों को रेखांकित करने वाले उत्तम लेख जैसे बैंक के वार्षिक निष्पादन के मुख्य बिन्दु, भारतीय बैंकिंग और राजभाषा हिन्दी आदि रोचक और ज्ञानवर्धक रचनाओं से अपनी प्रतिभा को निखारने का सुअवसर प्राप्त होता है । जो बैंकिंग क्षेत्र के लिए एक वरदान है । पत्रिका में राजभाषा कार्यान्वयन संबंधी फोटो चित्र, ज्ञानवर्धक लेखों, प्रेरक प्रसंगों के साथ-साथ बैंकिंग,तकनीकी,साहित्य,धर्म,आदि ने पत्रिका को अत्यंत रुचिपूर्ण एवं संग्रहणीय बनाया है। इस बहु उपयोगी "वाणी" गृह पत्रिका के प्रत्येक अंक का हमें आतुरता से इन्तजार रहता है । हमारी ओर से सम्पादक मंडल को हार्दिक बधाई । मुझे पूरी आशा है इस पत्रिका के उत्तरोत्तर प्रकाशन से राजभाषा हिन्दी के प्रगामी प्रयोग को सशक्त समर्थन प्राप्त होता रहेगा। आगामी अंकों को अधिक उपयोगी और ज्ञान वर्धक बनाने के लिए मैं कामना करता हूँ ।

(शंकरा नन्द झा)
मुख्य क्षेत्रीय प्रबंधक
क्षेत्रीय कार्यालय, अहमदाबाद

हमें यह बताते हुए अति प्रसन्नता हो रही है कि आपके द्वारा संप्रेषित 'वाणी' पत्रिका का 128 वां अंक प्राप्त हुआ । यह पत्रिका सुव्यवस्थित और बहुत ही रोचक रूप में बनाई गई है । इसमें संकलित प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय कार्यपालक निदेशक महोदय , सचिव महोदय , महा प्रबंधक महोदय के संदेश मार्गदर्शन एवं सीख देते हैं । संपादकीय में श्री सुरेश कुलकर्णी , उप महा प्रबंधक द्वारा संकलित 'नीड़ की ओर' राजभाषा के साथ – साथ मातृभाषा के प्रसार के प्रति किए जा रहे प्रयास को दर्शाता है । इस अंक में प्रकाशित सभी रचनाएँ बहुत ही आकर्षक एवं रुचिपूर्ण है । पत्रिका में योगदान देने वाले सभी रचनाकारों के साथ – साथ संपादक मंडल को उत्कृष्ट प्रकाशन करने के लिए बधाई ।

(बिनोद कुमार रजक)
वरिष्ठ क्षेत्रीय प्रबंधक,
क्षेत्रीय कार्यालय, गोवा

वाणी पत्रिका का 129 वाँ अंक प्राप्त कर अपार हर्ष की अनुभूति हुई । तदर्थ धन्यवाद । हमेशा की तरह इस बार भी एक उत्कृष्ट अंक पढ़ने का अवसर मिला । पत्रिका में प्रकाशित सभी आलेख सारगर्भित एवं पठनीय है । पत्रिका का प्रकाशन शीर्षस्थ अधिकारियों का राजभाषा कार्यान्वयन के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है । गृह पत्रिकाएँ न केवल विभागीय अधिकारियों की सृजनात्मक प्रतिभा को उजागर करती है बल्कि बैंकों में हिंदी के प्रचार-प्रसार का एक सशक्त माध्यम भी बनती है । मैं पत्रिका के संपादक मंडल को हार्दिक बधाई देता हूँ तथा पत्रिका के उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूँ ।

शुभकामनाओं सहित,

(जी जी जयशंकर)
सहायक महा प्रबंधक, क्षेत्रीय कार्यालय, कोयम्बतूर

गतिविधियाँ

वाणी के 129वें अंक का विमोचन करते हुए कार्यपालक गण (बाएँ से दाएँ - श्री भुवन चन्द्र शर्मा, महा प्रबन्धक; श्री अजय कुमार श्रीवास्तव, कार्यपालक निदेशक; श्री पार्थ प्रतिम सेनगुप्ता, प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी; सुश्री एस श्रीमती, कार्यपालक निदेशक; श्री सुरेश कुलकर्णी, उप महा प्रबन्धक-राजभाषा)

हिन्दी दिवस समारोह पर गृह मंत्रालय से प्राप्त राजभाषा कीर्ति पुरस्कार के साथ कार्यपालक गण एवं राजभाषा विभाग के अधिकारी गण ।

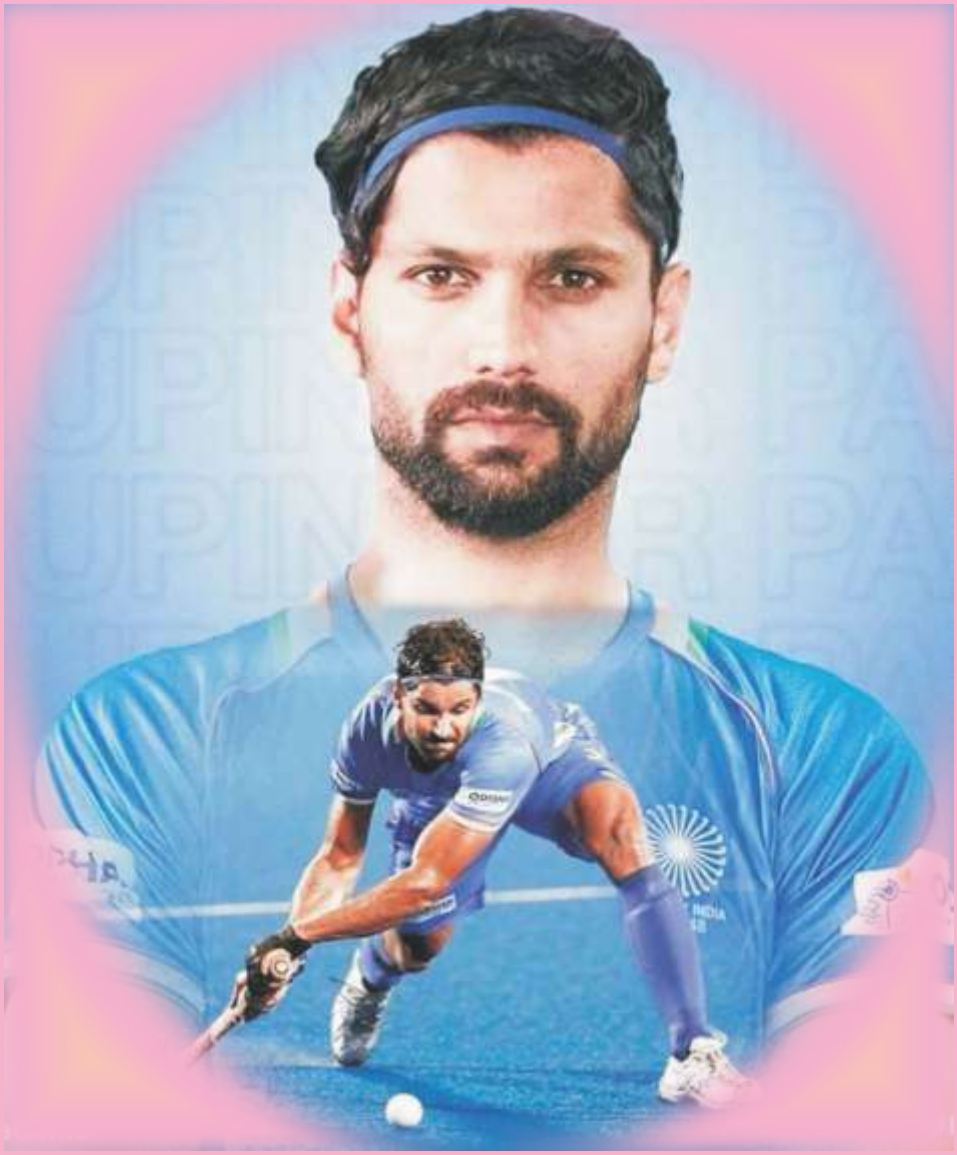

"श्री रूपिंदर पाल सिंह को हार्दिक बधाई !!!
आप भारत एवं आइओबी की शान हैं !"